लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

[Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं)
Vol. LIX contains Nos. 21—32

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया।

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 32, बुधवार, 7 सितम्बर, 1966/16 भाद्र, 1888 (शक)
No. 32, Wednesday, September 7, 1966/Bhadra 16, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
838. आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पृथक राज्य	Separate State for Hill Areas of Assam	..	1—4
839. शिक्षा आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Education Commission	..	4—6
840. मद्य निषेध	Prohibition	..	6—9
841. सीमा सरक्षा सेना	Border Security Force	..	9—12
842. उर्वरक कारखाना, हल्दिया	Fertilizer Factory, Haldia	..	12—16
843. गंगानगर जिला (राजस्थान) में भूमि का आंवटन	Allotment of Land in Ganganagar District (Rajasthan)	..	16—19
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. Nos.			
33. अलौह धातुओं का प्रयोग	Use of Non-Ferrous Metals	..	20—26
34. नागार्जुन सागर परियोजना	Nagarjunasagar Project		26—30
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
844. रबड़ बागान कर्मगारों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड	Central Wage Board for Rubber Plantation Workers	..	30
845. दिल्ली में चांदनी चौक में हुई घटनाएं	Incidents in Chandni Chowk, Delhi	..	30—31

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
846. आपात काल	Emergency	31
847. कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए तेल ढोने वाले बजरे	Oil barges for Cochin Refinery ..	31—32
848. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	Payment of Bonus Act, 1965	32
849. बिहार राज्य के गांवों में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Bihar villages ..	32
850. गोआ का भविष्य	Future of Goa	33
851. हिन्दी का विकास	Development of Hindi	33—34
852. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्त होने की योजना	Voluntary Retirement Scheme for Central Government Employees	34
853. बोनस भुगतान अधिनियम के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgment on Bonus Act ..	34—35
854. कोचीन तेल शोधक कारखाना	Cochin Refinery ..	35
855. सिन्धी भाषा का विकास	Development of Sindhi Language ..	35—36
856. पुरातत्तीय महत्व के स्थानों की खोज तथा खुदाई	Exploration and Excavation of sites of Archæological Importance	36
857. आयोजन तथा विकास संगठन, सिन्दरी	Planning and Development Organisation, Sindri ..	36—37
858. विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा छंटनी	Retrenchment by Foreign Oil Companies ..	37
859. खासी तथा जैंतिया पहाड़ियों में विद्रोह	Rebellion in Khasi and Jaintia Hills	37
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4261. रामकृष्णपुरम में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर	P.&.T. Quarters in Ramakrishnapuram ..	38
4262. केरल में श्रीकाडापुरम् में टेलीफोन और तार की सुविधायें	Telephone & Telegraph facilities at Srikadapuram, Kerala	39

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4263. केरल में कॉफी हाउस के लिये भूमि	Land for Coffee House in Kerala ..	39
4264. कोचीन में गैर सरकारी तेल कम्पनियों के छटनी किये गये कर्मचारी	Retrenched Employees of Private Oil Companies in Cochin ..	39—40
4265. त्रिचूर में पुलिस द्वारा कथित मारपीट	Alleged beating by Polices in Trichur ..	40
4266 मैलूर गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु	Death of a person of Melur Village	40—41
4267. केरल में तालाबन्दी तथा हड़ताल	Lock-outs and strikes in Kerala ..	41
4268. केरल में उच्च अधिकारी	High Official in Kerala ..	41
4269. बर्मा शैल आयल कम्पनी, दिल्ली द्वारा घोलक तेल के वितरण में भेदभाव	Discrimination in Allotment of Solvent Oil by Burmah Shell Oil Company, Delhi ..	42
4270. केरल में एडाचेरी में टेली-फोन और तार की सुविधायें	Telephone & Telegraph facilities at Edacherry, Kerala ..	42—43
4271. निजी सचिवों तथा आशु-लिपिकों को अतरिक्त वेतन	Additional Pay to Private Secretaries and Stenographers ..	43
4272. विदेशों में प्रशिक्षण के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to S. C. & S. T. for training abroad ..	43
4273. बलिहारी कोयला खान के श्रमिकों को मजूरी का न दिया जाना	Non-Payment of Wages to work-men of Balihari Colliery	44
4274. सीमा सुरक्षा उपाय	Border Security Measures ..	44
4275. दिल्ली और पटना के बीच सीधी टेलीफोन लाइन	Direct Telephone Line Between Delhi and Patna ..	44—45
4276. मैसूर विश्वविद्यालय को अनुदान	Grant to Mysore University ..	45

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4277. मैसूर राज्य में उर्वरक कारखाने	Fertilizer factories in Mysore State	45—46
4278. बरौनी में उद्योग समूह	Industrial Complex at Barauni	47
4279. दण्डकारण्य की पुनर्वास बस्तियों में परिवार नियोजन	Family Planning in Rehabilitation Colonies in Dandakaranya	47—48
4280. राष्ट्र-विरोधी तत्वों को पाकिस्तानियों द्वारा भड़काना	Pakistani incitement to Anti-National Elements ..	48
4281. असिस्टेंटों के लिए सलेक्शन ग्रेड	Selection Grade for Assistants	48
4282. गैर-सरकारी तेल कम्पनियां	Private Oil Companies	49
4283. एर्नाकुलम में विदेशी तेल कम्पनियों के संस्थान	Foreign Oil Companies Installation at Ernakulam	49—51
4284. नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध	Ban on New Posts	51
4285. केरल बागान मजदूरों की हड़ताल	Kerala Plantation Workers' Strike ..	51
4286. भारतीय श्रम सम्मेलन	Indian Labour Conference ..	52
4287. संयुक्त सलाहकार व्यवस्था	Joint Consultative Machinery	52
4288. हिन्दी प्रशिक्षण महाविद्यालय त्रिवेन्द्रम	Hindi Training College, Trivandrum ..	53
4289. कोचीन तेलशोधक कारखाना	Cochin Refinery	53
4290. केरल में किसानों की बेदखली	Eviction of Cultivators in Kerala	54
4291. केरल विश्वविद्यालय के उपकुलपति	Vice-Chancellor of Kerala University ..	54—55
4292. केरल में वेतनक्रमों में संशोधन	Revision of Pay Scales in Kerala	55
4293. केरल में खाद्यान्नों की चोरबाजारी और मुनाफाखोरी के संबंध में गिरफ्तारी	Arrests in Kerala for Black-Marketing and Profiteering in Foodgrains ..	55
4294. मैसूर में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व संबंधी खुदाई	Ancient Monuments and Archæological Exploration in Mysore ..	56
4295. गोरखपुर विश्वविद्यालय	Gorakhpur University ..	57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या 300, दिनांक 27-7-66 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to U. S. Q. No. 300, dated 27-7-1966. ..	57
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
पत्रकार सम्मेलन में उर्वरक निगम के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक द्वारा कथित बयान	Reported statement by the Chairman and Managing Director of the Fertilizer Corporation at the Press Conference ..	57—61
श्री पें. वेंकटासुब्बय्या	Sri P. Venkatasubbaiah	57
श्री अलगेसन	Shri Alagesan ..	57—59
इद्दीकी परियोजना के बारे में	Re. Iddiki Project ..	61
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege ..	62—66
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	66—74
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions— ..	74
कार्यवाही सारांश	Minutes of Sittings ..	74
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha ..	74
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee— ..	75
अठावनवां प्रतिवेदन	Fifty-eighth Report	75
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	75
बत्तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-Second Report ..	75
याचिका का उपस्थापन	Presentation of Petition	75
वित्त मंत्री द्वारा ओर डिगनम एण्ड कम्पनी के बारे में वक्तव्य	Statement by Finance Minister Re. Orr Dignam and Company ..	75—81
प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के भविष्य के बारे में	Re. Future of Managing Agency System ..	81
निदेश 115 के अन्तर्गत कोचीन शिपयार्ड के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा मंत्री द्वारा उत्तर	Statement by Member under Direction 115 and Reply by Minister thereto Re. Cochin Shipyard ..	82—89
श्री अ. क. गोपालन	Shri A. K. Gopalan	82, 83
श्री चे. मु. पुनाचा	Shri C. M. Poonacha ..	82—83

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
निदेश 115 के अन्तर्गत डा० तेजा की प्रस्तावित गिरफतारी के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा मंत्री द्वारा उत्तर	Statement by Member under Direction 115 and Reply by Minister thereto Re. The proposed Arrest of Dr. Teja ..	83—89
श्री वासदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	83
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy ..	88
दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश (न्यायिक तथा कार्यपालिका कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक—पुर:स्थापित	Delhi and Himachal Pradesh (separation of Judicial and Executive Functions) Bill—Introduced ..	89
पंजाब पुनर्गठन विधेयक	Punjab Reorganisation Bill	90—118
खंड 29 से 97 और 1 तथा पहली से सोलहवीं अनुसूचियां	Clauses 29 to 97 and 1 and first to Sixteenth Schedules	90—118
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass as amended ..	117, 118
श्री नन्दा	Shri Nanda ..	93—118
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh ..	117
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi ..	117—118
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	118
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	118
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha ..	118—119
इद्दिकी परियोजना के बारे में वक्तव्य	Statements Re. Iddiki Project	119
श्री कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao	119
देश की खाद्यस्थिति के बारे में	Re. Food Situation in the country ..	119—120
भारत पाकिस्तान सीमा की स्थिति के बारे प्रस्ताव	Motion Re. Situation on India Pakistan Borders ..	121—122
बीड़ी एवं चुरट कार्मिक (नियोजन की शर्तें) विधेयक—	Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Bill— ..	122
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	122
श्री नन्दा	Shri Nanda	122
आधे घंटे की चर्चाओं के बारे में	Re. Half-an-hour Discussions ..	122—123

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 7 सितम्बर, 1966/16 भाद्र, 1888 (शक)
Wednesday, September 7, 1966/ Bhadra 16, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पृथक राज्य

+

*838. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने तथा प्रधान मंत्री ने एक पृथक् राज्य की मांग के बारे में आसाम के पहाड़ी क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मण्डल से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). गृह-मंत्री भी आसाम के पहाड़ी क्षेत्र आयोग के प्रतिवेदन पर मंत्रि-मण्डल-समिति के सदस्य हैं । इस समिति ने आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनके दृष्टिकोण तथा उनके बीच सह-मति की मात्रा जानने के लिए विचार-विमर्श किया । प्रतिनिधि मण्डलों में से कुछ प्रधान मंत्री से भी मिले । उनके द्वारा आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों की भावी प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में उनके द्वारा प्रस्तुत विचार तथा सुझाव विचाराधीन हैं ।

Shri Yashpal Singh : You have not stated what arguments have been put forth by them for the formation of a new State.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : No new question has been raised, these talks are going on for the last three or four years. They had also met Pandit Jawahar Lal Nehru and a scheme was finalised at that time, on the basis of which the talks were held and a Commission was also appointed. In the light of the recommendations of this commission fresh talks have been started.

Shri Yashpal Singh : On the one hand these people are launching an agitation while on the other hand they want to have a meeting by fabricating a scheme in this manner. Are Government in a position to state whether these people were Pro-British or Pro-national at the time when we were struggling to throw off the yoke of foreign domination ?

Shri Nanda : That question does not arise here. I think that in all that they have stated they have been motivated by the welfare of their area. Whether we agree with them or not, is a different thing.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि आसाम के पहाड़ी जिलों में से मिकिर, कच्छार और गारो के पहाड़ी जिलों की कांग्रेस पृथक पहाड़ी राज्य नहीं चाहती हैं ; शेष खासी और जयंतया के पहाड़ी जिलों की कांग्रेस और मिजो संघ अपने-अपने जिलों के लिए पृथक् पहाड़ी राज्य चाहते हैं; खासी, गारो और जयंतया के पहाड़ी जिलों के केवल गैर-कांग्रेसी लोग ही एक पृथक् पहाड़ी राज्य चाहते हैं ? क्या हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री, नेहरू जी और शास्त्री जी, जबकि वे पहाड़ी लोगों को अधिकतम स्वायत्तता देना चाहते थे, नागालैंड को राज्य का रूप देने के बाद एक पहाड़ी राज्य देने के विरुद्ध थे ? नागालैंड राज्य का रूप देने के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, पहाड़ी लोगों को एक पहाड़ी राज्य या एक उप-राज्य देकर उनको मैदानी इलाके के लोगों से अलग रखने की अंग्रेजों की नीति का अनुसरण करना चाहती है या सरकार विघटनकारी शक्तियों को समाप्त करने और पहाड़ी लोगों को राष्ट्रीय जीवन का अंग बनाने की दृढ़ नीति को अपनाना चाहती है ताकि हमारे देश की पूर्वसीमाओं पर जो विदेशी खतरा पैदा होता जा रहा है उसका मुकाबला किया जा सके ?

श्री नन्दा : वहां के पहाड़ी कबीलों के प्रतिनिधियों के विभिन्न वर्गों से हमने बातचीत की थी और माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है लगभग उसके अनुसार ही भिन्न-भिन्न रायें प्रकट की गई थीं। अंग्रेजों के समय में जिस नीति का अनुसरण किया जाता था उस पर चलने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य पुनर्गठन आयोग और पाटस्कर आयोग दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आसाम के लोगों के लिए एक पृथक राज्य सम्भव नहीं है और फिर, खासी, जयंतया और मिकिर, उत्तर कच्छार और गारो पहाड़ियों की कांग्रेस संस्थाएं उस क्षेत्र के पहाड़ी लोगों के लिए पृथक राज्य के विरुद्ध हैं, सरकार इन दोनों आयोगों की सिफारिशों से किस कारण पीछे हट रही है और आसाम के सीमावर्ती राज्य में और शत्रु पैदा करने के लिए चर्चा को क्यों आरम्भ किया गया है ?

श्री नन्दा : पीछे हटने की कोई बात नहीं है। आसाम के एक वर्ग के लोगों के प्रतिनिधियों

को किन्हीं भी ऐसे विचारों को सामने रखने की स्वतंत्रता है जो कि संविधान के पूर्णतया अनुसार हैं, हम उनको स्वीकार न करें, वह एक अलग बात है।

श्री हेम बरुआ : पहाड़ी लोगों की उपसमिति ने उप-राज्य के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है, ऐसा समाचार पढ़ने को मिला है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या पहाड़ी लोगों के प्रतिनिधियों ने पाटस्कर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन सिफारिशों पर आसाम सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

क्या सरकार को पता है कि कछार जिला तीन तरफ पहाड़ी जिलों से तथा एक तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है, और यदि हां, तो क्या वे पहाड़ी जिलों की स्थिति पर विचार करते समय कछार जिले के भविष्य के बारे में भी विचार करेंगे ?

श्री नन्दा : निर्णय करते समय इन सभी बातों पर विचार किया जायेगा। यह सच है कि जितने प्रतिनिधि हमसे मिले उनमें से कुछ लोगों ने भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये तथा जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हमारे सामने कोई समान योजना नहीं रखी गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली खबरों से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले दिनों सरकार तथा पहाड़ी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बीच विस्तारपूर्वक बातचीत हुई है। क्या वे प्रस्ताव, जिन पर कि सरकार इस समय वास्तव में सक्रियता से विचार कर रही है, अलग पहाड़ी राज्य की पुरानी मांग के सम्बन्ध में है अथवा भारतीय संघ के अन्तर्गत उन्हें यथासम्भव क्षेत्रीय स्वायत्तता देने की नई मांग के सम्बन्ध में है ? बातचीत में क्या कुछ प्रगति हुई है ?

श्री नन्दा : वास्तव में पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा रखी गई योजना के अन्तर्गत, पूर्ण स्वायत्तता का सिद्धान्त ही बातचीत का आधार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्तु पहाड़ी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया है।

श्री नन्दा : हो सकता है।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि मई, 1963 में पहाड़ी क्षेत्रों में जो उप-चुनाव हुए, उनमें मिजो नेशनल फ्रंट (Mizo National Front), जिसके नेतृत्व में कि मिजो पहाड़ियों पर भीषण विद्रोह हो रहा है, ने भारत से पृथक् होने के प्रश्न को लेकर ही चुनाव लड़ा था तथा आसाम के सर्वदलीय पहाड़ी नेताओं के सम्मेलन द्वारा भारत सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि आसाम राज्य सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों की इन घटनाओं की ओर से मुंह फेर दिया था तथा मिजो नेशनल फ्रंट को चुनाव में पृथक्करण के प्रश्न पर जीत जाने के बाद भी इस वर्ष मार्च तक प्रश्रय दिया, जब तक कि विस्फोट नहीं हुआ था ? क्या आसाम सरकार जिस पर कि आसाम के लोग छाये हुए हैं, की यह नीति पहाड़ी लोगों की राजनीतिक चेतना तथा भारतीय

संघ के अन्तर्गत उनकी बराबरी के सम्मानपूर्ण स्थान की मांग को समाप्त करने तथा राष्ट्रीयता को ताक पर रख कर भी आसाम के लोगों को प्रभावी बनाने के विशेष उद्देश्य से प्रेरित हुई ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों की खतरनाक राजनीतिक स्थिति का पता है कि जब तक पहाड़ी लोगों के साथ कोई राजनीतिक संमझौता नहीं होता, तब तक वहां पर राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कुछ भी हो सकता है ?

श्री नन्दा : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य तथा उनके मित्र कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसे यह सभा नहीं चाहती। राजनीतिक समझौता करने के सम्बन्ध में भी हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं तथा इस विषय में पर्याप्त विचार किया है और बातचीत अभी भी चल रही है। जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, आसाम सरकार ने कुछ ऐसी नीति का अनुसरण किया, जो अधिक लाभप्रद नहीं रही।

Recommendations of Education Commission

\+

*839 **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any interim decision on the basis of the recommendations of the Education Commission ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). The Report is now under the active examination of Government.

Shri Bibhuti Mishra : Have Government not decided recently that education in India should be given higher priority by laying down uniform scales of pay in Primary Schools, high schools, colleges and universities ?

श्री मु० क० चागला : यह बहुत ही कठिन प्रश्न है। मैं सभा में एक बार पहले भी बता चुका हूं कि अध्यापकों के वेतनक्रमों में समानता लाने के प्रश्न के बारे में विभिन्न कठिनाइयां हैं। राज्यों में दशायें तथा साधन भिन्न-भिन्न हैं ; यहां तक कि एक राज्य में भी एक जैसे वेतनक्रम नहीं हैं। प्रत्येक राज्य के प्रशासक के वेतन में अन्तर है। यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी यदि वेतनक्रम एक जैसे हों परन्तु विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अतिरिक्त, जहां हमने एक जैसे वेतनक्रम निश्चत किये हैं, जहां तक विद्यालयों का सम्बन्ध है, यह राज्यों की मुख्य जिम्मेदारी है और मेरे विचार में इस पूर्णता को ,जिसे हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करने में अभी कुछ समय लगेगा।

Shri Bibhuti Mishra : It has been laid down in our Constitution that there shall be equality of opportunity for all citizens but we find that there are a number of types of schools such as private aided schools, public schools, English schools, missionary schools and village

schools and in view of all this, is Government going to take or has taken any such decision that there should be a uniform education system for all whether they are children of any rich man or of the Prime Minister or of the Chief Ministers ? They all would have to go to the same school and all would get the same type of education.

श्री मु० क० चागला : शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि यहां पर एक सामान्य पब्लिक स्कूल प्रणाली होनी चाहिए परन्तु उसने यह भी सिफारिश की है कि हमें स्कूलों में शिक्षा-स्तर ऊंचा करना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी उनमें शिक्षा प्राप्त कर सकें चाहे वे किसी वर्ग के ही क्यों न हों अथवा उनके पास कितनी ही सम्पत्ति क्यों न हो । हमें इन दो बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा । हमें असमानता अवश्य दूर करनी चाहिए और इसके साथ-साथ शिक्षा-स्तर भी ऊंचा करना होगा । मैं मानता हूं कि आज कुछ बहुत ही अच्छे स्कूल हैं जिनमें, यह कहा जा सकता है, केवल किसी वर्ग विशेष के ही बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं । परन्तु हम योग्यता के आधार पर गरीब लोगों को छात्रवृत्तियां दे रहे हैं ताकि वे भी इन स्कूलों में पढ़ सकें और इस प्रकार जो असमानता है उसे हम दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमारा उद्देश्य सारी विद्यालय प्रणाली को इतना अच्छा बनाना है जिससे विद्यालय और विद्यालय के बीच जो भेदभाव है वह दूर हो जाये ।

Shri K. N. Tiwary : The Hon. Minister has just stated that there is inequality in the scales of pay of teachers from state to state and also the educational system varies from one state to the other, may I know whether the Education Commission has made any recommendation that there should be uniform system of education and uniform scales of pay and education should be made a Central subject ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि देश में अध्यापकों का न्यूनतम वेतनक्रम कम-से-कम 150 रुपये होना चाहिए । उन्होंने महसूस किया है कि देश में विभिन्न दशाओं को देखते हुए वेतनक्रमों में कुछ अन्तर होना चाहिए । शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने के बारे में, मुझे खेद है, शिक्षा आयोग ने विचार प्रकट किया है कि इसे समवर्ती सूची में लाना आवश्यक नहीं है (**एक माननीय सदस्य** : हम इसे संघ सूची में लाना चाहते हैं)। मेरा दृष्टिकोण, जो मैं सभा में व्यक्त करता रहा हूं, यह है कि शिक्षा, कम-से-कम उच्चतर शिक्षा को एक समवर्ती विषय बना दिया जाना चाहिए ।

Shri Buta Singh : Our teachers have to resort to agitation and **Satyagrah** for their one or the other grievance from time to time. Such things thwart educational progress and in view of this fact I want to know whether the Hon. Minister is going to create an All India Education Service ? Secondly, no satisfactory arrangements have been made in regard to education in rural areas, may I know the reaction of Government in regard to these two things ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे देश में अध्यापकों को बहुत कम वेतन मिलता है । परन्तु मैं यह बता दूं कि शिक्षा एक राज्य विषय है और

राज्यों को अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए और साधन जुटाने चाहिए और उन्हें अध्यापकों के वेतनों को उच्चतम प्राथमिकता के मामले के रूप में मानना चाहिए ।

श्री बूटा सिंह : मेरे प्रश्न के पहले भाग का क्या बना, जिसमें अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के बारे में पूछा गया है ? इसका उत्तर नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अन्य उपाय कर सकते हैं। सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के लिए कितने और धन की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री मु० क० चागला : इसके लिये अरबों रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमारे देश में 20 लाख अध्यापक हैं । यदि हम इनके वेतन में पांच अथवा 10 रुपये की ही वृद्धि करें तो इसका अर्थ होगा कि हमें खासी राशि खर्च करनी पड़ेगी । यह समस्या है । प्रश्न अध्यापकों की समस्या के प्रति सहानुभूति अथवा जानकारी के अभाव का नहीं है । समस्या संसाधनों के अभाव की है । राज्यों को संसाधन बढ़ाने चाहिये ।

श्री वारियर : क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी कुछ व्यवस्था कर रही है कि सभी राज्य सरकारें शिक्षा के अपने वार्षिक बजट में से समान प्रतिशत धन दें । इस समय जहां कुछ राज्य अधिक धन दे रहे हैं, तो कुछ बहुत कम भी दे रहे हैं । इस असमानता को दूर किया जाना चाहिये । क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य को चाहिये कि वह इसके लिये राज्यों को तैयार करें । कुछ राज्य शिक्षा उपकर लगाते हैं तथा उसे शिक्षा के लिये अलग से रख देते हैं ; किन्तु कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है । हर राज्य की अपनी अलग व्यवस्था है । यदि मेरे माननीय मित्र राज्यों को अध्यापकों के वेतन बढ़ाने का महत्व समझा सकें, तो शिक्षा में पर्याप्त सुधार हो सकेगा ।

Shri Sheo Narain : This Government wants to spread education on American Assistance. But in American system of Education, the salaries of Primary School Teachers are higher than the salaries of University professors. So, are the Government prepared to utilise American aid for raising the salaries of teachers ?

श्री मु० क० चागला : मैं चाहता हूं कि हम अपने प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों से अधिक वेतन दें । क्योंकि वे हमारे लड़कों एवं लड़कियों के चरित्र का निर्माण कर रहे हैं और इस प्रकार मैं अनुभव करता हूं कि वे एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं ।

मद्य निषेध

*840. **श्री हु० चा०लिंग रेड्डी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के मंत्रियों का प्रस्तावित सम्मेलन बुलाया गया था और यदि हां, तो

उसका क्या परिणाम रहा है ; और

(ख) मद्य-निषेध सम्बन्धी टेकचन्द समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ठीक ठीक कब किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : बैठक के लिये 15 सितम्बर 1966 की तिथि निर्धारित की गई है। आशा है कि इसके बाद मद्य निषेध अध्ययन दल की सिफारिशों पर निर्णय लिये जायेंगे। वर्त्तमान अवस्था में कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : टेकचन्द समिति के प्रतिवेदन पर विभिन्न राज्यों ने क्या टिप्पणी की तथा क्या कुछ राज्यों ने मद्य-निषेध पर होने वाले व्यय का कुछ भार उठाने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है ?

श्री हाथी : कुछ राज्यों ने केन्द्र से, मद्य-निषेध नीति कार्यान्वित होने की स्थिति में घाटे की पूर्ति करने, का अनुरोध किया है ?

श्री रंगा : क्या भारत सरकार ने यह अनुरोध मान लिया है ?

श्री हाथी : इस पर विचार हो रहा है।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार की राय लिये बिना ही मद्य-निषेध सम्बन्धी नियमों में कुछ ढील दे दी है, और यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री हाथी : जहां तक कानूनी कार्यान्विति का सम्बन्ध है, कुछ रियायतें दे दी गई हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : As the Hon. Minister has stated that a meeting is going to be held in September, may I know whether they would take into account the drinking that is prevalent among Ministers in states and centre during the course of this meeting ?

Shri Hathi : I do not think that Ministers are in the habit of drinking. But the recommendations made in the report of the Tek Chand Committee would be taken into consideration during the course of this meeting.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I had asked whether they would take into consideration the drinking that is prevalent among Ministers in States and Centre.

Shri Hathi : As I have said, I do not know whether any Minister is in the habit of drinking or not .....**interruptions.**

श्री त्यागी : मद्य-पान कोई सरकारी कार्य नहीं है। मद्य-पान पर प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है ? यह तो व्यक्तिगत या निजी मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका तात्पर्य है कि जो प्रश्नकर्ता हैं वे स्वयं मद्य-पान कर चुके हैं ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Why was the committee appointed when they have to do nothing ? It means that prohibition is a precept for public whereas Ministers are addicted to wine.

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार ने समिति नियुक्त करने, समिति की सिफारिश मांगने तथा फिर उन सिफारिशों को कार्यान्वित न करने का तरीका क्यों अपनाया है ? श्री श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में नियुक्त मद्य-निषेध समिति की सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

टेकचन्द समिति की सिफारिशों का भी क्या हुआ तथा उनको भी अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

कुछ सदस्य खड़े हुये—

श्री हाथी : मैं माननीय महिला सदस्य तथा दूसरों के प्रश्नों का उत्तर तभी दूंगा जब सदस्य बैठने की कृपा करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

श्री हाथी : जहां तक टेकचन्द समिति तथा दूसरी समितियों की सिफारिशों का प्रश्न है, टेकचन्द समिति की सिफारिशों को राज्य सरकारों की राय जानने के लिये भेजा गया था । उन्होंने अपनी राय दी और उन पर विचार हो चुका है । जो बैठक 27 अगस्त को होने वाली थी, वह अब 15 सितम्बर को होगी । तभी इन सब बातों पर विचार होगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : When India was not free and when there was nothing like prohibition i. e. when there were no dry and wet areas, there was a sale of 7 lakh gallons of wine in U. P. and now when there is law of prohibition and dry and wet areas have been fixed there is a sale of 21 lakh gallons of wine. Should I conclude that the Government is itself propagating the use of wine and does not favour prohibition ?

Shri Hathi : The policy of the Government is that of prohibition. But since it is a state subject, I cannot give details in this regard.

Shri Ram Sewak Yadav : He should let us know regarding the whole country.

Shri Hathi : There are two types of arrangements in the country. Some are dry States and some are wet States. It is prevalent in wet states whereas it is restricted in dry states.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार को पता है कि जहां भी मद्य-निषेध को लागू किया गया है, अर्थात्, मद्य-निषेध वाले क्षेत्रों में, मजदूरों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है और उनके परिवार और सामाजिक जीवन से अनेक बुराइयां हट गई हैं और यदि ऐसा है तो, उन स्थानों में जहां मद्य निषेध लागू नहीं है, इसको लागू करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य की यह बात बिल्कुल सही है कि जहां भी मद्य-निषेध को लागू किया गया है, मजदूरों की दशा में निश्चय ही सुधार हुआ है । इस नीति को क्रियान्वित करने का एक मुख्य कारण भी यही है । जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, उन क्षेत्रों को मद्य-निषेध वाले क्षेत्रों में बदलने के लिये टेकचन्द समिति ने एक योजनाबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश की है ।

श्री कंडप्पन : मद्य-निषेध की नीति को क्रियान्वित करने के लिये अनइच्छुक राज्यों से पूछने से पूर्व, क्या संघ सरकार अपने ही राज्य क्षेत्रों में इस नीति की क्रियान्विति द्वारा एक मिसाल कायम करने के लिये तैयार है ? ऐसा करने में सरकार के मार्ग में क्या रुकावटें हैं ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य की बात सही है । जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हम पग उठा रहे हैं । परन्तु यह एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है । अन्ततोगत्वा, हमें वहां के लोगों की सामाजिक दशा को देखना है । हम इसको बिल्कुल एकदम नहीं कर सकते हैं (**व्यवधान**) ।

Shri Brij Bihari Mehrotra : Lakhs of rupees have been spent on the Tek Chand Report. May I know whether on the basis of this report, Government propose to enforce prohibition at the latest by Gandhi Centenary celebrations ?

Shri Hathi : We shall certainly consider the suggestion given in the Report.

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether the number of drunkards has increased or decreased in this country since the Government launched this prohibition scheme and if their number has increased, the use of enforcing probibition ?

Shri Hathi : There is no denying the fact that with the increase in population in the country their number has also increased.

Shri Ram Sewak Yadav : Give the percentages of both.

Shri Hathi : Why is it necessary ? One thing is clear that the working class has definitely benefitted from prohibition and there is no doubt about it. But simply passing the Bill will not do, formation of public opinion is also necessary for this purpose and we should try to form it.

सीमा सुरक्षा सेना (बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स)

*841. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सीमा सुरक्षा सेना संगठन में प्रशिक्षण, भर्ती तथा कार्यकुशलता का उचित स्तर बनाये रखने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : केन्द्रीय सीमा सुरक्षा सेना संगठन को कार्य कुशलता के उचित स्तर पर लाने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं । भर्ती, प्रशिक्षण तथा कार्य कुशलता का उचित स्तर बनाये रखने के लिये आवश्यक मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ताकि सीमा की सुरक्षा के काम में यह संगठन प्रभावी ढंग से योगदान दे सके ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या अब सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में केन्द्रीय सुरक्षा बल (सेना) के लोगों को तैनात किया गया है या अब भी क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां उनको तैनात नहीं किया गया है; यदि हां, तो उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सम्पूर्ण भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (सेना) तैनात है ।

श्री श्रीनारायण दास : उत्तर प्रदेश और विहार के गिर्द कुछ सीमाएं हैं। मैं जानता हूँ कि क्या उस क्षेत्र में भी केन्द्रीय सुरक्षा बल है या अब भी वहां पर राज्य की पुलिस है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उत्तर प्रदेश और बिहार की पाकिस्तान के साथ सामूहिक सीमा नहीं है।

श्री श्रीनारायण दास : प्रश्न सीमा सुरक्षा बल से सम्बन्धित है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वहां पर राज्य पुलिस को तैनात किया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सीमा सुरक्षा बल केवल भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तैनात है न कि भारत-चीन सीमा पर।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने विशेष जोखिम उठाई हैं और बहुत ऊँचाई पर और दूर के क्षेत्रों में सामाजिक और सफाई की उचित सुविधाओं के बिना भी कड़ी कठिनाइयों को झेला है; क्या सरकार ने उनके भत्तों, वेतन और कपड़ा और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में वृद्धि करने की वांछनीयता पर विचार किया है; यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या विशेष उपबन्ध किए गए हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये सब बातें बिल्कुल संतोषजनक हैं। इन मामलों के सम्बन्ध में हमें कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री रंगा : यह शिकायतों के प्राप्त होने के प्रश्न नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने स्वयं इसके बारे में विचार किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने पहले ही कह दिया है कि ये सब बातें बिल्कुल संतोषजनक हैं और यह कि अब तक इस मामले के बारे में हमें कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

Shri M. L. Varma : Is it not a fact that there is disparity in respect of the salaries, weapons and dresses of the Border Forces of one State and the other State ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is to remove these disparities that a unified Border Security Force has been constituted. Now there is no disparity with respect to these things.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या भारत-पाकिस्तान सीमा के इन क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल और सेना में कोई संपर्क है और क्या वहां से राज्य पुलिस को पूरी तरह से हटा लिया गया है या उन क्षेत्रों पर उनका कोई दायित्व है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं और सीमा सुरक्षा बल में पूरा संपर्क है। जहां तक राज्य पुलिस का सम्बन्ध है, सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी कोई राज्य पुलिस नहीं है और इन सबकी देखभाल सीमा सुरक्षा बल की एकीकृत कमान द्वारा की जाती है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : सीमा सुरक्षा बल में कितने प्रतिशत स्थानीय लोग लिये जाते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक अलग सवाल है। इसका उत्तर देने के लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रतिरक्षा मंत्री ने इस सभा में कुछ दिन पहले सूचना दी थी कि आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों की बड़ी संख्या में लामबन्दी की जा रही थी। क्या सीमा सुरक्षा बल के बड़े सैनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन सैनिक अधिकारियों के सैनिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उनको बड़ी से बड़ी संख्या में सीमा सुरक्षा बल में अधिकारियों के रूप में लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां; हम सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों, या सेवा कर रहे अधिकारियों को भी सीमा सुरक्षा बल में बड़ी संख्या में ले रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi : Are Government aware that the Border Security Force people are doing oppressive and immoral activities in those areas as a result of which the villagers there feel very much embarrassed, if so, the action being taken by Government ?

Shri Vidya Charan Shukla : This is absolutely wrong.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि सीमा सुरक्षा बल हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिये है; और यदि हां, तो क्या सरकार यह जानती है कि राज्य सरकारें उन्हें राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करने देने की बजाय उन्हें भूखे आन्दोलनकारियों पर गोलीबारी करने के लिये बुलाती रहती है जैसाकि उन्होंने शिलाँग (आसाम) में किया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता, अतः मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूँ। श्री श्यामलाल सर्राफ।

श्री हरि विष्णु कामत : सीमा सुरक्षा बल के विशेष कार्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री श्यामलाल सर्राफ को पुकारा है।

श्री हरि विष्णु कामत : अनुमति न देने के लिये आपको उचित कारण बताना चाहिये।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने गृहरक्षी नामक एक संगठन बनाया है। क्या यह संगठन सीमा सुरक्षा बल का ही अंग है और यदि नहीं, तो इन्हें क्या कार्य सौंपा गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा रखे गये गृहरक्षी सीमा सुरक्षा बल का अंग नहीं है। मुझे इस बात का पता नहीं है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने उन्हें क्या कार्य सौंपा है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : सरकार उन्हें राज्य सहायता दे रही है तो इसे उनका पता भी रखना चाहिये।

श्री स्वैल : सीमा सुरक्षा बल के लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों से भेजने से पहले क्या उनका किसी प्रकार का मानसिक पुनर्विन्यास किया जाता है जिससे जब वे सीमावर्ती क्षेत्रों में जायं तो वे वहां के लोगों को अपने मित्र समझें और वे वहां पर गोली में विश्वास रखने वाले लुटेरों की तरह व्यवहार न करें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाता है और वे सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के साथ बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से पेश आते हैं ।

श्री स्वैल : यह एक बहुत ही विवाद्य विषय है ।

Shri R. S. Pandey : Is it not a fact that the people residing in our border areas apply for rifles for the security of our borders but these are not supplied to them ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता ।

Shri Bade : The Hon. Minister has just stated that there is Border Security Force on Indo-Pak borders, may I know whether any such arrangements exist on Sino-Indian borders also ?

Shri Vidya Charan Shukla : No such arrangements exist there; the arrangements there are different ones.

उर्वरक कारखाना, हल्दिया

\+

*842 **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी' से हल्दिया में प्रस्तावित उर्वरक कारखाने के बारे में अपने प्राक्कलनों का पुनरीक्षण करने तथा उनको घटाने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में यह बात कही गई है; और

(ग) इस बारे में कम्पनी की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रारम्भिक जांच पर पूंजी लागत के प्राक्कलन बहुत अधिक और आयोजित क्षमता कुछ कम पाई गई ।

(ग) कम्पनी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : उर्वरक सम्बन्धी भारतीय शासक दल ने, जिसने हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा का दौरा किया है, रिपोर्ट दी है कि विदेशी नियोजकों को कुछ हिचकिचाहट है क्योंकि उनको शंका है कि यह नीति सदा नहीं अपनाई जाती रहेगी और वे देखते हैं कि

भारतीय नेताओं में आपसी मतभेद हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस परियोजना के बारे में भी यही हिचकिचाहट और भावना है ?

श्री इकबाल सिंह : भारतीय दल ने संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा तथा फ्रांस का दौरा तो जरूर किया था। हमने अपनी स्थिति विस्तारपूर्वक स्पष्ट कर दी है। इसीलिए तो अब इतने अधिक प्रस्ताव आ रहे हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस परियोजना की लागत और क्षमता क्या है ? क्या यह सच नहीं है कि यद्यपि प्रस्तावित लागत बहुत अधिक है किन्तु प्रस्तावित क्षमता बहुत कम है ?

श्री इकबाल सिंह : फिल्लिप्स कम्पनी के अनुसार इस पर 8 करोड़ रुपये लागत आयेगी और नाइट्रोजन के मामले में इसकी क्षमता 1,25,000 टन होगी। यह एक काम्लैक्स उर्वरक संयंत्र होगा। पी० 205 किस्म का उर्वरक 79,000 टन होगा और के 2 किस्म का 26,000 टन होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : सरकार ने फिल्लिप्स पेट्रोलियम कम्पनी को प्राक्कलन का पुनरीक्षण करने तथा इसे कम करने के लिये कहा है। सरकार ने कितने प्रतिशत कम करने के लिये कहा है और पुनरीक्षण क्या केवल उत्पादन के सम्बन्ध में होगा अथवा डिजाइन बनाने तथा अन्य चीजों में भी होगा ?

श्री इकबाल सिंह : यह प्रस्ताव एक गैर-सरकारी पक्ष का है। डिजाइन बनाने तथा अन्य चीजों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यह उनका एक आरम्भिक प्रस्ताव है। इसके बारे में भी हमने यह कहा है कि लागत अधिक है और क्षमता कम है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने पूछा था कि सरकार ने कितने प्रतिशत कमी के लिए कहा है.....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर दे दिया गया है। आप कृपया बैठ जायें।

डा० रानेन सेन : जब सरकार फिल्लिप्स पेट्रोलियम कम्पनी से बातचीत करती रही थी तब क्या सामान, मूल्य और विपणन अथवा इस संयंत्र में निर्मित उर्वरक का वितरण करने की व्यवस्था के बारे में कोई शर्तें रखी गई थीं और यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ?

श्री इकबाल सिंह : उन्होंने अपने आरम्भिक प्रस्ताव में शर्तों का विस्तार पूर्वक उल्लेख नहीं किया है। उनका एक शिष्ट मंडल यहां आया और इस मंत्रालय के अधिकारियों से मिला। हमने उनके प्रस्ताव की जांच की है और हमें मालूम हुआ है कि हमें यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लागत बहुत अधिक है और क्षमता बहुत कम है। अतः हमने उन्हें एक पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजने के लिए कहा है। जब हमें पुनरीक्षित प्रस्ताव मिल जायेगा तो हम उसकी जांच करेंगे। ये विस्तार की बातें हैं।

डा० रानेन सेन : मेरा प्रश्न यह था कि क्या निर्मित सामान, मूल्य, वितरण व्यवस्था आदि के बारे में कोई शर्तें रखी गई थीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उन्हें अग्रेतर ब्योरा देने के लिए कहा है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The Government has given a number of unjust concessions to the foreign petroleum companies in regard to pricing and distribution, but has Government ever taken note of this thing that despite there unjust concessions, the petroleum companies give higher estimates to us than those given in other countries as the Phillips company has given an estimate of Rs. 20 crores for a fertilizer plant in Ceylon and Mexico, they have given us an estimate three times more, i.e. Rs. 60 crores for a fertilizer plant of the same capacity ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : यह सच है कि विदेशों से गैर-सरकारी पूंजी को आकर्षित करने के लिए हमने कुछ रियायतें दी हैं । हमने संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा को एक शिष्टमंडल भेजा था । इसके परिणामस्वरूप केवल यही एक प्रस्ताव है जो हमें प्राप्त हुआ है और जैसा कि मेरे साथी ने अभी बताया यह बहुत लागत वाला प्रस्ताव है और इसलिए हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : इसका क्या कारण है कि मैक्सीको में संयंत्र के लिए तो उन्होंने 20 करोड़ रुपये का प्राक्कलन दिया है और यहां उतनी ही क्षमता वाले संयंत्र के लिए उससे तिगुना अर्थात् 60 करोड़ रुपये का प्राक्कलन दिया है ।

श्री अलगेसन : मुझे अन्य स्थानों पर इस संयंत्र की लागत के बारे में पूरा पता नहीं है । मुझे माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित देश के बारे में भी पता नहीं है । परन्तु मुझे बताया गया है कि तैवान में लागत भारत में लागत से आधी है । इसका एक कारण यह बताया गया है कि भारत आयात-शुल्क बहुत अधिक लेता है । मेरे पास इस बारे में ब्योरेवार जानकारी नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में मैं और कुछ नहीं कह सकता । परन्तु दुर्गापुर और कोचीन संयंत्रों की लागत की तुलना में इस संयंत्र की लागत बहुत अधिक है तथा नाइट्रोजनी उर्वरक तथा अमोनिया के संदर्भ में इसकी क्षमता कम है । कम क्षमता होने के बावजूद दुर्गापुर तथा कोचीन संयंत्रों की लागत की तुलना में इसकी लागत बहुत ही अधिक है । हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और इसीलिए हमने उन्हें इसे पुनरीक्षित करने के लिए कहा है ।

श्री यलमंदा रेड्डी : इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अन्य देशों से गैर-सरकारी उर्वरक संयंत्रों की भीख मांगना बन्द करना तथा कम से कम इस मामले में केवल देश में होने वाले उत्पादन पर निर्भर रहना चाहती है ?

श्री अलगेसन : जैसा कि सभी को मालूम है, रियायतें केवल ऐसी कम्पनियों को दी गई हैं जिन्होंने प्रस्ताव किया है और जिनको मार्च, 1967 तक अधिकार पत्र दिये जाने हैं । यदि कोई कम्पनी अथवा प्रस्ताव रियायतें प्राप्त करने की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो यह

एक स्वभाविक बात है कि वे इन रियायतों के पात्र नहीं होंगे। भीख मांगने की कोई बात नहीं है। यह तो विदेशी मुद्रा की कमी का, जिसको पूरा करने के लिए हम विदेशी पूंजी को आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रश्न है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार का ध्यान उर्वरक निगम के अध्यक्ष द्वारा पिछले पखवाड़े में प्रेस को दिये गये इस बयान की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे देश के छः विभिन्न स्थानों पर छः विभिन्न एकक स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। वे तो हैरान हैं कि हम क्यों विदेशी सहयोग प्राप्त करने जा रहे हैं। केवल 20 लाख टन उर्वरक की आवश्यकत को पूरा करने के लिए हमें विदेशी सहयोग की क्या आवश्यकताा है। इस समय हम 10 लाख टन उर्वरक तैयार कर रहे हैं और हम अपनी क्षमता बढ़ाकर अपेक्षित मात्रा में उर्वरक तैयार कर सकते हैं।

श्री अलगेसन : वास्तव में, इस प्रश्न का उत्तर उस समय दिया जायेगा जब ध्यान दिलाने वाली सूचना को लिया जायेगा। परन्तु मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हूं। प्रेस सम्मेलन तथा इस सम्बन्ध में समाचारों के बारे में अध्यक्ष ने, जिसने सम्मेलन किया था, मुझे आश्वासन दिया है कि उनके बयान को उचित रूप में प्रतिवेदित नहीं किया गया **(अर्न्तबाधाएं)**। वह हमारे अधिकारियों को कुछ स्वाधीनता दें ; उन्हें किसी व्यक्ति से डरने का कोई प्रश्न नहीं है ; कोई भी व्यक्ति उनकी भर्त्सना नहीं करने जा रहा है।

यह सच है कि हमने अब देश में तकनीकी क्षमता का विकास कर लिया है जिससे हम एक ही समय में विभिन्न अवस्थाओं में पांच अथवा छः परियोजनाओं की देखरेख कर सकते हैं, परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि नाइट्रोजन के मामले में 10 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले एक उर्वरक कारखाना लगाने पर लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और लगभग 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमारे पास इतना अधिक धन है तो हम निश्चय ही ऐसा कर सकते हैं। परन्तु चूंकि चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बाहर से पूंजी मंगा कर इस कार्य को पूरा करने हेतु, जो हम स्वयं अपनी विदेशी मुद्रा द्वारा कर सकते हैं, हम बाहर से गैर-सरकारी पूंजी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : फिल्लिप्स पेट्रोलियम कम्पनी को प्रस्तावित हल्दिया उर्वरक कारखाना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण करने तथा इसे कम करने के लिए कहते हुए, क्या सरकार ने कोई भारतीय सलाहकार नियुक्त कर उन्हें एक योजना बनाने तथा प्राक्कलन तैयार करने के लिए कहा था जैसा कि बोकारों इस्पात कारखाने के मामले में दस्तूर एण्ड कम्पनी को नियुक्त किया गया था और यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय सलाहकारों द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों की तुलना में फिल्लिप्स पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन अधिक पाये गये अथवा क्या सरकार ने बिना किसी आधार पर इनमें कटौती करने के लिए कहा है ?

श्री अलगेसन : मैंने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है। मैंने कहा कि लागत का

हिसाब लगाने के लिए किसी विदेशी सलाहकार की आवश्यकता नहीं है। हम दो परियोजनाओं अर्थात दुर्गापुर तथा कोचीन का पहले ही निर्माण कर रहे हैं। इनके प्राक्कलन आदि हमारे अपने लोगों द्वारा ही तैयार किए गये हैं। उनकी तुलना में, यद्यपि क्षमता कम है, प्रस्तावित हल्दिया कारखाने की लागत, बहुत ही अधिक है। अतः इसके लिये किसी विशेष सलाहकार अथवा किसी विशेष कार्य की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। इसको देखने से ही मालूम हो गया कि लागत बहुत अधिक है अतः हमने प्रस्ताव वापस भेज दिया।

श्री मुथिया : क्या सरकार को किसी विदेशी कम्पनी से, चाहे यह संयुक्त राज्य में हो अथवा कनाडा में, कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जब तुर्तीकोरिन में एक उर्वरक कारखाने के लिए एक शासकीय दल वहां गया था ?

श्री अलगेसन : मेरे विचार में पुस्तिका में, जो विदेश गये उर्वरक शिष्टमंडल द्वारा वितरित की गई थी, उल्लिखित स्थान में से तुर्तीकोरिन भी एक स्थान था। तुर्तीकोरिन में कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में हमें अभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

गंगानगर जिले (राजस्थान) में भूमि का आवंटन

*843. **श्री मधु लिमये** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के पुनर्वास विभाग ने राजस्थान के गंगानगर जिले में लगभग 16,000 ऐसे शरणार्थी परिवारों को भूमि आवंटित की थी, जो दावेदार नहीं थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त विभाग इन शरणार्थियों से 450 रुपये "प्रति स्टैन्डर्ड एकड़" की दर से उस भूमि का मूल्य मांग रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अलवर तथा भरतपुर जिलों की भूमि के सम्बन्ध में केन्द्र ने उस राज्य की सरकार के साथ एक विशेष व्यवस्था की है, जिसके फलस्वरूप मूल्य घटकर 150 रुपये प्रति एकड़ हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस भेद-भावपूर्ण वर्ताव के परिणामस्वरूप गंगानगर में बसे विस्थापित व्यक्तियों में बहुत क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां। गंगानगर जिले में लगभग 16,000 विस्थापित व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी। इनमें से 10,487 गैर-दावेदार थे और 5763 दावेदार थे।

(ख) जी, हां, गैर-दावेदार अलाटियों को विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार 450 रुपये "प्रति स्टैन्डर्ड एकड़" की दर से उस भूमि का मूल्य देने के लिये कहा गया है ।

(ग) अलवर और भरतपुर जिलों की निश्क्रान्त कृष्य भूमि राजस्थान सरकार को 1 करोड़ रुपये के एक मुश्त सौदे में तदर्थ आधार पर हस्तान्तरित कर दी गई थी । यह ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने राजस्थान भू-मालगुजारी अधिनियम, 1956 के अधीन नियम बनाये हैं जिनके अनुसार अलाटी को "प्रति स्टैन्डर्ड एकड़" 150 रुपये की दर से भूमि का मूल्य देना होगा ।

(घ) इस मामले में कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार अपने अलाटियों से निश्क्रान्त कृष्य भूमि के लिए एकसार दर 450 रुपये "प्रति स्टैन्डर्ड एकड़" लेती रही है। जहां तक गंगानगर जिले का सम्बन्ध है, वहां की भूमि बहुत उच्च कोटि की है, सिंचाई सुविधायें हैं और जब भी इस भूमि का नीलाम किया गया है, इसका मूल्य "प्रति स्टैण्डर्ड एकड़" 2,000 रुपये से 3,000 रुपये तक मिला है ।

(ङ) इसलिये गंगानगर जिले में अलाटियों को किसी कठिनाई का अनुभव करने का प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye : May I know the number of Harijans and the people belonging to backward classes among the displaced persons rehabilitated in Ganganagar ? Can details be given about them ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मुझे खेद है कि मैं केवल उन लोगों की, जिनको भूमि दी गई है, कुल संख्या ही बता सकता हूं । मुख्य उत्तर में यह पहले ही बता दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि उनमें हरिजन और पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि जाति के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

Shri Madhu Limaye : There is a lot of discontentment among the farmers and displaced persons in Ganganagar district. Will Government give grant to them whereby the price of the land is reduced ?

श्री दा० रा० चह्वाण : सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये इस आरोप का खण्डन करता हूं कि गंगानगर जिले में बसे विस्थापित व्यक्तियों में क्षोभ और असंतोष व्याप्त है । उनकी जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि गैर-दावेदारों को कुल 1,43,000 एकड़ भूमि आवंटित की गई है । इसका मूल्य 4.46 करोड़ रुपये होगा । इनमें से लगभग 2.90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और 1.56 करोड़ रुपये अभी बाकी हैं । लगभग 2000 व्यक्तियों ने पहले ही सारी रकम चुका दी है और उन्हें सनदें दे दी गई हैं ।

Shri P. L. Barupal : Sir, lands were allotted to about 4,000 Harijan families in Ganganagar district. As they did not pay the instalments, Government has now decided to prolong the recovery period. May I know whether Government is contemplating to give them some concession in regard to the interest also ?

श्री दा० रा० चह्वाण : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार हरिजन परिवारों को दी गई भूमि के मूल्य को कम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । क्योंकि गंगानगर में उनकी दशा बहुत दयनीय है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : स्थिति यह है कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के अन्तर्गत जो दर निश्चित की गई है वह 450 रुपये प्रति स्टैण्डर्ड एकड़ है । भूमि की किस्म तथा गंगानगर में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये, मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि यह भूमि सस्ती दर पर दी गई है ।

Shri Sheo Narain : How much land has been allotted to each family of refugees settled in Ganganagar ?

श्री दा० रा० चह्वाण : भूमि का आवंटन परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर किया गया है । परिवार के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुये औसत 8 और 15 एकड़ के बीच भूमि दी गई है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : It is a fact that land has been allotted to one or more Members of Parliament in Ganganagar district in spite of the fact that they are not displaced persons and if so, the reasons therefor ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसी माननीय सदस्य ने गंगानगर में भूमि खरीदी है । यदि माननीय सदस्य मुझे किसी सदस्य विशेष का नाम बतायें अथवा मुझे लिखें तो मैं जानकारी दे दूंगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहां तक सही है कि गरीब हरिजन अपनी जीविका नहीं कमा सकते हैं और उनको दो समय भोजन भी नहीं मिल रहा है तथा उनसे संविहित दर से मूल्य लिया जा रहा है ? यदि माननीय मंत्री के लिये मूल्य घटाना सम्भव नहीं है तो क्या वह ऋण अथवा अनुदान के रूप में उन्हें कुछ धन देने हेतु कोई योजना बनाने की चेष्टा कर रहे हैं जिससे वे मूल्य का भुगतान कर सकें और भूमि अपने पास रख सकें ?

श्री दा० रा० चह्वाण : स्थिति यह है कि पहले ही एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत जब किसी को भूमि का आवंटन किया जाता है तो उसे भूमि के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करना पड़ता है और शेष राशि का भुगतान उसे वार्षिक किस्तों में 15 वर्ष में करना पड़ता है और ब्याज की दर शून्य और 4.5 प्रतिशत के बीच ली जाती है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Are Government contemplating to get the cultivable land lying unsown in other Districts of this State allotted to the landless people and agricultural labourers as lands have been allotted to the displaced persons in Ganganagar district ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह भिन्न प्रश्न है ।

Shri Tulsidas Jadhav : Whether any assistance for purchase of bullocks etc. has also been given to them alongwith the land, and if so, how much ?

श्री दा० रा० चह्वाण : कृषि योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ राज्य योजना/योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं और ये लोग कृषि योजनाओं के अन्तर्गत आयेंगे ।

Shri Bagri : All these people to whom lands have been allotted in Ganganagar district, belong to backward classes and their plight is miserable. May I know whether Government want to uproot these people again by recovering the cost of the land or it want to adopt some other method thereby they may retain that land and if any other method has been found, what is that ?

श्री दा० रा० चह्वाण : यह भूमि उन्हें स्थायी मलकियत के आधार पर दी जा रही है। अत: उजाड़ने का कोई प्रश्न नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 844 के बारे में

Re : **S. Q. No. 844**

श्री अ० क० गोपालन : क्या आप उन्हें अगले प्रश्न संख्या 844 का उत्तर देने के लिये कहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देने के लिये तैयार हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । अल्प संख्या प्रश्न ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नम्बियार : माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये तैयार हैं ।

Shri Bagri : If the Hon. Minister is prepared to answer, what objection you have got ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अल्प सूचना प्रश्न ले लिया है । वह उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, अल्प सूचना प्रश्न के सन्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे एक उपरिमुद्रित फार्म मिला है जिस पर दोनों ओर एक ही प्रश्न छपा हुआ है और इसके साथ-साथ दोनों ओर पांच रुपये का नोट भी छपा हुआ है । मैं नहीं जानता कि यह किन विचित्र परिस्थितियों में हुआ । दोनों सरकारी प्रेसों में, चाहे यहां अथवा नासिक में, कोई गड़बड़ है । यदि आप चाहें तो मैं यह फार्म सभा-पटल पर रख दूंगा ।

श्री हेम बरुआ : श्री कामत को इसे सभा-पटल पर रखने के लिये कहा जाये ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I have also got one note which has become blank after a wash.

उपाध्यक्ष महोदय : पूर्व सूचना दिये बिना ये सभी प्रश्न नहीं उठाये जा सकते ।

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question

अलौह धातुओं का प्रयोग

+

अ० सू० प्र० 33 श्री मधु लिमये :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलौह धातुओं के "औद्योगिक" और "वाणिज्यिक" प्रयोग शब्दों की व्याख्या की है ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई में कमानीज, इण्डिया स्मैल्टिंग और देवीदयाल ने 1962-63 में अपना-अपना कोटा 40 प्रतिशत बढ़वा लिया था जबकि छोटे उपभोक्ताओं-दस्तकारों का कोटा कम कर दिया गया था ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि ये तीन बड़े उपभोक्ता पीतल और तांबा छोटे उपभोक्ताओं को उस मूल्य से दुगने मूल्य पर बेचते रहे हैं जो छोटे दस्तकार-आयातकर्ता अपने-अपने आयात के कोटे के लिये देते रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार को विदित है कि ये तीन बड़े उपभोक्ता आयात किये हुये अपने तांबे और जस्ते का, वाणिज्यिक कार्यों, जैसे स्नानागार में लगाई जाने वाली वस्तुयें, सीढ़ी, के लिये दुरुपयोग करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) 1962 में आवंटन प्रयोजन के लिये वेल्लित अलौह-धातु पदार्थों का "औद्योगिक" एवं "वाणिज्यिक" श्रेणियों में विभाजन किया गया। औद्योगिक उपजों में इंजीनियरिंग उद्योग में प्रयोज्य शीत-वेल्लित तथा संवृत सहिष्णुता वाला पहिया शामिल है। वाणिज्यिक उपजों में गौण कार्यों जैसे बर्तन बनाने तथा इमारती लौह भाणों के बनाने के लिये आवश्यक ऊष्म वेल्लित चद्दरें, वृत्त आदि आते हैं।

(ख) तत्कालिक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 1962 में कमानी, देवीदयाल तथा इंडियन स्मैल्टिंग एण्ड रिफाइनिंग कम्पनी का कोटा बढ़ा दिया क्योंकि केवल यह ही इंजीनियरिंग उद्योग में प्रयोज्य संवृत सहिष्णुता वाली औद्योगिक श्रेणी के पदार्थों का उत्पादन कर रहे थे। चीनी अभ्याक्रमण के उपरान्त वाणिज्यिक श्रेणी के वेल्लित पदार्थों का कोटा 30 प्रतिशत कम करने का निर्णय किया गया है क्योंकि यह आवश्यक हो गया कि अलौह धातुएं यथासम्भव वास्तविक औद्योगिक कार्यों के लिये ही प्रयोग में लाई जायें। लघु अनुमाप उद्योग क्षेत्र इस कमी से प्रभावित हुआ क्योंकि उसमें मुख्यतः वाणिज्यिक श्रेणी के वेल्लित पदार्थ बनते थे।

(ग) जिन उत्पादकों की ओर संकेत किया गया है उन्हें केवल इंजीनियरिंग उत्पादन में लगे हुये उपभोक्ताओं के प्रयोजनार्थ औद्योगिक श्रेणी के वेल्लित पदार्थों का उत्पादन करना

पड़ता है। इन उत्पादकों से उत्पादन एवं विक्रय के मासिक विवरण मंगवाये जाते हैं जिनकी तकनीकी विकास के महानिदेशक द्वारा इस दृष्टि से जांच की जाती है कि केवल औद्योगिक श्रेणी के वेल्लित पदार्थ ही बनाये गये हैं तथा वास्तव में इंजीनियरिंग उद्योग को बेचे गये हैं न कि बर्तन या लौह भाण्ड बनाने वालों को। किसी भी अर्ध संविरचित पदार्थ पर मूल्य नियंत्रण नहीं है तथापि उत्पादकों को उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं के मूल्य को विज्ञापित करने के लिये आदेश दिये गये हैं। अत्यधिक मूल्य लिये जाने की कोई विशेष शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

(घं) जिन उत्पादकों की ओर संकेत किया गया है वे स्नानागार उपकरण, या लौह-भाण्ड आदि नहीं बनाते हैं। वे केवल औद्योगिक प्रयोजनों के लिये औद्योगिक श्रेणी के पदार्थों को बनाते हैं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा।

Shri Madhu Limaye: Mr. Deputy Speaker, I rise on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

Shri Madhu Limaye: The question will be dispensed within two supplementaries. These supplementaries are meant for information but what will be done for unfolding the lie? Recently, a delegation from Poona, met Shri Sanjivayya and lodged a complaint in this regard. Where is Shri Sanjivayya? Let me first of all know as to why is this wrong information being given by the Hon. Minister? I shall ask my question after that.

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। ये प्रश्न यहां नहीं उठाये जा सकते हैं।

Shri Madhu Limaye: He has said that they do not have a definite complaint.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह सब कैसे सहन कर सकता हूँ। कृपया अब अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

Shri Madhu Limaye: When shall I put the question? Today is the last day of this Session.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह सूचना देते हैं, तो उन्हें सूचना लेनी भी चाहिये। यदि वह सन्तुष्ट न हों तो उन्हें दूसरे कदम उठाने चाहिये।

Shri Madhu Limaye: He is passing on wrong information, he should furnish correct and precise information. Privilege Motion will, of course, follow in 115. I put my question now.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : श्रीमान, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह प्रश्न खान तथा धातु के अन्तर्गत कैसे आ सकता है? मंत्री महोदय ने स्वयं उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय के निर्णयों का उल्लेख किया। अत: इसे उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए, ताकि सम्बन्धित मंत्री इसका उत्तर दें। वह यहां नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye: I have addressed this question in the name of Shri Sanjivayya.

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय उन्हीं के मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और वह इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री लिमये, आप अपना प्रश्न पूछिये।

Shri Madhu Limaye : I addressed it in the name of Shri Sanjivayya, how has this change been brought about ? Mr. Deputy Speaker, my question is ....

श्री हरि विष्णु कामत : ये प्रश्न किसने दिये ? क्या यह आपका अथवा सचिवालय का उत्तरदायित्व नहीं है ? क्या यह सब उत्तरदायित्व मंत्री महोदय स्वयं उठाते हैं या कोई अन्य व्यक्ति यह सब करता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊँगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न का अधिकांश भाग कोटे के सम्बन्ध में है। यह अलौह धातुओं के निर्माण का प्रश्न नहीं है। प्रश्न विभिन्न उद्योगों तथा वाणिज्यिक केन्द्रों को दिये गये कोटे का है। अत: यह वास्तव में उद्योग मंत्री का उत्तरदायित्व है।

श्री रंगा : यह स्थगित हो सकता है।

Shri Madhu Limaye : When will you take decision on this ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसके लिये कोई समय नहीं है। आप चाहें तो इसे दूसरे सत्र के लिये रख सकते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। श्री लिमये, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये। मैं कोई संरक्षण नहीं दे सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं कोई संरक्षण नहीं चाहता। मेरा प्रश्न बहुत साधारण-सा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। श्री लिमये, अपना प्रश्न पूछिये।

श्री स० मो० बनर्जी। आज आखरी दिन है। हमें परस्पर सहनशील होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस प्रकार सभा की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है। कृपया बैठ जायें।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहें तो इसे दूसरे सत्र के लिये रख सकते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, the Hon. Minister has admitted in his statement that the quota of these companies was increased. I would like to know from the Hon. Minister as to how much donation was made to the Congress Party under Company Law or otherwise after 1962 by the companies ?

Shri Sheo Narain : Did he also get it ?

Shri Madhu Limaye : He should sit down, I am not asking from him but I am asking from the Hon. Minister. (**interruption**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी बैठ जायें ।

श्री पें० वेकटासुब्बटया : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Deputy Speaker, please ask him to quote the rule under which he is raising a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है ।

Shri Ram Sewak Yadav : I may submit Mr. Deputy Speaker, you did not allow Shri S. M. Banerjee to raise a point of order.....

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : पीठासीन होने के बाद आप पक्षपात नहीं कर सकते । (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : I would like to know whether any donation has been made by these three Companies to the Congress under Company Law or otherwise and whether their quota was increased on that ground ? The Hon. Minister should reply appropriately.

श्री सु० कु० डे : मैं इस सुझाव को अस्वीकार करता हूँ ।

Shri Madhu Limaye : He stated that the quota was increased but what was the reason for increasing the quota ?

श्री सु० कु० डे : वास्तव में, इन तीनों फर्मों का कोटा 40 प्रतिशत बढ़ाया गया है । मुझे इसके कारणों पर प्रकाश डालने दीजिये ।

क्योंकि औद्योगिक चादरों के उत्पादन के लिये ऊँचे दर्जे के आधुनिक उपकरणों और तकनीकी जानकारी की आवश्यकता थी, अतः कोटा बढ़ाया गया है । इन तीनों फर्मों में ही यह काम बड़े पैमाने पर हो रहा था तथा जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, सरकार के प्रोत्साहन देने पर तथा पहल करने पर उन्होंने डी०एल०एफ० के अन्तर्गत आधुनिक उपकरण प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयत्न किया ताकि औद्योगिक स्तर का उत्पादन हो सके । कोटे के वितरण का चन्दे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : This is irrelevant. I would like to know whether subscriptions were made or not ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । वह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

Shri Madhu Limaye : I shall abide by your ruling. Have you disallowed it ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां ।

Shri Ram Sewak Yadav : You are taking side or indulging in partiality.

Shri Madhu Limaye : I shall, however, abide by your ruling. My second question is that he has differentiated industrial use from commercial use and has said that these three firms use their Zinc and Copper for industrial purposes, whereas the fact is quite contrary to this and I can produce an advertisement certified by the Hon. Minister himself, wherein it has been stated that things like Staircases and bath-room fittings for richmen are manufactured by these companies. I would like to know from the Hon. Minister whether they are going to ruin those poor craftsmen, who deal in utensils of copper and zinc, on the pretext of industrial and commercial uses as they have ruined 5 lakh families of Goldsmiths by introducing Gold control law ? I am placing this certified advertisement on the Table of the House.

These big firms misuse the imported copper and zinc in commercial use for purposes of bath-room fittings and staircases,

Shri Bagri : This should be kept on the Table of the House.

Shri Madhu Limaye : I am placing this certified advertisement on the Table of the House under regulation 369 [**Placed in Library. See No. L. T.-7103/66**] I would like to know whether these big firms are meant for manufacturing bath-room fittings and staircases for rich people and the Government are driving those middle class or low class craftsmen, who are engaged in preparing utensils, to the point of annihilation by refusing them their proper quota ?

श्री सु० कु० डे : श्रीमान, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा उत्तर नहीं समझ पाये । मैंने स्पष्ट किया था : "जिन उत्पादकों की ओर संकेत किया गया है वे स्नानागार उपकरण या लौहभाण्ड आदि नहीं बनाते हैं । वे केवल औद्योगिक प्रयोजनों के लिये औद्योगिक श्रेणी के पदार्थों को बनाते हैं ।"

ये कम्पनियां अपने उत्पादन तथा सम्भरण का मासिक ब्योरा तकनीकी विकास के महा निदेशक को भेजते हैं । तकनीकी विकास के महानिदेशक द्वारा इनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है । यदि कहीं किसी प्रकार की अनियमितता हो और माननीय सदस्य मुझे इसकी जानकारी दें, तो मैं निश्चयतः इस पर विचार करूँगा और उसे दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाऊँगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री लिमये उस दस्तावेज को सभा-पटल पर रखें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान, यह स्पष्ट है कि मंत्री महोदय ने बिल्कुल झूठ कहा है । पहले तो उन्होंने सभा को गुमराह किया है। हमने उन्हें स्पष्ट कहते सुना है कि ये कम्पनियां स्नानागार उपकरण नहीं बनाती हैं । यह सिद्ध हो चुका है कि वे इन्हें बना रही हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं । वह दूसरी तरह इस प्रश्न को उठा सकती हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इससे प्रकट होता है कि फर्म ने कांग्रेस पार्टी को चन्दा दिया है .....**(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि ये कम्पनियां, जैसा कि श्री मधु लिमये ने कहा, अपने कोटे का दुरुपयोग कर रही हैं ।

क्या यह सच है कि उद्योग मंत्रालय द्वारा 'हिन्दुस्तान बैरल्स' नामक एक कम्पनी को पिछले तीन वर्षों से काली सूची में रखा गया है, परन्तु आज भी उस कम्पनी को उसका कोटा बराबर मिल रहा है क्योंकि यह कम्पनी एक बड़े नेता श्री जालान की है जिसने कांग्रेस को मोटी रकम दान में दी है ?

श्री सु० कु० डे : माननीय सदस्य ने जिस कम्पनी का नाम लिया है उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। यदि वह मुझे सूचना दें तो मैं जानकारी को प्राप्त करके दे सकता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह फर्म पिछले तीन वर्षों से निलम्बित है और काली सूची में दर्ज है और फिर भी बम्बई में उसको कोटा मिल रहा है । जिस अधिकारी ने उस फर्म को काली सूची में दर्ज किया था उसको नौकरी से निकाला जा रहा है। यह एक गंभीर आरोप है ।

श्री सु० कु० डे : मूल प्रश्न तीन कम्पनियों से सम्बन्धित है : कामनी, देवी दयाल और इन्डियन स्मेल्टिग एण्ड रिफाइनिंग कम्पनी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जालान्स की बात कर रहा हूं ;

श्री सु० कु० डे : जालान्स के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है । मैं जानकारी प्राप्त करके दे दूंगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister just now stated that the main reason for giving quota to them was that they used to import machines from abroad. What is the value of the machines imported and whether the quota of small utensil manufacturers has also been increased likewise, if, so, the quantum of quota increased ?

Mr. Deputy Speaker : That he has already stated.

श्री बड़े : हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितने मूल्य की आधुनिक मशीनें आयात की हैं और क्या वे छोटे निर्माताओं को भी धातु दे रहे हैं ?

श्री सु० कु० डे : श्रीमान्, इसके लिए मुझे सूचना चाहिए ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the quota of this firm is being enhanced because it provides employment to the sons of the Ministers ? My question is point blank. Whether the son of the Chief Minister of Gujarat is employed on a fabulous salary in this Company .

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप आरोप लगा रहे हैं । श्री बागड़ी ।

Shri Bagri : In todays news paper appears a cartoon of Jayanti Shipping Company in which all the Ministers down from the bottom right upto the Prime Minister have been shown involved in the Company's affairs. ....

Dr. Ram Subhag Singh : All the Ministers are not there.

Shri Bagri : Of course, you are not there. Your seniors are there, you are one of the juniors. The quota of all these three Companies has been increased in an absolutely illegal way and discriminately. Is the Hon. Minister prepared to appoint an enquiry commission to probe this matter ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

Shri Bagri : My question is whether he is prepared to appoint an enquiry commission.

श्री सु० कु० डे : जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

Shri Tyagi : What is the value of the enhanced quota as also the value of the goods imported by them for the manufacture of the sophisticated items ?

श्री सु० कु० डे : यह मेरे लिये सम्भव नहीं है·····(**व्यवधान**)।

क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ?

व्यवधान**

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। इसको सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

व्यवधान **

श्री सु० कु० डे : जहां तक उपकरणों का सम्बन्ध है मुझे इसका उत्तर देने के लिए सूचना चाहिए। जहां तक सामान का सम्बन्ध है मैं इसके आंकड़े दे सकता हूं। 1961-62 में क्रमशः तीनों कम्पनियों को कुल मिला कर 127 लाख रु० 256,000 रु० और 26,32,000 रु० के मूल्य का तांबा और जस्ता दिया गया था। 1964-65 में 213 लाख रु० के मूल्य का तांबा दिया गया था और 35 लाख रु० के मूल्य का जस्ता। उपकरण के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

नागार्जुन सागर परियोजना

+

अ० सू० प्र० संख्या 34. **श्रीमती विमला देवी :**
श्रीमती यशोदा रेड्डी :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री द० ब० राजू :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री रमापति राव :
श्री दास :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री यलमंदा रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनसागर परियोजना के कार्य की गति मन्द हो गई है और धनाभाव के कारण इंजीनियरों की भी छंटनी की जा रही है ; और

**सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

**Not recorded.

(ख) यदि हां, तो यह संकट दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं ।

(ख) इस परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर बड़ी तेजी से विचार किया जा रहा है ।

श्रीमती विमला देवी : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि कार्य की गति मंद नहीं हुई है । परन्तु आन्ध्र प्रदेश के अधिकारियों से हमें पता चला है कि कार्य की गति मंद हो रही है । अब मंत्री महोदय कहते हैं कि वह इस पर विचार करने जा रहे हैं और यह कि इस परियोजना के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य आगे बढ़ा है और क्या यह ऐसी स्थिति पर पहुंच गई है कि इससे सिंचाई के लिये पानी और बिजली मिल सके; यदि हां, तो देश में चावल की कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कब होने लगेगा और योजना से तुरन्त लाभ उठाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

डा० कु० ल० राव : परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है और शीघ्र ही यह चालू हो जायेगी । अतः इस प्रश्न पर, कि इसके वित्तीय संसाधनों में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

श्रीमती विमला देवी : मंत्रिमण्डल के मंत्री तथा सिंचाई के लिये राज्य मंत्री ने इस सभा को अनेक बार आश्वासन दिया है कि सरकार राष्ट्रीय परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है । हमेशा यही कहा जाता है कि अब तो पैसा नहीं है और यह कि भविष्य में इस पर विचार किया जायेगा । क्या कारण है कि सरकार खाद्यान के आयात पर तो 350 करोड़ रु० खर्च कर सकती है, परन्तु इस परियोजना पर 12 करोड़ रु० खर्च करने के लिये तैयार नहीं है जबकि इस परियोजना से चावल के उत्पादन में 15 लाख टन की वृद्धि की जा सकती है ? सरकार इस परियोजना के लिये अपेक्षित धन देने से क्यों इन्कार कर रही है ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने बताया सरकार स्थिति से पूरी तरह अवगत है और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस परियोजना के लिये कितनी सहायता दी जा सकती है ।

श्री कोल्ला वेंकैया : स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की सलाह पर, हम सोमवार को एक बार भोजन करते हैं; श्रीमती इन्द्रा गांधी की सलाह पर हमने गुरुवार को चावल खाना बन्द कर दिया है और दिल्ली प्रशासन की सलाह पर हमने शनिवार को चावल खाना छोड़ दिया है । क्या प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, सिंचाई मंत्री और खाद्य मंत्री सब मिलकर

इस बात पर विचार करेंगे कि इस परियोजना को पर्याप्त धन न देने और इसको एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अपने हाथ में न लेने से और शीघ्र पूरी न करने से उत्पादन को कितनी हानि हुई है ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने कहा इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

श्री यलमंदा रेड्डी : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । राज्य सभा में भी यह कहा गया था कि सरकार कुछ पैसा देने जा रही है । परन्तु जब आन्ध्र के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल कल और परसों माननीय वित्त मंत्री और माननीय योजना मंत्री से मिला तो प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को साफतौर पर बताया गया कि वे इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं और इस परियोजना के लिये कोई राशि नहीं दे रहे हैं । उन्होंने कहा "इसको बन्द कर दिया जाना चाहिये ।" क्या माननीय मंत्री की जानकारी में इस तथ्य को लाया गया है और यदि हां, तो मंत्री महोदय इस बारे में क्या कर रहे हैं ?

डा० कु० ल० राव : मंत्रालय को सरकारी तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है ।

श्री तिरुमल राव : इस सभा के सदस्यों के सामने समय-समय पर जो असहयोग और असहानुभूति का रवैया व्यक्त किया जाता है क्या मंत्रालय उससे पूरी तरह अवगत है ? वित्तमंत्री विवश हैं, सिंचाई मंत्री विवश हैं; केवल उस समय को छोड़कर जबकि वे आन्ध्र प्रदेश से अधिक चावल देने के लिये कहते हैं, सारी सरकार ही विवश जान पड़ती है । अविलम्बनीय लोक महत्व के एक विषय के रूप में सरकार इस प्रश्न पर कब विचार करेगी ? खाद्यान्न आयात करने के लिये हम करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं । 15 या 20 करोड़ रुपये की मांग को पूरा करना सरकार के लिये कठिन नहीं होना चाहिये । क्या सरकार समूचे तौर पर इस समस्या पर तुरन्त अपना ध्यान देगी ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य के सुझावों को ध्यान में रख लिया गया है ।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि आवश्यक निधियां देने में सरकार की असफलता को ध्यान में रखते हुए और 'शटर्स' के बारे में वहां पर जो दुर्घटना हुई है उसको भी ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सिंचाई के लिये वहां पानी नहीं दिया जा रहा है और 3 से 5 लाख टन चावल का प्रत्याशित उत्पादन, जिसके लिये देश आज भूखा मर रहा है, नहीं होगा—सरकार की निरन्तर असफलता के कारण ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में बांध का कार्य चल रहा है । कार्य पूरा नहीं हुआ है । कुछ कार्य पूरा हुआ है । इस वर्ष हम नहर को परीक्षण प्रयोजनों के लिए पानी दे रहे हैं और यह निश्चित आधार पर देने के लिए नहीं है क्योंकि अभी बांध की ऊंचाई पूरी नहीं हुई है । आशा है कि वर्षा समाप्त होने के बाद बांध पूरा हो जायेगा और फिर अगले वर्ष में पूरी होने वाली नहरों को पानी देना सम्भव होगा ।

श्री रंगा : क्या इसका यह अर्थ है जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है वहां पर कोई उत्पादन नहीं होगा ?

डा० कु० ल० राव : इस वर्ष एक लाभ हुआ है। नहर में जो पानी गया, विशेष रूप से बाईं ओर है उससे यह लाभ पहुंचा है : ऐसे क्षेत्र में जहां पर वर्षा नहीं हुई है उस पानी से तालाब भर गये हैं, अर्थात्, नलगोंडा जिले में।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आन्ध्र प्रदेश अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न करता है और इस परियोजना को राष्ट्रीय हित के लिए न केवल केन्द्रीय वित्त से ही अपितु राज्य सरकार के वित्त से भी आरम्भ किया गया है, केन्द्रीय सरकार के इस सौतेली मां और शत्रुतापूर्ण रवैये से आन्ध्र प्रदेश के लोगों में बहुत रोष फैल रहा है। यदि इस परियोजना के शीघ्र निष्पादन के लिए पर्याप्त निधि आवंटित नहीं की जायेगी तो एक समय आयेगा जबकि आन्ध्र अनाज का एक दाना भी अपने राज्य से नहीं निकलने देगा।

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य कुछ अधिक क्षुब्ध हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं इस सुझाव को माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री को भेज दूंगा।

श्री वारियर : वित्त मंत्री के विरोध को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि अभी यहां कहा गया है, क्या सम्बन्धित मंत्री महोदय किसी अन्य राशि को देने और योजना के लक्ष्य को पूरा करने—लगभग 12 करोड़ रु०—और कृषि प्रयोजनों के लिए और अधिक चावल उगाने के लिए नहर का पानी लेने के लिए तैयार हैं ताकि हमें केरल में अनाज मिल सके ?

डा० कु० ल० राव : यह भी एक सुझाव है कि हमें एक परियोजना की निधियां दूसरी परियोजना में लगाने का अधिकार होना चाहिए। इस पर वित्त मंत्रालय से चर्चा की जायेगी। माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : केन्द्रीय क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं के प्रश्न के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए, परियोजना की मूल लागत, परियोजना की बढ़ी हुई लागत, परियोजना के आरम्भ में होने वाले लाभ और बढ़ी हुई लागत के परिणामस्वरूप परियोजना की वित्तीय व्यावहारिकता के सम्बन्ध में सरकार क्या कसौटी रखना चाहती है ? क्या सरकार सभा को यह निश्चित आश्वासन दे सकती है जो परियोजनाएं वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक हैं उनका काम किसी भी परिस्थिति में नहीं रोका जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, अर्थात्, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता। यह बिल्कुल सच है और अब तक का हमारा अनुभव है कि जब तक इन परियोजनाओं को अलग रूप में नहीं लिया जायेगा और इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जायेगा हम लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पायेंगे। राजस्थान नहर के

सम्बन्ध में भी यही बात हुई है। तृतीय योजना में हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। कुछ और परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। इसलिए सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा जिस प्रश्न पर चर्चा की जा रही है और जिस पर अधिक जोर दिया जा रहा है यह है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा धनराशि का राज्यों से सम्बन्ध नहीं रखा जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रबड़ बागान कर्मगारों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड

*844. **श्री प० कुन्हन :** **श्री वारियर :**
श्री इम्बीचिबावा : **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रबड़ बागान कर्मगारों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन मिल चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार को यह प्रतिवेदन कब मिल जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में चांदनी चौक में हुई घटनाएं

*845. **श्री उमानाथ :** **श्री मौर्य :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मार्च, 1966 को दिल्ली में चांदनी चौक में दुकानों के लूटे जाने के बारे में जांच करने के लिए दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने दो व्यक्तियों का एक तथ्यान्वेषी आयोग बिठाया था ;

(ख) इस आयोग की उपपत्तियां क्या हैं ;

(ग) उन उपपत्तियों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या दिल्ली जनरल मर्चेन्टस् एसोसिएशन ने लूट-पाट की उन घटनाओं की न्यायिक जांच कराने की मांग की है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके लिए उस एसोसिएशन ने क्या क्या कारण पेश किये हैं ; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा ऐसा कोई आयोग नियुक्त नहीं किया गया था । किन्तु दिल्ली के चांदनी चौक और फतहपुरी क्षेत्रों में 14.3.66 को दुकाने लूटी जाने से व्यवसायियों की जो हानि हुई उसका क्षेत्र के उपविभाग-दण्डाधिकारी तथा सहायक आयुक्त, विक्रय कर द्वारा अनुमान लगाया गया था । इन अधिकारियों ने 16 मामलों में सहायता की सिफारिश की । इन व्यवसायियों को ऋण के तौर पर 1,50,000 रुपये की राशि बांटी गई ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) और (च). प्रश्न ही नहीं उठते ।

आपात काल

*846. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल समाप्त करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय करने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) विदेशी आक्रमण के भय तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्वों के संदर्भ में इस मामले पर लगातार पुनर्विचार होता रहता है । पूरी स्थिति बजट अधिवेशन में इस बारे में सदन के सामने दिए गये अनेक वक्तव्यों में स्पष्ट कर दी गई है ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने के लिए तेल ढोने वाले वजरे

*847. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन में उपयोग किये जाने के लिए तेल ढोने के वजरे खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ऐसे वजरे खरीदने का विचार है ;

(ग) क्या कोचीन स्थित गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के कार्मिक संघ ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कम करने हेतु सरकार 'एसो' तथा बर्मा शैल के पास फालतू पड़े वजरों को खरीद ले ; और

(घ) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) क्योंकि भारतीय तेल निगम कोचीन में उत्पादों के वहन के लिए तेल ढोने वाले वजरे खरीदने का प्रस्ताव नहीं रखती है ; इसलिए दूसरी तेल कम्पनियों से इन वजरों को प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बोनस भुगतान अधिनियम 1965

*848. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने तीन से पांच वर्षों की औसत के आधार पर निकाली गई बोनस की वर्तमान दर को कायम रखने के हेतु बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में एक नई धारा जोड़ने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) इस सुझाव पर अन्य सुझावों के साथ विचार किया जा रहा है ।

Shortage of Kerosene Oil in Bihar Villages

*849. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is still a shortage of kerosene oil in the villages in Bihar State ; and

(b) if so, the scheme being formulated by Government to make available kerosene oil in the villages in a proper manner ;

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) The Bihar Government has informed us that available reports do not indicate kerosene scarcity at any place.

(b) Does not arise.

गोआ का भविष्य

*850. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के भविष्य के बारे में मैसूर सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार ने क्रमशः अब क्या दृष्टिकोण अपना रखा है ;

(ख) इस बारे में गोआ के वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने अब क्या दृष्टिकोण अपनाया हुआ है तथा विभिन्न राजनैतिक दलों ने क्या दृष्टिकोण अपना रखा है ;

(ग) क्या यह सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया था कि गोआ में दस वर्ष तक यथा पूर्व स्थिति कायम रखी जा सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सदन के सभा-पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

हिन्दी का विकास

*851. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के विकास तथा अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए जो योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का पुनर्विलोकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली योजनाओं में हिन्दी के विकास तथा अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रसार के लिए आरम्भ किये गये है, उन्हें चौथी आयोजना अवधि के दौरान जारी रखने का विचार किया गया है । इस प्रकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के ब्योरे तारांकित प्रश्न संख्या 426 के उत्तर में 24 नवम्बर, 1965 को लोक सभा-पटल पर पहले ही रखे जा चुके हैं । कुछ नई योजनाएं चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान क्रियान्वित करने का भी विचार है, जैसे कि अहिन्दी भाषी जनता के लिए हिन्दी सिखाना और विदेशियों को पत्राचार पाठ्य-क्रमों के जरिए हिन्दी पढ़ाना, अध्ययन-शिविर आयोजित करना, हिन्दी के प्रचार तथा विकास के सम्बन्ध में बढ़ती हुई सूचनाओं के लिए मासिक हिन्दी समाचार

पत्रों का प्रकाशन, हिन्दी प्राइमर एवं स्वयं पढ़ी जाने वाली पुस्तकों का प्रकाशन और भाषायी-फोन व टेपों का हिन्दी सिखाने की मदद के लिए निर्माण आदि ।

(ख) और (ग). योजनाओं की प्रगति का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है। उनके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की योजना

*852. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी विभागों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की संख्या मालूम करने के उद्देश्य से उन विभागों में कार्य-भार का अनुमान लगाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) सरकारी कर्मचारियों पर लागू की जाने वाली स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की योजना कहां तक क्रियान्वित की गई है; और

(ग) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को, जो अपनी नौकरी में लगे रहना चाहते हैं, सेवा में रहने दिया जा सके, क्या उन कर्मचारियों को भी जो कि सेवा की उन शर्तों को पूरा करते हैं, जिनके आधार पर वे स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकें, किन्तु जिन्हें फालतू कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है, सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वित्त मंत्रालय का कर्मचारी निरीक्षण एकक 1964 से विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारि-वर्ग सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने तथा फालतू कर्मचारियों का पता लगाने के लिए कार्यमाप अध्ययन करता रहा है । अभी हाल ही में इस एकक की शक्ति बढ़ाई गई है और इसकी गतिविधियों को तीव्र किया गया है ।

(ख) अभी तक केन्द्रीय कोषों में भेजे गये फालतू कर्मचारियों में से किसी ने भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छा प्रगट नहीं की ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

बोनस भुगतान अधिनियम के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*853. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 9 अगस्त, 1966 के ध्यानाकर्षण सूचना के प्रत्युत्तर में अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की कुछ धाराओं को अवैध घोषित करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय पर विचार करने के पश्चात् कर्मचारियों के न्यायसंगत हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). राज्य सरकारों के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

*854. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने में बनाये जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण केवल इण्डियन आयल कम्पनी ही करेगी;

(ख) क्या सरकार का विचार कोचीन में गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के संस्थानों को अपने अधिकार में लेने का है;

(ग) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों के कर्मचारियों ने प्रार्थना की है, कि सरकार उन कम्पनियों को अपने अधिकार में ले लें ताकि कर्मचारियों की छंटनी न होने पाये; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां । पर "उत्पाद विनिमय प्रबन्ध" (Product exchange arrangements) के अन्तर्गत भारतीय तेल निगम दूसरी तेल कम्पनियों को बेचने के लिए उत्पाद देगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के फालतू स्टाफ को इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० (मार्किटिंग डिवीजन), कोचीन शोधनशाला और उसी क्षेत्र में दूसरे सरकारी एवं गैर-सरकारी उद्यमों में यथासम्भव अधिकतम संख्या में नियुक्त करने के कदम उठाये जा रहे हैं ।

सिन्धी भाषा का विकास

*855. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1942 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के छठे प्रतिवेदन (1964) की कंडिका 314 की ओर दिलाया गया है, जिसमें आयुक्त ने कहा है कि सिन्धी भाषा को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में प्रधान मंत्री ने अखिल भारत सिन्धी बोली तथा साहित्य सभा के एक प्रतिनिधि मण्डल को यह

आश्वासन दिया था कि सिन्धी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली तथा हैदराबाद के सिन्धी लोगों को भी यही आश्वासन दिया गया है; और

(घ) सिन्धी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग के सम्बन्ध में संविधान में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रधान मंत्री ने कहा था कि उनकी मांग पर विचार किया जायगा ।

(घ) मामले की जांच की जा रही है ।

पुरातत्वीय महत्व के स्थानों की खोज तथा खुदाई

*856. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्वीय महत्व के स्थानों की खोज तथा खुदाई के काम की प्रगति योजना के अनुसार नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कार्यों की क्रियान्विति में शीघ्रता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी, नहीं । उसके अलावा, दस मदों में से एक कार्य भारत व पाकिस्तान के उपद्रवों के कारण बीच में ही रुक गया था और दूसरे को अस्थगित कर दिया गया क्योंकि अन्य कार्य जो पहले से ही हाथ में था उसे पूरा करना है ।

(ग) यह मामला आगे किये जाने वाले कार्यों के साथ-साथ 'केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड' की स्थायी समिति के सामने विचारार्थ उठाया जायेगा ।

आयोजन तथा विकास संगठन, सिन्दरी

*857. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री श्रीनारायण दास :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि सिन्दरी में स्थित आयोजन तथा विकास संगठन को, जो प्रतिवर्ष किसी भी आकार के दो उर्वरक सन्यन्त्र लगा सकता है, कोई काम नहीं सौंपा गया है और वहां पर काम करने वाले वैज्ञानिक इस कारण बहुत क्षुब्ध एवं असन्तुष्ट हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन को काम न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अगलेसन) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट ठीक नहीं है । सरकार ने फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया और एफ० ए० सी० टी० को दुर्गापुर और कोचीन में दो बड़े आकार के उर्वरक परियोजनाओं के निर्माण का नियतन कर दिया है। सरकार भविष्य में भी ऐसी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना के लिए इन दोनों संगठनों की सेवाओं के इस्तेमाल का विचार रखती है ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा छंटनी

*858. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी तेल कम्पनियों को आवश्यक हिदायतें जारी की गई हैं कि वे मशीनें लगाने तथा वैज्ञानिकीकरण के कारण अपने कर्मचारियों की छंटनी करना बन्द कर दें;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल कम्पनियों ने उन हिदायतों का पालन करना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन हिदायतों को लागू करवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

खासी तथा जैतिया पहाड़ियों में विद्रोह

*859. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान अब खासी तथा जैतिया पहाड़ियों में उसी प्रकार का विद्रोह भड़काने का षड़यंत्र रच रहा है, जिस प्रकार की विद्रोहात्मक घटनाएं हाल में मिजो पहाड़ियों में हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समाचार का सत्यापन कर लिया है कि पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 1500 खासी लोग सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे समाचारों पर सरकार यथोचित ध्यान देती है और उनका सत्यापन करती है ।

(ग) स्थिति जो रूप ग्रहण करती जा रही है सरकार को उसका पता है और उसने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाये हैं ।

रामकृष्णपुरम में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टर

4261. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम में सेक्टर संख्या 6 में डाक तथा तार विभाग के अधिकांश क्वार्टरों में पानी टपकने लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्तृत जांच किये बिना ही इन क्वार्टरों को मंजूर कर दिया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्वार्टरों की फिर से जांच कराने का है; और

(घ) सड़कों पर बत्तियां न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कुल मिलाकर 952 क्वार्टर हैं जिनमें से 850 क्वार्टर पहले से ही घिरे हुए हैं। जून, 1966 से अगस्त, 1966 के दौरान चूने/टपकने/सीलन की केवल 42 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनकी जांच करने पर यह पता चला है कि अधिकांश शिकायतें बरामदों तथा छज्जों से जुड़ी गुसलखानों की छतें और बाहरी दीवारों में सीलन होने से सम्बन्धित हैं। किसी भी क्वार्टर के रिहायशी कमरे के टपकने/चूने की कोई शिकायत नहीं मिली है। जहां तक गुसलखानों की छतों की सीलन का सम्बन्ध है इसका कारण सामान्यत: उपरली टंकियों में से पानी का बह निकलना है। इन टंकियों में से पानी बह निकलने का कारण यह था कि किरायेदारों ने वाल वेल्वों का गलत इस्तेमाल किया था। कुछ मामलों में तो गुसलखानों के ऊपर की खुली छतों के ढलान में रद्दोबदल करना आवश्यक था। चूने/टपकने से सम्बन्धित सभी उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाई की जा चुकी है।

(ख) जी नहीं। क्वार्टरों की विस्तृत जांच की गई थी और उन्हें सन्तोषजनक घोषित करने से पहले उनमें ऊपरी तौर पर कोई खराबी दिखायी नहीं दी। यहां यह भी बता दिया जाना चाहिए कि पानी टपकने की छोटी-मोटी मौजूदा शिकायतों के सम्बन्ध में केवल मानसून के दौरान ही पता लग पाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) गली में प्रकाश के लिए बल्बों की व्यवस्था दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान/दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाती है और उनसे इस मामले में बातचीत की जा रही है।

केरल में श्रीकाडापुरम् में टेलीफोन और तार सुविधायें

4262. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नानूर जिले में श्रीकाडापुरम् नामक स्थान में टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां, पोस्टमास्टर जनरल, केरल को चिंगालायी पंचायत के एक्जीक्यूटिव आफिसर का दिनांक 9 जून, 1966 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है।

(ख) अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केरल में काफी हाउस के लिये भूमि

4263. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया काफी बोर्ड वर्कर्स कोआपरेटिव सोसाइटी ने एक काफी हाउस बनाने के लिये कन्नानूर पुलिस मैदान में पांच सेंट भूमि दिये जाने के बारे में केरल सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इस बारे में राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कोचीन में गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के छंटनी किये गये कर्मचारी

4264. **श्री मणियंगाडन :** **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री प० कुन्हन :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन स्थित गैर-सरकारी तेल कम्पनियों से छंटनी किये गये कर्मचारियों

को नौकरी पर लगाने के बारे में उन्होंने कलमस्सेरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को कोई पत्र लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के संबंध में उस कम्पनी की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिचूर में पुलिस द्वारा कथित मारपीट

4265. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री प० कुन्हन :

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 जुलाई, 1966 को केरल में त्रिचूर में जोज टाकीज के सामने मलावार विशेष पुलिस ने बहुत से लोगों को मारा पीटा था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को चोटें आईं; और

(ग) किसी उत्तेजना के बिना ही लोगों को अकारण पीटने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । हां, 31 जुलाई 1966 को मलाबार विशेष पुलिस के कुछ कर्मचारियों को कुछ लोगों ने त्रिचूर में जोज टाकीज के सामने पीटा था । चार पुलिस वाले जख्मी हुए थे । मामले की जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मेलूर गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु

4266. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री प० कुन्हन :

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलेंडी पुलिस ने मेलूर गांव के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के बारे में कोई मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस व्यक्ति के शव को परीक्षण के लिये भेजा गया था;

(ग) क्या उसके शव पर कोई घाव थे;

(घ) जांच पड़ताल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) मामले को बन्द कर दिया गया क्योंकि जांच से पता चला कि मृत्यु का कारण अचानक डूब जाना था ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में तालाबंदी तथा हड़ताल

4267. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य का प्रशासन केन्द्र द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के पश्चात केरल में तालाबन्दी तथा हड़ताल होने के बहुत से मामले हुए हैं;

(ख) क्या इस तालाबन्दी तथा हड़तालों के कारणों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मंगाई गई है । प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रखी दी जायगी ।

केरल में उच्च अधिकारी

4268. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के वरिष्ठ पदों पर केरल से बाहर के व्यक्ति नियुक्त हैं;

(ख) क्या सभा पटल पर यह बताने वाला एक विवरण रखा जायेगा कि उक्त राज्य में सलाहकारों, मुख्य सचिव तथा सचिवों के नाम क्या हैं और वे किन-किन राज्यों के निवासी हैं;

(ग) क्या ऐसे पदों पर केरल निवासी वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने के लिये कार्यवाही की जायेगी; और

(घ) बाहर के अधिकारियों को केरल में नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). जो सूचना मांगी गई है उसे सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त किया जा रहा है और प्राप्त होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

बर्मा शैल आयल कम्पनी, दिल्ली द्वारा घोलक तेल के वितरण में भेदभाव

4269. **श्री मलाइछामी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ने छोटे पैमाने के उन रबड़ धोल निर्माताओं के लिये जिनके पास 60 गैलन घोलक तेल जमा रखने का लाइसेंस है, हाल में कोटा नियत किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि घोलक तेल के आवंटन में भेदभाव किया गया है, कुछ निर्माताओं के लिये 4 से 5 बैरल तक प्रति माह नियत किया गया है और अन्य निर्माताओं के लिये 36 बैरल प्रति माह नियत किया गया है; और

(ग) रबड़ घोल निर्माताओं के लिये घोलक तेल के उचित वितरण के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां, बर्मा शैल ने हाल ही में उपभोक्ताओं के बीच में वितरण व्यवस्था की है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में एडाचेरी में टेलीफोन और तार की सुविधायें

4270. **श्री अ०व० राघवन** :
श्री अ०क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोजीकोड जिले में एडाचेरी नामक स्थान में टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) केरल के जिला कोजीकोड में एडाचेरी नन्दपुरम से केवल तीन मील की दूरी पर स्थित है जहां एक तारघर पहले से ही काम कर रहा है । एडाचेरी में तार सुविधाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । जहां तक टेलीफोन सुविधाओं का सम्बन्ध है बाडागारा टेलीफोन केन्द्र के साथ सम्बद्ध करके यहां एक दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है । यदि इसका औचित्य हुआ और यदि इसे मंजूरी दे दी गई तो इसी सार्वजनिक टेलीफोन पर से एडाचेरी से तार संदेश भेजने की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी ।

(ख) अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

Additional pay to Private Secretaries and Stenographers.

4271. **Shri Vishram Prasad :** **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to the news-item appearing in the newspapers that Government propose to give additional pay to the Private Secretaries and Stenographers of the Ministers and senior officers; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Yes, Sir. The matter is still under consideration.

विदेशों में प्रशिक्षण के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को छात्रवृत्तियां

4272. **श्री प० कुन्हन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में विदेशों में प्रशिक्षण लेने के लिये छात्रवृत्तियां पाने के हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे; और

(ख) कितने व्यक्तियों का चुनाव किया गया और उन्हें विदेशों में भेजा गया ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौंदरम रामचन्द्रन): (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य श्रेणी के विद्यार्थियों से भारत सरकार की विदेशों में प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये तथा जितने व्यक्तियों को चुना गया एवं जितनों को विदेशों में भेजा गया, उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की संख्या		चुने गए व्यक्तियों की संख्या		विदेशों में भेजे गए व्यक्तियों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
1961-62	57	13	5	5	5	5
1962-63	72	25	5	5	3	2
1963-64	76	15	6	3	5	3
1964-65	55	10	7	4	5	4
1965-66	78	16	4	4	Nil	Nil

अन्तिम रूप से प्रवेश अभी नहीं हुआ है ।

बलिहारी कोयला खान के श्रमिकों को मजूरी का न दिया जाना

4273. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि बलिहारी कोयला खान, डाकखाना कुसुन्डा (धनबाद) के श्रमिक, प्रबन्धकों द्वारा कितने ही महीनों से उनकी देय मजूरी और तिमाही बोनस का भुगतान न किये जाने के कारण भूखे मर रहे हैं; और

(ख) क्या इस मामले में सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) मैनेजमेंट ने अभी अप्रैल, 1966 से मजदूरी, 31 दिसम्बर, 1965, 31 मार्च और 30 जून, 1966 को समाप्त होने वाली तिमाहियों का बोनस तथा कुछ और बकाया रकमों का भुगतान करना है ।

(ख) मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

सीमा सुरक्षा उपाय

4274. **श्री विभूति मिश्र:**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी और चीनी सीमाओं से लगने वाले भारत के पश्चिम-उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा दल में पर्याप्त संख्या में सैनिक न होने के कारण सुरक्षा सम्बन्धी कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 26 अगस्त, 1966 तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस बारे में बहुत से कदम उठाये गये हैं । इन कदमों में ऐसे उपाय भी शामिल हैं जो जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानियों की पिछली घुसपैठ 1965 के नियमित सशस्त्र आक्रमण तथा अक्तूबर, 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान हमारे अनुभवों के फलस्वरूप सामने आये । इन पर लगातार पुनर्विचार किया जाता है ।

(ख) और (ग). अस्तु इन उपायों की लगातार जांच होती रहती है ताकि सीमा सुरक्षा की व्यवस्था में कोई कसर न रह जाय ।

Direct Telephone Line Between Delhi and Patna

4275. **Shri Bibhuti Mishra :**

Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that direct telephone line between Patna and Delhi remains

out of order generally ; and

(b) if so, the measures taken to remedy this situation ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) The direct Trunk Circuits from Delhi to Patna have been working satisfactorily. The direct circuits from Patna to Delhi have however been subject to interruptions at times.

(b) Special Maintenance staff has been deputed to attend to the problems affecting the working of direct line from Patna to Delhi.

मैसूर विश्वविद्यालय को अनुदान

4276. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री 24 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 649 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर विश्वविद्यालय को कुल कितनी धनराशि दी गई थी तथा इसी अवधि में मैसूर राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई थी ;

(ख) यह धनराशि किन योजनाओं पर व्यय की जाती है तथा उनके सम्बन्ध में कितनी-कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) नियत धनराशि से कम व्यय किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) तीसरी योजना के दौरान मैसूर राज्य के विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे :—

	रुपये
(1) मैसूर विश्वविद्यालय	1,21,90,223.01
(2) कर्नाटक विश्वविद्यालय	90,48,182.66
(3) बैंगलोर विश्वविद्यालय	5,02,133.57
(4) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	2,500.00

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर राज्य में उर्वरक कारखाने

4277. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 10 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1956 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में प्रत्येक उर्वरक कारखाने में प्रति वर्ष कितना उर्वरक बनाया जाता है ;

(ख) निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) मैसूर राज्य के किसानों की आवश्यकता पूरी करने के लिये कितने उर्वरक की आवश्यकता है ;

(घ) यह कमी किस प्रकार पूरी की जाती है ; और

(ङ) इस राज्य को उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा मंगलौर उर्वरक कारखाने की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके चालू होने में संभवतः कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ङ). विवरण पत्र संलग्न है ।

विवरण

(मीटरी टनों में)

(क) कारखाने का नाम	1961	1962	1963	1964	1965
1. मैसूर केमीकल्स फर्टीलाइजर्स					
(1) अमोनिया सल्फेट	3933	2386	2000	416	229
(2) सुपर फास्फेट	8850	7862	7928	8232	17888
2. चामुण्डी केमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर,मैसूर					
(1) सुपर फास्फेट		...	1147	18105	18682

(ख) गन्धक की कमी तथा पुराने संयन्त्रों के कारण उत्पादन निर्धारित क्षमता से कम था ।

(ग) और (घ). 1965-66 वर्ष में मैसूर राज्य में उर्वरकों की आवश्यकता और सप्लाई निम्न प्रकार थी :—

	अनुमानित मांग	**वास्तविक सप्लाई**
सुपर फास्फेट	1,00,000	51,582
अमोनिया सल्फेट	85,000	74,449
यूरिया	30,000	21,849
अमोनिया सल्फेट नाईट्रेट	15,000	2,890
कैल्सियम अमोनिया नाइट्रेट	28,000	18,982
नाइट्रोफास्फेट	48,000	1,000
अमोनिया फास्फेट	6,000	—

देशीय उत्पादन एवं आयातित उर्वरकों से उक्त सप्लाई की गई है ।

(ङ) अतिरिक्त उर्वरक कारखाने की स्थापना से मंगलौर में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना में देरी का कारण यह है कि जिस पार्टी को पहले आशय पत्र जारी किया गया था, उसने कोई प्रगति नहीं की अब दूसरी पार्टी को परियोजना की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किया गया है। जनवरी, 1970 तक उत्पादन शुरू होने की आशा है ।

बरौनी में उद्योग समूह

4278. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी में एक उद्योग समूह स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का यथार्थ रूप क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). सरकार शोधनशाला के निकट एक उर्वरक यूनिट और एक ऐरोमेटिक संयन्त्र की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ग) और (घ). चौथी योजना अवधि में वासित द्रव्य निष्कासन प्लांट को लगाने का प्रस्ताव है ।

दण्डकारण्य की पुनर्वास बस्तियों में परिवार नियोजन

4279. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य की पुनर्वास बस्तियों में परिवार नियोजन की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ की गई थी ;

(ग) क्या इन योजनाओं के बारे में प्रचार किया गया था ; और

(घ) इन बस्तियों में कितने लोगों ने परिवार नियोजन सम्बन्धी उपायों को अपनाया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). जी, हां । स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये नमूने पर बस्तर तथा कोरापुट जिलों में अपनी अपनी राज्य सरकारों द्वारा परिवार नियोजन की योजनायें लागू कर दी गई हैं । इसके अतिरिक्त दण्डकारण्य विकास प्राधिकार द्वारा स्थापित किये गये हस्पतालों और डिस्पैन्सरियों में भी परिवार नियोजन की सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(ग) जी, हां । परिवार नियोजन के उपायों का सामान्य रूप से प्रचार किया जा रहा है ।

(घ) 875 व्यक्तियों ने परिवार नियोजन के उपायों को अपनाया है जिसका ब्योरा निम्न है :—

वैसक्टामी आप्रेशन्स	150
लिगेशन	49
आई० यू० सी० डी० इनसरशन	676

राष्ट्र-विरोधी तत्वों को पाकिस्तानियों द्वारा भड़काना

4280. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तानी एजेन्ट आसाम में खासी तथा अन्य पहाड़ी आदिम जातीय लोगों को नागा तथा मिजो लोगों की भांति विद्रोह करने के लिये भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उन्हें इस विद्रोह में पाकिस्तान का सक्रिय सशस्त्र समर्थन प्राप्त होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) सुरक्षा के जो भी प्रबन्ध सम्भव थे उन्हें मजबूत किया गया है

असिस्टेंटों के लिये सेलेक्शन ग्रेड

4281. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में वरिष्ठ असिस्टेंटों की कार्य-कुशलता को प्रोत्साहन देने के निमित्त संयुक्त सचिवों की समिति ने भारत सरकार के असिस्टेंटों की एक वरिष्ठ श्रेणी बनाये जाने के प्रश्न के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या है तथा सरकार ने उनके बारे में क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सम्भवतः असिस्टेंटों के लिये पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की दृष्टि से उनके सेलेक्शन ग्रेड की स्थापना की मांग की ओर संकेत किया गया है। सहायकों की पदोन्नति के अवसरों का प्रश्न अन्य अनेक मामलों के साथ समन्वय समिति के पास विचाराधीन है। समिति ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं दी हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी तेल कम्पनियां

4282. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री उमानाथ :

श्री प० कुन्हन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 तथा 1966 में अब तक इण्डियन आयल कम्पनी ने गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के कितने डिपुओं को अपने अधिकार में लिया ;

(ख) अधिकार में लिये गये डिपुओं के भूतपूर्व कर्मचारियों में से कुल कितने कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया ;

(ग) अधिकार में लिये गये डिपुओं के भूतपूर्व कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया ;

(घ) उन्हें पुनः नियुक्त न करने के क्या कारण थे ;

(ङ) अधिकार में लिये गये डिपुओं में कितने नये कर्मचारियों को भर्ती किया गया तथा नियुक्त किया गया ; और

(च) क्या इण्डियन आयल कम्पनी अधिकार में लिये गये डिपुओं के सभी भूतपूर्व कर्मचारियों को नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (च). अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

एर्नाकुलम में विदेशी तेल कम्पनियों के संस्थान

4283. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री उमानाथ :

श्री प० कुन्हन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी तेल कम्पनियों ने एर्नाकुलम में अपने संस्थान बन्द करने की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या सरकार को इस दिशा में कर्मचारी संगठनों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(च) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). कोचीन शोधनशाला के रेल तथा सड़क सम्बन्धी लादने की सुविधाओं को विकसित कर दिया गया है ताकि इसके उत्पादों का संचलन शोधनशाला यार्ड में एक केन्द्रीय स्थल से हो सके। इसलिये, एर्नाकुलम में विदेशी तेल कम्पनियों के संस्थान काफी हद तक बेकार हो जायेंगे।

(ग) 521 व्यक्ति।

(घ) और (ङ) . पेट्रोलियम कर्मचारी यूनियन, एर्नाकुलम ने सुझाव दिया है कि कोचीन शोधनशाला के उत्पादों को अब भी प्राइवेट तेल कम्पनियों के मुख्य संस्थानों से ही लादा जाये।

(च) यदि पेट्रोलियम कर्मचारी यूनियन के सुझाव को मान लिया जाये तो कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा लगाई गई सुविधायें, जिनमें शोधनशाला साइडिंग के टैंक और रेल यार्ड भी शामिल हैं, बेकार हो जायेंगी। तो भी, प्राइवेट तेल कम्पनियों के उन कर्मचारियों को, जो फालतू हो सकते हैं, के कष्टों को यथासम्भव कम करने के लिये सरकार ने निम्न कार्यवाही की है :–

(1) इण्डियन आयल कारपोरेशन (मार्किटिंग डिवीजन) में लिया जा रहा स्टाफ।	42
(2) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा नियुक्त स्टाफ।	8
(3) स्टाफ जो मैसर्ज बर्मा शैल तथा एस्सो के टिन प्लांटों में रख लिया जायेगा, और जिसके लिये आवश्यक प्रबन्ध कर दिया गया है।	152
(4) स्टाफ जिसे इण्डियन आयल कारपोरेशन (मार्किटिंग डिवीजन) में रख लेने की सम्भावना है, जब जनवरी, 67 तक इसका ड्रम प्लांट चालू होगा।	40
	242

शेष 279 व्यक्तियों के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) प्राइवेट आयल कम्पनियों को इन 279 व्यक्तियों की इच्छा जानने तथा उन व्यक्तियों का, जो उनके अधीन अन्य प्रदेशों/क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सहमत हों, तबादला करने को कह दिया गया है।

(2) उन व्यक्तियों को, जो तबादले के लिये सहमत हैं, लेकिन प्राइवेट कम्पनियों द्वारा तुरन्त ही नियुक्त नहीं किये जा सकते, इण्डियन आयल कारपोरेशन (मार्किटिंग डिवीजन) के अन्य क्षेत्रों में यथासम्भव नियुक्त किया जायेगा।

(3) केरल सरकार तथा श्रम, नियोजन एवं पुनर्वास मन्त्रालय से प्रार्थना की गई है कि उस स्टाफ को, जिसे उपर्युक्त तरीकों से नौकरी नहीं मिल सकती, किसी और नौकरी को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें।

नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध

4284. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० व० राघवन : **श्री मणियंगाडन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समय इस पहलू पर विचार किया गया था, जब सब सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाई गई थी ; और

(ग) केरल में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). जो सूचना मांगी गई है उसे सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त किया जा रहा है और प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

केरल बागान मजदूरों की हड़ताल

4285. **श्री प० कुन्हन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा : **श्री म० ना० स्वामी :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल बागान मजदूरों की हड़ताल में 19 अगस्त, 1966 से भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ (आई० एन० टी० यू० सी०) शामिल हो गया है ;

(ख) इस समय कुल कितने मजदूर हड़ताल पर हैं ;

(ग) इस हड़ताल के आरम्भ से कुल कितने काम के दिन (मेन डेज) बेकार गये ; और

(घ) इस हड़ताल के परिणामस्वरूप अब तक कितने मूल्य के उत्पादन का नुकसान हुआ ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से सम्बद्ध यूनियनें 17 अगस्त, 1966 से हड़ताल में शामिल हुई बताई गई हैं।

(ख) लगभग दस हजार।

(ग) पांच लाख और बीस हजार का अनुमान है।

(घ) इसका अनुमान लगाना कठिन है।

भारतीय श्रम सम्मेलन

4286. **श्री उमानाथ :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय मजदूर संघ (ए० आई० टी० यू० सी०) से कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें भारतीय श्रम सम्मेलन के चौबीसवें अधिवेशन के निर्णयों के अधिकृत विवरण से मतभेद व्यक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पत्र में किन मुख्य बातों पर मतभेद व्यक्त किया गया है ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) पत्र में, सम्मेलन में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर की गई कुछ टिप्पणियों का निर्णयों के विवरण में शामिल न होने का उल्लेख है :–

(i) औद्योगिक शान्ति संकल्प ;

(ii) अनुशासन संहिता ; और

(iii) ओटोमेशन ।

(ग) इन विषयों को निर्णयों के विवरण में शामिल न किये जाने के कारण अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को सूचित कर दिये गये हैं ।

संयुक्त सलाहकार व्यवस्था

4287. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का सितम्बर, 1966 में उद्घाटन करने के लिये सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी फेडरेशन तथा संघ इस योजना में सहयोग दे रहे हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन फेडरेशनों तथा संघों के नाम क्या हैं जो सहयोग नहीं दे रहै हैं; और

(घ) उनके द्वारा सहयोग न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). इस बारे में स्पष्टीकरण करने वाला एक विवरण नीचे रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**- 7043/66]

हिन्दी प्रशिक्षण महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम

4288. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम में एक हिन्दी प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि वहां पर हिन्दी प्रशिक्षण महाविद्यालय का होना अत्यन्त आवश्यक है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव पुन: केरल सरकार के सामने रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). यह सच नहीं है कि त्रिवेन्द्रम में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज की स्थापना का प्रस्ताव केरल सरकार ने ठुकरा दिया था । इसके विपरीत जून, 1966 में हमने प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया था और तब से केरल सरकार सभी प्रारंभिक कार्रवाई कर रही है ताकि कालेज शीघ्र कार्य करना आरंभ कर सके ।

कोचीन तेल शोधक कारखाना

4289. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन करने की कोई निश्चित तिथि नियत की गई थी ;

(ख) क्या एक बायलर के फट जाने के कारण 15 अगस्त की तारीख बदलनी पड़ी थी ; और

(ग) यदि हां, तो विस्फोट के कारण कितना नुकसान हुआ ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं, शोधनशाला का 23 सितम्बर, 1966 को औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में किसानों की बेदखली

4290. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार उदमपुम्चोला तालुक में पम्प्रादुमपरे के लगभग 200 किसानों को इलायची अनुसंधान केन्द्र के नाम पर बेदखल करने के लिये सक्रिय कार्यवाही कर रही है, हालांकि पिछली केरल सलाहकार समिति ने यह निर्णय किया था कि उपसमिति के प्रतिवेदन के अंतिम रूप में तैयार हो जाने तक वन भूमि से बेदखली की कार्रवाई रोकी जाये ;

(ख) क्या इस प्रस्तावित बेदखली के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं । अनुसंधान केन्द्र के क्षेत्र में स्थित कुछ ठिकानों में से एक में कुछ भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा जमाने वाले एक व्यक्ति को बेदखल करने के लिये आदेश जारी किये गये थे ।

(ख) जी हां । यह अनधिकृत कब्जेदार अपने विरुद्ध कार्यवाही को रुकवाने की चेष्टा में अभ्यावेदनों, इश्तहारों और नोटिसों आदि के जरिये एक गम्भीर जन-आन्दोलन का सा प्रभाव उत्पन्न करने की चेष्टा करता रहा है ।

(ग) कुछ नहीं क्योंकि ऐसे ठिकानों पर किये गये कब्जों को बेदखल करना जरूरी समझा जाता है ।

केरल विश्वविद्यालय के उपकुलपति

4291. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति कुछ ही महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो नया उपकुलपति चुनने की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : लोक सभा ने 12 अप्रैल, 1966 को हुई बैठक में जो संकल्प परित किया था, तथा जिसे 12 मई, 1966 को राज्य-सभा ने सहमति प्रदान की थी, उसके अनुसार केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि

केरल विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति जिन्हें 29 जनवरी, 1966 से तीन वर्ष के लिये पुनः नियुक्त किया गया था, इस नियुक्ति की तिथि से केवल एक वर्ष तक इस पद पर रहें। आवश्यक विधि बनाये जाने के बाद नये उपकुलपति के चयन के बारे में कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

केरल में वेतनक्रमों में संशोधन

4292. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सबसे छोटे वेतनक्रम वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये संशोधित वेतनक्रम की हाल ही में घोषणा की है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस नये वेतनक्रम से उन कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है ; और

(ग) क्या उन कर्मचारियों ने शीघ्र ही पर्याप्त लाभ दिये जाने के लिये आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार के पास सबसे कम वेतन वाले कर्मचारियों द्वारा कोई और आन्दोलन किये जाने की किसी योजना के बारे में अभी तक समाचार-पत्रों में छपे कुछ समाचारों के अलावा कोई सूचना नहीं है।

केरल में खाद्यान्नों की चोरबाजारी और मुनाफाखोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

4293. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में अनाज की चोरबाजारी और मुनाफाखोरी को समाप्त करने के अभियान में हाल में बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा लोगों की तलाशियां ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो अगस्त, 1966 में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) इस अभियान का खुले बाजार में चावल की उपलब्धि तथा उसके दामों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). इस बारे में राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

4294. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में प्राचीन स्मारकों के अनुरक्षण तथा पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई के लिये कितनी धनराशि नियत की गई थी ;

(ख) यह धनराशि किन योजनाओं पर व्यय की गई थी तथा प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में बंगलौर स्थित "टीपू सुल्तान महल" तथा मैसूर के निकट सुरंगपटम स्थित "दरिया दौलत" पर क्रमश: कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों के संरक्षण सम्बन्धी अस्थायी योजनायें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) प्राचीन स्मारकों का अनुरक्षण तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल नहीं किया गया था ।

मैसूर राज्य में पुरातत्व खुदाई करने के लिये तीसरी आयोजना में कोई विशिष्ट राशि नियत नहीं की गई थी । प्रत्येक ग्राम के पुरातन अवशेषों के सर्वेक्षण की एक योजना आयोजन में शामिल थी, किन्तु रकम का निर्धारण राज्यवार नहीं, मंडल (सर्किल) वार किया गया था । मैसूर, आंशिक रूप से दक्षिण पश्चिमी मंडल में और आंशिक रूप से भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के दक्षिणी मंडल में सम्मिलित था और इसीलिये केवल उस राज्य में खर्च की गई अथवा खर्च की जाने वाली रकम को मंडल के आंकड़ों से अलग नहीं किया जा सका ।

(ख) प्रत्येक गांव के पुरातन अवशेषों का सर्वेक्षण अभी बाकी है । मैसूर राज्य में इस योजना की प्रगति नीचे दी जा रही है :—

वर्ष	**जिन गांवों का सर्वेक्षण किया गया उनकी संख्या**
प्रथम वर्ष	247
द्वितीय वर्ष	263
तृतीय वर्ष	202
चतुर्थ वर्ष	133
पंचम वर्ष	128

(ग) आंकड़ों के अलग निकालने में जो परिश्रम और समय लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना नहीं है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय

4295. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले चौदह पूर्वी जिलों के डिग्री कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने पर प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन प्रतिबन्धों को हटाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के क्षेत्राधिकार में है और उनके विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 300 के उत्तर में शुद्धि
Correction of Answer to U. S. Q. No. 300

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : 27-7-1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 300 के भाग (ख) के उत्तर में मैंने जो उत्तर दिया था, वह था "जी हां"। यह इस आधार पर था कि प्रश्न में "राज्य सरकारों / जनता से भी" धन प्राप्त होने का उल्लेख था। यदि प्रश्न में केवल "राज्य सरकारों" का ही उल्लेख होता, तो उत्तर नकारात्मक होता। समिति द्वारा राज्य सरकारों से अपनी ओर से कोई धन देने के लिये नहीं कहा गया था और न ही वह उसे प्राप्त हुआ था। यह स्पष्टीकरण अब इसलिये दिया जा रहा है ताकि ऐसी किसी संभव गलतफहमी से बचा जा सके कि समिति को राज्य सरकारों से कोई अनुदान प्राप्त हुआ था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पत्रकार सम्मेलन में उर्वरक निगम के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक द्वारा कथित बयान

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या (अडोनी): मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि—वे उस विषय पर एक वक्तव्य दें :—

"पत्रकार सम्मेलन में उर्वरक निगम के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक द्वारा कथित बयान कि भारत का उर्वरक निगम प्रति वर्ष दो उर्वरक संयंत्र स्थापित कर सकता है।"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : अभी प्रेस में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि यद्यपि भारतीय उर्वरक निगम अब प्रति वर्ष दो उर्वरक संयन्त्रों के रूपांकन, इन्जीनियरिंग

कार्य, प्राप्ति एवं स्थापना के लिए भली भांति सुसज्जित है, तो भी सरकार उनकी सेवाओं का पूर्ण रूप में प्रयोग नहीं कर रही है। इस बारे में उत्पन्न शंका को मैं दूर करना चाहता हूं।

भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन और विकास प्रभाग की 1962 में स्थापना हुई और तब से लेकर यह प्रभाग अच्छा कार्य करता रहा है। इसे उर्वरक तकनीकी में मौलिक और व्यवहारिक गवेषणा कार्य ; विभिन्न प्रक्रियाओं की देशीय जानकारी का विकास और उर्वरक संयन्त्रों के रूपांकन, इन्जीनियरी एवं स्थापना के लिए एक संस्था का निर्माण कार्य सौंपा गया था। उपर्युक्त कार्यों को यह ठीक ढंग से सन्तोषपूर्वक करता रहा है। नाम रूप में प्रतिदिन 300 मीटरी टन का अमोनिया सल्फेट प्लांट ; गोरखपुर में स्थल से दूर की सुविधाओं ; सिन्दरी में अतिरिक्त गैस जनरेटर एवं नेफ्था गैसीकरण संयंत्र दोनों का रूपांकन तथा इन्जीनियरिंग कार्य भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन एवं विकास प्रभाग द्वारा पूरे किए गये हैं। प्रक्रिया जानकारी और विकास के क्षेत्र में भी, आयोजन एवं विकास प्रभाग ने उत्प्रेरकों (Catalysts) तथा कई प्रक्रियों के विकास में महत्वपूर्ण अंशदान किया है।

इस प्रकार, आयोजन तथा विकास प्रभाग अब तक उर्वरक संयन्त्रों के रूपांकन एवं इन्जीनियरिंग भागों में लगा रहा है। सरकार ने मार्च, 1966 में यह फैसला किया कि दुर्गापुर और कोचीन उर्वरक परियोजनाओं के लिए निजी संसाधनों से विदेशी मुद्रा की उपलब्ध करते हुए आगे बढ़ा जाए। सरकार ने यह भी फैसला किया कि इन दोनों परियोजनाओं के रूपांकन, इन्जीनियरिंग एवं निर्माण कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन तथा विकास प्रभाग और फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लि० के इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन संगठन को सौंपा जाए। पश्चादुक्त संगठन देश में रूपांकन एवं इन्जीनियरिंग का यथासम्भव अधिकतम मात्रा में प्रयोग करते हुए पिछले कई सालों से कार्यकलापों में भी विस्तार के लिए लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त, इसने उपोत्पाद जिप्सम से अमोनिया सल्फेट के निर्माण की प्रक्रिया जानकारी का विकास भी किया है। दुर्गापुर तथा कोचीन परियोजनाओं के निर्माण का यह कार्य इन दोनों तकनीकी संगठनों के लिए एक चुनौती तथा अवसर था ; जिसका इन संगठनों ने स्वागत किया।

क्योंकि दोनों संस्थाओं के पास यूरिया-संश्लेषण एवं एमोनिया संश्लेषण की प्रक्रिया जानकारी नहीं थी ; सरकार ने फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया को मेसर्ज मोनटेकटीनी आफ इटली (M/s. Montecatini of Italy) से इन जानकारियों के साधनों को खरीदने की स्वीकृत दे दी। इसी प्रकार, सरकार ने एफ. ए. सी. टी. फैक्ट्री को मैसर्स पावर गैस कारपोरेशन आफ यू० के० (M/s. Power Gas Corporation of U. K.) से संश्लेषण गैस प्लांट के लिए प्रक्रिया जानकारी के खरीदने की स्वीकृति दी।

मामलों को आसान करने के लिए, दोनों परियोजनाओं को आकार तथा अंतिम उत्पादों के बारे में समरूप बना दिया गया और फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा फर्टीलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड में कुल कार्य में प्रत्येक की जिम्मेवारी के विषय में एक समझौता

हुआ । मुझे हर्ष है कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां निभाने में अच्छी प्रगति की है । 31-8-1966 को फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया तथा फर्टीलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड ने इटली के मेसर्ज मोनटेकटीनी तथा मेसर्ज अनसाल्डो के साथ दोनों परियोजनाओं के एमोनिया एवं यूरिया प्लांट की सप्लाई के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं । अगले कुछ महीनों में भारत में बनाये जाने वाले उपकरणों के लिए देशीय विनिर्माताओं को भी आर्डर दिये जायेंगे ।

आशा है कि 1967 के प्रथम चतुर्थांश तक प्रक्रिया रूपांकन और इन्जीनियरिंग का कार्य समाप्त हो जायेगा । उपकरण को स्थल पर आने में लगभग एक साल और लग जायेगा, उसके भी एक साल बाद निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा । इस कार्य-क्रम के अनुसार अप्रैल, 1969 तक संयन्त्र चालू हो जायेंगे ।

भारतीय उर्वरक निगम और फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड को निरन्तर आधार पर काम देने का प्रश्न है । चूंकि इन दो संगठनों के प्रक्रिया रूपांकन और इन्जीनियरिंग अनुभाग 1967 के प्रथम चतुर्थांश से लगभग बेकार रहेंगे ; मेरे मंत्रालय का प्रस्ताव है कि सरकारी क्षेत्र में दो और उर्वरक परियोजनाओं को हाथ में लेना चाहिए, जिसका वित्त यदि उपलब्ध हुआ तो प्रदायक ऋण से या यदि आवश्यक हुआ तो अप्रतिबन्धित विदेशी मुद्रा (Free foreign exchange) से प्राप्त होगा । ये दो परियोजनाएं कार्यान्विति के लिए भारतीय उर्वरक निगम और फर्टीलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड को दी जा सकती हैं ।

सरकार की यह नीति है कि इन दोनों तकनीकी संस्थाओं, जो भारतीय उर्वरक निगम और फर्टीलाइजर्स ऐण्ड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड के भाग हैं, की योग्यताओं का आधुनिक तकनीकी के आधार पर उर्वरक संयंत्र लगाने में पूरी तरह इस्तेमाल किया जाये और देशीय निर्माण सुविधाओं को अधिकाधिक काम में लाया जाए । मुझे विश्वास है कि यदि उर्वरक क्षमता की स्थापना और उत्पादन के चौथी योजना में रखे गये ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो सरकारी क्षेत्र को, जितना अभी तक सोचा गया है, उससे अधिक मुख्य और निश्चयात्मक भाग लेना होगा । मुझे आशा है कि ऐसे स्वावलम्बी प्रयत्न के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होंगे ।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : क्या देश में उर्वरक संयंत्रों के निर्माण के लिए इस मंत्रालय को आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध कर दी गई है ताकि चौथी योजना में निश्चित किया गया लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ?

श्री अलगेसन : इन दो परियोजनाओं के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की दो प्रकार से व्यवस्था की जा रही है । हमें 3 करोड़ डालर इटली से उधार के रूप में मिलेंगे और 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था अबाध विदेशी मुद्रा से की जायेगी । जहां तक सम्भरणकर्त्ताओं के ऋण का सम्बन्ध है, हमने उनके साथ व्यवस्था कर ली है । अबाध विदेशी मुद्रा की दस करोड़ रुपये की राशि, जब आवश्यकता होगी, प्राप्त कर ली जायेगी ।

श्री केप्पन (मुबात्तुपुजा): यदि प्रबन्ध निदेशक ने वस्तुतः यह वक्तव्य नहीं दिया है, तो समाचार पत्रों में इसका खंडन क्यों नहीं किया गया ?

श्री अलगेसन : कुछ समय पहले इस सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते समय मैंने स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी थी । यह ठीक है कि हमने समाचार का खंडन नहीं किया ।

श्री कृ० चं० पंत (नैनीताल): बयान के अन्तिम पैरा में माननीय मंत्री ने कहा है :

"मुझे विश्वास है कि यदि उर्वरक क्षमता की स्थापना तथा उत्पादन के चौथी योजना में रखे गये ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो सरकारी क्षेत्र को, जितना अभी तक सोचा गया है, उससे अधिक मुख्य और निश्चयात्मक भाग लेना होगा ।" इसमें क्या प्रतिबन्ध है ?

श्री अलगेसन : तीसरी योजना के अन्त तक हमने 600,000 टन की क्षमता स्थापित कर ली है । चौथी योजना के अन्त तक क्षमता का लक्ष्य 24 लाख टन निश्चित किया गया है । अतः हमें 18 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करनी पड़ेगी । इसमें से आधी क्षमता अर्थात् 900,000 टन सरकारी क्षेत्र में और आधी गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करनी पड़ेगी । परन्तु मेरा विश्वास है कि गैर-सरकारी क्षेत्र अधिक से अधिक 300,000 टन की क्षमता स्थापित कर सकता है । अतः शेष 600,000 टन क्षमता की स्थापना का कार्य सरकारी क्षेत्र के लगभग चार संयंत्रों द्वारा किया जायेगा ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): May I know the reasons for slow progress in the construction of fertiliser factory at Gorakhpur and when the production is likely to start there ?

श्री अलगेसन : कुछ दिन पहिले कारखाने के महा प्रबन्धक मुझसे मिले थे । दो महीने की देरी हुई है जिसका कारण ठेके के श्रमिकों द्वारा हड़ताल का किया जाना था । फिर भी यह आशा है कि निर्धारित समय तक, अर्थात् अगले वर्ष की मध्यावधि तक, कारखाने में उत्पादन चालू हो जायेगा ।

श्रीमती अकम्मा देवी : क्या सरकार दुर्गापुर और कोचीन के उर्वरक कारखानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी तथा समय के अन्दर आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करेगी ताकि ये कारखाने निर्धारित समय से कुछ पहिले ही चालू हो जायं ?

श्री अलगेसन : हम लगभग 3 वर्ष में इन कारखानों को स्थापित करना चाहते हैं। यदि आप पहिले के कारखानों के निर्माण की अवधि को देखें, तो आपको पता चलेगा कि उसमें 7 से 8 वर्ष तक लगे हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : यह कहा जाता है कि "टर्नकी" प्रणाली से उर्वरक का शीघ्र उत्पादन किया जा सकता है । सरकार का इस प्रणाली के बारे में क्या दृष्टिकोण है ?

श्री अलगेसन : यह एक आम धारणा है कि "टर्नकी" प्रणाली से कम समय में काम हो जाता है परन्तु मेरा अनुभव इसके विपरीत है । हमने कोचीन तेल शोधन परियोजना को पूरा

करने का काम "टर्नकी" आधार पर दिया था। हमें बताया गया था कि यह 30 महीने में पूरी हो जायेगी। परन्तु अभी इसमें एक वर्ष और लगेगा।

श्री मं० रं० कृष्ण : सरकारी क्षेत्र में पूरी क्षमता से उत्पादन न होने के क्या कारण हैं ? उत्पादन तथा इन मशीनों के निर्माण का कार्यक्रम क्या है ? क्या उत्पादन तथा निर्माण का कार्यक्रम आवश्यक विदेशी मुद्रा तथा अन्य सहायता देकर पूरी तरह से कार्यान्वित किया जायेगा अथवा कार्यक्रम में कोई कटौती की जायेगी ?

श्री अलगेसन : मैंने यह नहीं कहा कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों में पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं हो रहा है। सिन्दरी कारखाने में नियमित क्षमता से कुछ कम उत्पादन हो रहा है। नंगल कारखाने में पूरी क्षमता से उत्पादन हो रहा है। मुझे आशा है कि हम समय के अन्दर आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर सकेंगे।

Shri D. D. Mantri (Bheer): Have Government made any assessment of the requirements of fertilisers in the country and how much quantity of fertilisers Government is likely to supply to the farmers keeping in view the Fourth Five Year Plan ?

श्री अलगेसन : चौथी योजना में क्षमता 2·4 मिलियन टन और उत्पादन 2 मिलियन टन निश्चित किया गया है। यदि कोई कमी रहेगी, तो वह आयात से पूरी की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : (गोहाटी) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय सम्बन्धित मंत्रालय को उतनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं कर रहा है जितनी कि सरकारी क्षेत्र में कारखानों को काम करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है और यही कारण है कि कोचीन और दुर्गापुर के कारखानों में काम रुका पड़ा है।

श्री अलगेसन : क्या दूसरे मंत्रालय के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकते। हमें इस बात से वस्तुतः बहुत प्रसन्नता होगी यदि समय पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध कर दी जाय ताकि परियोजना का कार्य चालू किया जा सके और उसे निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके।

इद्दिकी परियोजना के बारे में

RE : IDIKKI PROJECT

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : मेरा एक निवेदन है। बहुत से सदस्य राज्य की सबसे बड़ी जल-विद्युत परियोजना, इद्दिकी परियोजना, को स्थगित करने के, सरकार के निर्णय के, प्रश्न को इस सभा में उठाना चाहते थे। इस परियोजना पर कई करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। आज सभा का अन्तिम दिन है। इस पर चर्चा की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अस्वीकार कर दिया गया है।

Shri Madhu Limaye : I want to raise a Privilege Motion.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो इस संसद की प्रभुसत्ता से सम्बन्ध रखता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बिना सूचना के इसकी अनुमति नहीं दे सकता । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री हेम बरुआ : हमारे देश में एक विदेशी को संसद की प्रभुसत्ता को चुनौती देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता । पाकिस्तान के दिल्ली स्थित उच्चायुक्त ने भारत सरकार को दिये गये एक स्मरण-पत्र में एक गैर-सरकारी सदस्य द्वारा गत महीने लोक सभा में एक विधेयक पुर:स्थापित किये जाने पर आपत्ति की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक विदेशी राजदूत के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने के लिए कार्यवाही नहीं कर सकते ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाय तथा पाकिस्तान सरकार से कहा जाय कि वह उसे वापस बुला ले ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में कोई कार्यवाही करना वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का काम है ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सभा के नेता यह आश्वासन दे सकते हैं कि इद्दिकी जल-विद्युत् परियोजना के बारे में एक वक्तव्य दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस समय यहां नहीं हैं । वह उन्हें सूचना भेज सकते हैं और यदि वह तैयार हों, तो वह एक वक्तव्य दे सकते हैं ।

Shri Yashpal Singh : There are about 6 to 7 lakh persons in Delhi who are residing in unapproved colonies. They should not be dislodged and justice should be done to them. I request that the Housing Minister should make a statement in this regard this evening.

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिना सूचना दिये ये प्रश्न नहीं उठा सकते । आप बैठ जायं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं इस बात से सहमत हूं कि एक विदेशी राजदूत के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता । क्या आपके कहने के अनुसार मैं यह समझूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इस बारे में कार्यवाही करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने यह मामला उनको निर्देशित कर दिया है ।

Shri Madhu Limaye : Please listen, this is a very serious matter. I have even given the name of the officer. Have you read my letter ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब अपना विनिर्णय देने वाला हूं ।

श्री रंगा : बिना हमारी बात सुने आप कोई विनिर्णय नहीं दे सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्तावों को पढ़ूंगा ।

Shri Madhu Limaye : I am the first man who has tabled the motion. Let me read.

श्री रंगा : जब तक हमें यह कहने का अवसर नहीं दिया जायेगा कि हमने किस कारण से विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है, तब तक आप कोई विनिर्णय नहीं दे सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : सारे तथ्य सभा के समक्ष हैं ।

श्री रंगा : आपके विचार से यह हो सकता है कि सारे तथ्य सभा के सामने हैं । परन्तु हमारे पास कुछ और तथ्य भी हो सकते हैं जो हम सभा के सामने रखना चाहते हैं ।

Shri Madhu Limaye : First allow to speak and then give your ruling.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को दो या तीन मिनट दूंगा ।

श्री रंगा : यह सोचना सभा के नेता का काम है कि सभा को कितना समय दिया जाना चाहिए । देश की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं है । यदि सरकार इस मामले में असफल रहती है तो यह एक विशेषाधिकार का मामला हो जाता है । गृह-मंत्री ने बताया है कि उनकी जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार के उस पुलिस अधिकारी द्वारा, जो उस मामले के सारे ब्योरे बताने के लिए दिल्ली आया था, बताई गई जानकारी पर आधारित थी । यदि वह केन्द्रीय जांच विभाग का अधिकारी होता, तो मंत्री महोदय उसकी आड़ नहीं ले सकते थे क्योंकि उस स्थिति में वह सीधे जिम्मेदार होते और हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते थे । लेकिन उस अधिकारी को पश्चिम बंगाल की सरकार ने नियुक्त किया था । तो फिर इस अधिकारी के आचरण के लिए कौन मंत्री सीधा जिम्मेदार है ? अतः सभा को पश्चिम बंगाल के गृह-मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाने की अनुमति देनी चाहिये । चीन के हमले के समय जासूसी की कार्यवाहियों को रोकने के लिए भारत प्रतिरक्षा नियम बनाये गये थे । परन्तु यहां जन्तर मन्तर में उनकी पार्टी के मुख्यालय के अधीन ही ऐसी बातें हो रही हैं यह स्थान जासूसी का अड्डा बन गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब तथ्य तो सभा के सामने हैं । आप विशेषाधिकार के प्रस्ताव के समर्थन में अपना मामला पेश करें ।

श्री रंगा : मेरा पहला निवेदन यह है कि इसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है और वह इसका उत्तर दे । उसने इन मामलों को पश्चिम बंगाल सरकार को सौंप दिया । अतः केन्द्रीय सरकार ने अपने उत्तरदायित्व से बचने की कोशिश की है जिसके लिए उसकी निन्दा की जानी चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : Please allow me to move the motion.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक सदस्य को अनुमति दूंगा । आप बैठ जायं । मैं सदस्यों से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं हूं ।

Shri Madhu Limaye : First let me move my motion. Speeches can be delivered on that afterwards.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद एक सदस्य को बुला रहा हूं। आप बैठ जायं। मैं आपको भी मौका दूंगा। श्री ही० ना० मुकर्जी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रक्रिया जानना चाहता हूं। स्थिति यह है कि अध्यक्ष ने अभी तक किसी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दी है। इसका कोई प्रश्न नहीं है कि प्रस्ताव किसने पहिले दिया।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to draw your attention to Rule No. 222. I have a point of order on it.

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं बताना चाहता हूं कि इसमें विशेषाधिकार कैसे भंग हुआ है। 6 सितम्बर, 1966 को मंत्री महोदय ने कहा था कि वह अपने 17 अगस्त को दिये उत्तर को शुद्ध करना चाहते हैं यह इसलिए कि उन्हें पश्चिमी बंगाल पुलिस के एक उच्चाधिकारी ने गलत जानकारी दी थी और मंत्री महोदय सभा को जानबूझ कर गलत जानकारी नहीं देना चाहते थे। यदि यह मान लिया जाये कि मंत्री महोदय इसमें निर्दोष हैं फिर भी यह स्पष्ट है कि उस पुलिस अधिकारी ने गलत जानकारी देकर सभा के विशेषाधिकारों को भंग किया है। इसलिए मैं आप की आज्ञा से पश्चिमी बंगाल के गृह-कार्य मंत्री तथा गृह-सचिव तथा उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इनको उचित दण्ड दिया जाये।

श्री मधु लिमये : मैं पश्चिमी बंगाल सरकार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के, जिसे इस मामले के बारे में ब्योरा बताने के लिये दिल्ली बुलाया गया था, विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने यहां यह मांग की थी कि उस अधिकारी का नाम भी बताया जाये। परन्तु सरकार ने यह नहीं किया है। विशेषाधिकार प्रस्ताव के नियमों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम बताया जाना चाहिए कि जिसके विरुद्ध यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना हो। अब अध्यक्ष महोदय इस विषय को विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। यदि इसका सभा में विरोध किया जाये तो 25 सदस्य खड़े होकर इस विषय को समिति को सौंपे जाने की मांग कर सकते हैं। विशेषाधिकार समिति को यह अधिकार प्राप्त है कि सरकार से ऐसे व्यक्तियों के नाम जान सके और उनको साक्ष्य देने को बुलाया जा सके। मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर यह बता सकता हूं कि वह अधिकारी श्री अशोक चटर्जी, सुपरिन्टेन्डेंट, आई० बी० ब्रांच, पश्चिमी बंगाल हैं। वह अपना कार्य श्री बागची तथा श्री के० के० राय, गृह-सचिव के आदेशों के अनुसार कर रहे थे। गृह-सचिव गृह-कार्य मंत्री की हिदायतों के अनुसार करते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उस अधिकारी का नाम बतायें। सभा से इस प्रकार की जानकारी छिपाना सभा के अवमान के समान है। मैं उन अधिकारियों को सभा की मर्यादा भंग करने का दोषी समझता हूं। मैं सभा का ध्यान राज्यों द्वारा अधिक शक्तियां प्राप्त किये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि संसद के अधिकारों पर किसी प्रकार

की आंच आये। पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारियों ने गलत जानकारी देकर सभा का अवमान किया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मेरा प्रस्ताव पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री के विरुद्ध है। उनके एक अधिकारी ने यहां आकर मंत्री महोदय को गलत जानकारी दी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार को विशेषाधिकार भंग करने का दोषी समझा जाय। मंत्री महोदय ने खेद व्यक्ति करके यह बात स्पष्ट कर दी है। इन सब बातों की ओर ध्यान देकर मैंने यह सूचना दी है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर अपनी स्वीकृति देंगे।

Shri Bade : Sir, we have given this notice about the officer of West Bengal Government who misled the Hon. Minister. I think you cannot disallow it on technical grounds, that the name of the officer has not been mentioned in the Notice.

श्री स० मो० बनर्जी : हमने उन अधिकारियों के नाम बताये हैं कि जो इस मामले में दोषी हैं। मैंने कल भी कहा था कि राज्य सरकार के गृह सचिव का श्री अतुल्य घोष से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः जासूसी के कथित अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की गई है। और राज्य सरकार ने एक अधिकारी भेजकर केन्द्रीय सरकार तथा गृह-कार्य मंत्री को गुमराह किया है। मैंने एक और प्रश्न भी पूछा था कि क्या यह सच है कि फरख्खा बैरेज का नक्शा भी गायब कर दिया गया है और सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का इसमें हाथ है। इसमें देश की सुरक्षा का प्रश्न आता है। इस बारे में हमें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

* *

उपाध्यक्ष महोदय : आप को यह शब्द वापिस लेने चाहिए।

श्री प्रभात कार (हुगली): * *

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे मानहानि होती हो। उन्होंने तो केवल एक सुझाव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात स्पष्ट रूप से मानहानिजनक है। इन्हें सभा की·····

श्री स० मो० बनर्जी : इसमें अशिष्टता की क्या बात है * * (**अर्न्तबाधायें**)

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): श्रीमान आपको अपना निर्णय देना है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभा का मान हमारे लिए भी उतना ही प्रिय है जितना कि प्रति-पक्ष वालों के लिए है। यहाँ पर कई व्यक्तियों के नाम लेकर आरोप लगाये गये हैं यह उचित नहीं है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। हम पूरी स्थिति की जानकरी कर रहे हैं। इसके पहले हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारी मंत्री महोदय के प्रति उत्तर-दायी हैं और मंत्री महोदय ने, जो सभा के प्रति उत्तरदायी हैं क्षमायाचना की है। मेरे विचार में अधिकारी का गलत जानकारी देना एक प्रशासनिक मामला है। प्रधान मंत्री ने तथा गृह-कार्य

** अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**Expunged as ordered by the Chair

मंत्री दोनो ने कहा है कि इस बारे में जांच हो रही है। इसमें विशेषाधिकारों के भंग होने की कोई बात नहीं है।

श्री० स० मो० बनर्जी : ***

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत केरल शिक्षा नियम, 1959 में संशोधन करने के बारे में अधिसूचना

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं श्री मु० क० चागला की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 37 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति जिसके द्वारा केरल शिक्षा नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये :

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 410/65 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 119/66 जो दिनांक 15 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 197/66 जो दिनांक 17 मई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-7045/66**]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति तथा उन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन :

(एक) मई, 1962 से मई, 1963 तक की अवधि के लिए राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) मई, 1963 से मई, 1964 तक की अवधि के लिये राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन।

(तीन) मई, 1964 से मई, 1965 तक की अवधि के लिए राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन।

*** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

*** Expunged as ordered by the Chair.

(3) ऊपर की मद (1) और (2) में बताये गये पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**7046/66]

(4) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-**7047/66]

(5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 7048/66]

(6) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 19 के अन्तर्गत इण्डियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज के बारे में 3 सितम्बर, 1966 को श्री किशन पटनायक द्वारा उठाई गई आधे घण्टे की चर्चा के उत्तर में एक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**7049/66]

विश्व बैंक के दल के कोयला परिवहन अध्ययन सम्बन्धी रिपोर्ट के बारे में विवरण

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं विश्व बैंक के दल के कोयला परिवहन अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**7050/66]

तांत उद्योग के मूल्य ढांचे के बारे में प्रशुल्क अयोग की रिपोर्ट

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) तांत (केटगट्स) उद्योग के मूल्य ढांचे के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (1966)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या एल० ई० आई० (ए)—16(5)/65 दिनांक 18 अगस्त, 1966।

(तीन) ऊपर की मद (1) और (2) में बताये गये दस्तावेजों को उक्त धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रख सकने के कारण बताने वाला विवरण की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-**7051/66]

देश में खाद्य स्थिति के बारे में विवरण

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं देश में खाद्य स्थिति के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**7052/66]

केरल वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री ल० ना० मिश्र : मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केरल वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-7053/66]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) 31 मार्च, 1962 को समाप्त हूए वर्ष के लिए केरल वित्त निगम के लेखे का परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केरल वित्त निगम के लेखे का परीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वर्ष के लिये केरल वित्त निगम के लेखे का परीक्षा प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-7054/66]

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 जेड ई की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा कर प्रत्यय-पत्र (निर्यात) योजना, 1965 में कतिपय संशोधन किये गये :

(एक) जी० एस० आर० 694 जो दिनांक 6 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 865 जो दिनांक 6 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 1226 जो दिनांक 8 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(4) ऊपर की मद (3) की (एक) से (तीन) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-7055/66]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 1316 जो दिनांक 27 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 1319 जो दिनांक 27 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-7056/66]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 79वां संशोधन नियम , 1966 की एक प्रति जो दिनांक 27 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी. एस० आर० 1320 में प्रकाशित हुये थे । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०**-7057/66]

(7) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 260/66 जो दिनांक 12 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 310/66 जो दिनांक 16 अगस्त, 1966 के केरल राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(8) ऊपर की मद (7) की (एक) और (दो) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-7058/66]

भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, आदि

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) : मैं श्री हाथी की ओर से इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1270 की एक प्रति जो दिनांक 20 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-7059/66]

(2) दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन (कठिनाइयां दूर करना) आदेश संख्या 1 की एक प्रति जो दिनांक 1 सितम्बर, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 10/28/66-एस आर में प्रकाशित हुआ था । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-7060/66]

सरकार द्वारा विभिन्न आश्वासनों, बचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर की गई कार्यवाही बताने वाला विवरण

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं तीसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, बचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरणों को सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 1	पन्द्रहवां सत्र, 1966
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 5	चौदहवां सत्र, 1966
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 7	तेरहवां सत्र, 1965
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 10	बारहवां सत्र, 1965
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 14	ग्यारहवां सत्र, 1965
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 16	दसवां सत्र, 1964
(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 23	सातवां सत्र, 1964

[**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**-7061 **से** 7067/66]

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैंने ध्यान दिलाने वाले तथा अल्प सूचना प्रश्न की सूचनाएं दी हैं और अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन .....

अन्तर्बाधा

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसी प्रकार बहुत से सदस्य एक ही समय बोलेंगे तो मैं सभा की कार्यवाही कैसे चला सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय ने श्री प्रिय गुप्त को उनके ध्यान दिलाने वाली तथा अल्प सूचना प्रश्न के बारे में आश्वासन दिया था कि खाद्य मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कार्यवाही देख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई आश्वासन दिया गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I wanted to ask some question but Shri Subrahmaniam has left the House.

श्री बड़े (खारगोन) : मंत्री महोदय सभा छोड़ कर जा चुके हैं। उनको वापिस बुलाया जाना चाहिए। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे। मंत्री महोदय को वापस बुलाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I gave a sample of Jawar on 26th July, to the Minister which is being distributed to the people in an area. Now even worse quality of Jawar is being distributed. Therefore I request that Hon. Minister may be called in the House. I want to enquire from him.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे कई बार निवेदन करने के बावजूद भी श्री कछवाय बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। इस प्रकार सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती। मैं श्री कछवाय से कहूंगा कि वह सभा छोड़ कर चले जायें। नियमों के अनुसार सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। मुझे नहीं मालूम कि अध्यक्ष महोदय ने कोई आश्वासन दिया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I will sit down but you please listen to me.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय कृपा करके सभा से बाहर चले जायें। वह सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा): माननीय मंत्री ने अपमानजनक रवैया अपनाया है। वह सभा छोड़ कर चले गये हैं। क्या उनको इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जब सदस्य कहते हैं कि उनको आश्वासन दिया गया था तो आप उनको प्रश्न पूछने की अनुमति क्यों नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय : दिन के अन्त में मैं मंत्री महोदय को सभा में आने के लिये तथा दो तीन सदस्यों को उनसे प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री हरिविष्णु कामत (होशँगाबाद) : वर्ष 1962, 1963 और 1964 के बारे में जो प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखे गये हैं उनको रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला कोई विवरण सभा-पटल पर नहीं रखा गया है। माननीय मंत्री को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): मैं पता लगाने का यत्न करूंगा। विलम्ब के लिए मुझे खेद है।

परिसीमन आयोग का आदेश

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 14-क की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 30 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2002 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग के दिनांक 23 अप्रैल, 1966 के आदेश संख्या 14 में कतिपय शुद्धियां की गई थीं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-7068/66**]

केरल राज्य बिजली बोर्ड का प्रशासनिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं डा० कु० ल० राव की ओर से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित बिजली (संभरण) अधिनियम, 1948 की धारा 75 की उपधारा (1क) के अन्तर्गत केरल राज्य बिजली बोर्ड के 1963-64 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-7069/66]

Shri Buta Singh (Ludhiana) : Five hundred engineers of the Punjab State Electricity Board have submitted their resignations. President's rule is in force there as in Kerala.

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बिल्कुल ही अलग प्रश्न है।

प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) आदेश

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(एक) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) आदेश 1966 की एक प्रति जो दिनांक 25 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए० ओ० 2227 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-7070/66]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री ल० ना० मिश्र : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1318 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 27 अगस्त 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०**-7071/66]

केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं श्री मुहम्मद शफी कुरेशी की ओर से, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 की धारा 43 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 46923 के 21651 आर० जी० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 2 अगस्त, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-7072/66]

केरल पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (**श्री गोविन्द-मेनन**) : मैं श्री शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 165/66 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल पंचायत (पंचायत निधि में से यात्रा खर्च की अदायगी) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 213/66 जो दिनांक 31 मई, 1966 के केरल राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल पंचायत (लेखापरीक्षा) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 217/66 जो दिनांक 31 मई, 1966 के केरल राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल पंचायत (भवन कर) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(चार) केरल पंचायत (सवारी भत्ता अथवा सिटिंग फीस की अदायगी) नियम, 1966 जो दिनांक 21 जून, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 239/66 में प्रकाशित हुये थे ।

(पांच) एस० आर० ओ० संख्या 241/66 जो दिनांक 28 जून, 1966 के केरल राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल पंचायत (अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा हस्तान्तरण) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया ।

(2) ऊपर की मद (1) की (एक) से (पांच) में बतायी गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-7073/66]

केरल मद्य-निषेध अधिनियम तथा अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री पु० शे० नास्कर**) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के

सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मद्य-निषेध अधिनियम, 1950 की धारा 62 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 136/66 की एक प्रति जो दिनांक 30 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-7074/66**]

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2525 जो दिनांक 27 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 1966 से भारतीय वन सेवा गठित की गई। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-7075/66**]

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस पद के बारे में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। भारतीय विदेशी सेवा तथा भारतीय वन सेवा दोनों को आई० एफ० एस० के नाम से पुकारा जायेगा। इनसे भ्रम उत्पन्न हो सकता है इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करे। मेरा सुझाव है कि भारतीय वन सेवा को भारतीय जंगल सेवा के नाम से पुकारा जाये अर्थात् आई० एफ० एस० के स्थान इसको आई० जे० एस० कहा जाये।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही सारांश

श्री अ० शं० आल्वा : मैं विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 90 वीं से 95 वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि लोक-सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1966 को पास किये गये पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन), विधेयक, 1966 से राज्य-सभा अपनी 5 सितम्बर, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

अठावनवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझुनू) : मैं अणु शक्ति उड्डयन विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा वाणिज्य और वैदेशिक-कार्य मंत्रालयों के बारे में विनियोग लेखे (सिविल) 1964-65 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1966 के बारे में लोक लेखा समिति का 58 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री काशी नाथ पाण्डेय (हाटा) : मैं स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के 49वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 32 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

याचिका का उपस्थापन

PRESENTATION OF PETITION

22. Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I present a petition signed by Shri Bhawanji Ramji Gala and others regarding payment of commission of five paise per litre to retail shop-keepers selling kerosene oil without an increase in the consumer price.

वित्त मंत्री द्वारा ओर डिग्नम एण्ड कम्पनी के बारे में वक्तव्य

STATEMENT BY FINANCE MINISTER
RE : ORR DIGNAM AND COMPANY

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं··· ··· ···

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह वक्तव्य किस चीज के बारे में है।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : 1 सितम्बर को तारांकित प्रश्न 781 के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के बारे में श्री मधुलिमये ने सभा-पटल पर एक दस्तावेज रखा था...

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order. I would like to know the rule under which this statement is going to be made. Rule 372 does not apply in this case. I have no intentions to disturb the proceedings of the House. I would also request that I may kindly be allowed to place the question on the Table of the House.

श्री सेझियान (पैरम्बलूर) : ये प्रश्न सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री किन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। माननीय सदस्य गलत वक्तव्य दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस बात की अनुमति नहीं दी थी।

Shri Madhu Limaye : I am making a reference to the Debates and not to the papers. They are two different things.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसको सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक बात के बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मेरा विचार है कि आप नियम 372 के अन्तर्गत इस वक्तव्य की अनुमति दे रहे हैं। नियम 372 में दिया गया है :

"कि लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाये कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।"

अध्यक्ष महोदय के निदेश 115 में दिया गया है :

"कि सदस्य के पास जो कोई भी प्रमाण हों वह अपने आरोप के समर्थन में अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।"

मैं जानता हूं कि जानबूझकर मंत्री महोदय को नियम 372 के अन्तर्गत वक्तव्य देने की अनुमति दी जा रही है। ताकि प्रश्न न पूछे जा सकें। आप निदेश 115 के अन्तर्गत ऐसा वक्तव्य देने के लिये भी मंत्री महोदय को अनुमति दे सकते हैं।

श्री मधु लिमये ने बहुत ही संगत प्रश्न उठाये हैं। मैं भी लगभग पन्द्रह प्रश्न स्पष्टीकरण तथा सचाई जानने के लिये पूछना चाहता हूं परन्तु नियम 372 के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय का निदेश 115 ही इस बारे में उचित है और इसी निदेश के अन्तर्गत ही मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य देना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह सरकार, प्रशासन तथा उसकी नीतियों के हित में ही है कि मंत्री महोदय श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दें। इन प्रश्नों को अध्यक्ष महोदय ने मंत्री महोदय को भेज भी दिया था। सदस्यों को भी यह जानने का अधिकार है कि वह प्रश्न क्या हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 372 सामान्य प्रक्रिया के बारे में है। मुझे विश्वास है कि यह मामला जिस बारे में मंत्री महोदय वक्तव्य देने वाले हैं मूल रूप से तारांकित प्रश्न से उत्पन्न हुआ है।

इसलिए जब एक मामला एक विशेष नियम के अन्तर्गत आता हो उसको सामान्य प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत उठाना उचित नहीं है।

वर्तमान मामला अध्याय सात के अन्तर्गत आता है। इस अध्याय के अन्तर्गत जो नियम हैं वही इस मामले में लागू होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति देते हैं तो प्रश्न पूछे जाने की भी अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह मूल प्रश्नों का ही भाग है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस दिन अध्यक्ष महोदय ने केवल इतना कहा था कि क्योंकि कुछ संदेह प्रकट किया गया है इसलिए मंत्री महोदय को सूचित किया जाये कि वह स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सोमवार को वक्तव्य दें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : इस बारे में निर्णय बिल्कुल स्पष्ट था। श्री मधु लिमये ने अध्यक्ष महोदय को लिखा था कि वह कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय ने उत्तर में माननीय सदस्य को लिखा कि वह ये प्रश्न मंत्री महोदय को भेज रहे हैं। उन्होंने यह नहीं लिखा कि वक्तव्य नियम 372 के अन्तर्गत दिया जायगा। इस बात से ही यह प्रकट होता था कि नियम 372 का आश्रय नहीं लिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। नियम 115 के अन्तर्गत सूचना दी जानी चाहिए थी। इस नियम के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं दी गई है। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय उन प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। मैंने अभी तक वक्तव्य को सुना नहीं है। क्या मंत्री महोदय को कोई आपत्ति है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जब तक नियम अनुमति न दे मुझे आपत्ति है। यदि इस बारे में कोई भी चीज सभा-पटल पर रखी जाती है तो मुझे आपत्ति है।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : पहली सितम्बर, 66 को तारांकित प्रश्न संख्या 781 के बारे में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के दौरान श्री मधु लिमये ने कुछ दस्तावेज सभा-पटल पर रखे थे। जिसको उन्होंने श्री आर० सी० दत्त का पत्र बताया था। श्री मधु लिमये ने कहा था : "आर० सी० दत्त की चिट्ठी है। अगर वित्त मंत्री ने नहीं पढ़ी तो उनकी खिदमत में उनके सेक्रेटरी की चिट्ठी मैं पेश करना चाहता हूं।" वह वक्तव्य गलत और भ्रम फैलाने वाला था। वास्तव में वह दस्तावेज एक पत्र न होकर राजस्व और बीमा सचिव द्वारा 24 फरवरी, 1966 को लिखे गये टिप्पण की एक प्रतिलिपि थी जो उस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् प्रवर्त्तन निदेशक को जानकारी तथा कार्यवाही के लिए भेजा गया था।

विधियों के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायिक और अर्ध-न्यायिक शक्तियों तथा प्रशासनिक शक्तियों के बीच विभेद किया जाना चाहिए। तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की शक्तियां न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक शक्तियां नहीं हैं। ये आरम्भिक प्रशासनिक

प्रक्रियाएं हैं जो एक व्यक्ति की स्वाधीनता पर चोट करती हैं और जिनसे उसकी ख्याति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है । सरकार के अधिकारियों द्वारा निरंकुश रूप से तलाशी तथा माल पकड़ने की इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना एक अच्छी सरकार तथा लोकतंत्रीय सिद्धान्तों के विपरीत है । यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्त्तव्य है कि इन शक्तियों का प्रयोग सावधानी से किया जाये । मंत्रीगण सदा ऐसा नियंत्रण रखते रहे हैं और अधीक्षण करते रहे हैं । पहले ऐसे मामले हुए हैं जिनमें स्थानों अथवा व्यक्तियों की तलाशियां लेने के पश्चात् सरकार के मामलों की परिस्थितियों पर सन्तुष्ट हो जाने पर उन पक्षों से खेद व्यक्त किया गया जिनके मामले में तलाशियां अन्याय-युक्त तथा अनावश्यक थीं । ऐसा करना उचित ही है क्योंकि जिन मामलों में लोगों को इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग किए जाने के कारण परेशान होना पड़ा है, सरकार को जहां तक सम्भव हो सके भूल-निवारण करना चाहिए ।

वर्त्तमान मामले के तथ्य इस प्रकार हैं । 11 फरवरी, 1966 को प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा कलकत्ता के सालिसिटर मेसर्स ओर डिग्नम एण्ड कम्पनी के कार्यालय तथा इस फर्म के दो वरिष्ठ भागीदारों के मकानों की तलाशी ली गई । ये तलाशियां ली जाने तथा इनके समाप्त होने से पहले मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और इसलिए मेरा इन तलाशियों में हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं उठता । कुछ दिन पश्चात् मेसर्स ओर डिग्नम एण्ड कम्पनी के एक वरिष्ठ भागीदार श्री बी० पी० रे दिल्ली आए और उसने मुझे तथा मेरे सचिव से शिकायत की कि ये तलाशियां अवैध, अनावश्यक तथा अन्याययुक्त थीं तथा ये तलाशियां कुछ विवादास्पद मामलों में हित रखने वाले पक्षों के कहने पर असद्भावना से की गई थीं । मेरे कहने पर श्री रे ने अपनी शिकायतें लिख कर दीं । संलग्न पत्रों सहित उस पत्र की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7077/66**]

इन शिकायतों के बारे में पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि श्री बी० पी० रे के निवास-स्थान की तलाशी लिये जाने के फलस्वरूप कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली थी । यह भी मालूम हुआ कि ये तलाशियां कुछ विवादास्पद मामलों में, जिनमें मेसर्स ओर डिग्नम एण्ड कम्पनी एक पक्ष के लिए सालिसिटर के रूप में कार्य कर रही थी, कुछ हित रखने वाले एक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई थीं । मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री बी० पी० रे के निवास-स्थान की तलाशी लेने का कोई औचित्य नहीं था और इसलिए मैंने अपने सचिव को हिदायत दी कि वह प्रवर्त्तन निदेशालय को कहे कि वे श्री बी० पी० रे को उसको हुई असुविधा पर खेद प्रकट करते हुए एक पत्र लिखें । सारे हालात पर विचार करके मैंने यह महसूस किया कि मेसर्स ओर डिग्नम एण्ड कम्पनी के कार्यालय तथा श्री सिल्वर्सटन के निवास-स्थान से पकड़े गये कागजात मंगाना तथा प्रवर्त्तन निदेशालय के उपनिदेशक तथा सीमा शुल्क विभाग के अतिरिक्त कलक्टर से स्पष्टीकरण प्राप्त करना जरूरी था । बाद में प्राप्त हुई इस सारी सामग्री पर विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यद्यपि श्री बी० पी० रे के निवास-स्थान की तलाशी लेना एक खेदजनक बात थी तथापि ये तलाशियां अवैध, अनावश्यक अन्याययुक्त अथवा असद्भावपूर्ण नहीं थीं जैसा कि मेसर्स ओर डिग्नम एण्ड कम्पनी ने कहा था । मैं इस निष्कर्ष

पर भी पहुंचा कि इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखी जाय । तद्नुसार मेरे सचिव ने 5 मार्च, 1966 को इस फर्म को उत्तर भेजा । इस पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-7077/66**] कार्यवाही अभी चल रही है ।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधि के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली गई है । यह सही नहीं है कि मैंने इस मामले में अपने व्यक्तिपरक ज्ञान के आधार पर कार्यवाही की, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था ।

श्री मधु लिमये : क्या श्री आर० सी० दत्त द्वारा प्रवर्त्तन निदेशालय को टिप्पण लिखे जाने से पहले ओर डिग्नम एण्ड कम्पनी के कार्यालय से पकड़े गये दस्तावेज वित्त मंत्री अथवा वित्त सचिव द्वारा देख लिये गये थे ? स्पष्टतया, वे नहीं देखे गये थे जैसा कि उस टिप्पण से जाहिर है जिसमें इस दस्तावेज की मांग की गई है । तब वे कैसे इस निर्णय पर पहुंचे कि पकड़े गये दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि उस कम्पनी के कार्यालय की तलाशी नहीं ली जानी चाहिए थी ? क्या मंत्री महोदय के लिए उन दस्तावेजों का अध्ययन किये बिना यह निष्कर्ष निकालना उचित था ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : वे मेरी कानूनी राय जानना चाहते हैं परन्तु मैं अपनी राय नहीं बता सकता ।

Shri Madhu Limaye : I do not want his opinion. I want a straight answer. They have no self-respect left in them.

श्री ही० ना० मुकर्जी : जब माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछते हैं, तो मंत्री महोदय उसे टालने की कोशिश करते हैं । मैं स्वयं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय आपने श्री मधु लिमये को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है परन्तु मंत्री महोदय ने उसका वास्तविक उत्तर देने के बजाय प्रश्न के अन्तिम भाग की ओर निर्देश करके उसे टाल दिया है । उनका प्रश्न था कि क्या यह आदेश जारी करने से पहले तलाशी की रपट पर विचार किया गया था ? मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया है । उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye : My question should be answered. I dot not want any legal opinion because that has no value. That is purchased.

उपाध्यक्ष महोदय : अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई थी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : प्रश्न वास्तव में यह है कि क्या आदेश जारी किये जाने से पहले तलाशी की रपट की जांच की गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय ने उन दस्तावेजों की जांच की थी ? उन्हें "हां" अथवा "न" में उत्तर दे देना चाहिए ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : तलाशी 11 फरवरी, 1966 को ली गई थी और इसके परिणाम-स्वरूप मेसर्स और डिग्नम एण्ड कम्पनी के कार्यालय से दस्तावेज पकड़े गये थे। इसके पश्चात् निदेशक ने 11 तारीख को अथवा उसके बाद कलकत्ता स्थित कार्यालय से टेलीफोन पर बातचीत की और उसको बताया गया कि ओर डिग्नम एण्ड कम्पनी के कार्यालय से कुछ दस्तावेज पकड़े गये हैं और उसको उनका सार भी बताया गया। निदेशक तथा मेरे सचिव ने कलकत्ता स्थित कार्यालय से हुई बातचीत से मुझे सूचित किया और उसके आधार पर मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचा।

श्री हेम बरुआ : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 19 (घ) (1) के अधीन सरकार को किसी स्थान की, जहां किसी ऐसे दस्तावेज के छिपे होने का सन्देह हो जिस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है, तलाशी लेने का अधिकार है।

इसलिए यदि कोई आपत्तिजनक दस्तावेज न भी मिले, तो भी सरकार को संबंधित पक्ष को खेद व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या सरकार ने इसे एक विशेष मामला समझ कर ऐसा किया है ? अथवा क्या सरकार का इरादा प्रत्येक ऐसी फर्म को जहां से कोई आपत्ति-जनक दस्तावेज न पकड़े जायें खेद व्यक्त करने का है ? क्या सरकार इस नीति को उन लोगों पर भी लागू करेगी जिन्हें पाकिस्तानी आक्रमण के समय केवल उनके मुसलमान होने के नाते भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था ? क्या उन व्यक्तियों से खेद व्यक्त किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री कपूर सिंह : क्या ऐसे सभी मामलों में खेद व्यक्त किया जाता है अथवा किसी विशेष मामले में ही ? यदि प्रत्येक ऐसे मामले में खेद व्यक्त किया जाता है तो क्या मैसर्स चमनलाल एण्ड कम्पनी के मामले में भी खेद व्यक्त किया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रंगा : क्या सरकार यह प्रयत्न करेगी कि लोगों को बेकार तंग अथवा उनका अपमान न किया जाये और यदि ऐसा हो भी जायेगा तो क्या सरकार ऐसे मामले में खेद व्यक्त किया करेगी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं पहले ही अपने लिखित वक्तव्य में बता चुका हूं कि मेरे मंत्रालय में ऐसे मामले हुए हैं जबकि संबंधित पक्षों को खेद पत्र भेजे गये हैं। जब भी किसी मामले में खेद व्यक्त करना उचित होता है अवश्य ही ऐसा किया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : काला धन निकालने में हमें इतनी अधिक कठिनाइयां पेश आ रही हैं। इसी उद्देश्य से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि सद्भावना से ऐसी तलाशियां करने वाले अधिकारियों को क्षमा मांगने अथवा खेद व्यक्त करने के लिए कहा जायेगा तो क्या इससे उनके काला धन निकालने के प्रयत्नों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्षमा नहीं मांगी गई थी। उन्होंने क्षमा नहीं मांगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैंने अपनी जानकारी के लिए स्पष्टीकरण देने के लिये कहा था। यह ठीक ही कहा गया है कि इस अधिनियम में यह उपबन्ध है कि सद्भावना से ली गई तलाशियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मंत्री होने के नाते मैं यह पता लगाने का हक रखता हूं कि कानून ठीक तरह से लागू किया जा रहा है अथवा नहीं ? मुझे अपनी राय बनाने का भी हक है। मुझे उस अधिकारी से जो मेरे प्रति उत्तरदायी है यह पूछने का भी अधिकार है कि मैंने जो राय बनाई है वह ठीक है अथवा गलत। उससे मैंने इसी कारण पूछा था। सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

सरकार का इरादा यही है कि गलत कार्य करने वाला व्यक्ति कानून की जिद से न बच सके और साथ साथ यह भी मेरी चिन्ता का विषय है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को बेकार परेशानी न उठानी पड़े।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के भविष्य के बारे में

RE : FUTURE OF MANAGING AGENCY SYSTEM

उपाध्यक्ष महोदय : प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के भविष्य के बारे में एक विवरण 5 तारीख को सभा-पटल पर रखा गया था। माननीय सदस्य उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस समय किसी अन्य चीज की अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य केवल उस विवरण के बारे में प्रश्न पूछ सकते है।

श्री बड़े : श्री हेम बरुआ ने कहा है कि पाकिस्तानी आक्रमण के समय मुसलमानों को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था कि वे मुसलमान थे। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका वर्तमान विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। कृपया वे बैठ जाएं।

श्री स० मो० बनर्जी : तब तो इस संसद् की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

निदेश 115 के अन्तर्गत कोचीन शिपयार्ड के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा मंत्री द्वारा उसका उत्तर

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND REPLY BY MINISTER THERETO RE: COCHIN SHIPYARD.

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : 9 अगस्त, 1966 को सभा में कोचीन शिपयार्ड सम्बन्धी अल्प सूचना प्रश्न से उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान मंत्री महोदय से पूछा गया था कि क्या कोचीन में शिपयार्ड बनाने के लिये चौथी योजना में कुछ राशि निर्धारित की गई है ? परिवहन तथा असैनिक उड्डयन राज्य-मन्त्री श्री पुनाचा ने बताया था कि राशि नियत करने आदि के बारे में सरकार द्वारा परियोजना प्रतिवेदन इत्यादि की जांच तथा उस पर फैसले के बाद निर्णय किया जायेगा।

मंत्री महोदय ने सभा को स्पष्ट रूप से यह बताया था कि सभा को यह जानकारी कि यह परियोजना चौथी योजना में शामिल कर दी गई है अथवा नहीं और इसके लिये चौथी योजना में धनराशि नियत कर दी गई है अथवा नहीं, केवल तभी मिल सकेगी जब चौथी पंचवर्षीय योजना सभा के सामने चर्चा के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

इस प्रकार सभा को तो यह कह दिया गया कि वह सरकार के, तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय की प्रतीक्षा करे और जब तक चौथी योजना का प्रारूप सभा में पेश न किया जाय तब तक प्रतीक्षा करे। परन्तु बताया जाता है कि खाद्य तथा कृषि राज्य-मंत्री श्री पी० गोविन्द मेनन ने 11 अगस्त, 1966 को अर्नाकुलम में समाचारपत्र संवाददाताओं को सूचित किया था कि चौथी योजना में जहाज बनाने की परियोजना शामिल कर दी गई है और कोचीन में शिपयार्ड बनाने के लिए राशि निर्धारित की जा चुकी है। इस आशय का समाचार "मलयालम मनोरमा" में निकला था।

यदि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री ने जो कुछ कहा है वह सत्य है तो यह महत्वपूर्ण तथ्य न केवल सभा से जान बूझ कर छिपाया गया है बल्कि परिवहन मंत्री ने यह कह कर सभा को गुमराह किया है कि शिपयार्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा राशि नियत करने के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है। खाद्य तथा कृषि राज्य-मंत्री के लिए भी समाचारपत्र संवाददाताओं को वह सूचना देना बहुत अनुचित था जबकि सभा को बताया गया था कि वह जानकारी चौथी योजना के प्रकाशित होने के पश्चात् ही प्राप्त कर सकेगी।

इन दोनों में से कोई न कोई वक्तव्य अवश्य ही गुमराह करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में दोनों सम्बन्धित मंत्रियों को सभा के सामने अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैंने 9 अगस्त, 1966 को सदन में दो बातें कही थीं :

(एक) भूमि सर्वेक्षण तथा परियोजना पर तकनीकी समिति का प्रतिवेदन मिलने के

तुरन्त बाद आवश्यक राशि नियत करने तथा काम शुरू करने के बारे में आगे कार्यवाही की जायेगी।

(दो) यह बात कि दूसरी शिपयार्ड परियोजना अन्तिम तथा निश्चित रूप से चौथी योजना में शामिल कर ली गई है तभी मालूम हो सकेगी जब सरकार समूची चौथी योजना को स्वीकार कर लेगी और उसे सभा के सामने रख देगी।

ये दोनों बातें सही हैं। चौथी योजना में दूसरे शिपयार्ड के निर्माण के लिये कोई राशि नियत नहीं की गई थी। इसका कारण यह था कि चौथी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था और जैसा कि परिवहन मंत्री तथा मैंने बताया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद् तथा सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात् योजना अन्तिम रूप में सभा के सामने रखी जायेगी। 9 अगस्त, 1966 को स्थिति यही थी कि शिपयार्ड के निर्माण के लिये चौथी योजना में कोई राशि नियत नहीं की गई थी क्योंकि योजना को अन्तिम रूप ही नहीं दिया जा चुका था। फिर भी यह मैं और कह दूं कि 1966-67 के बजट में प्रारम्भिक जांच कार्य के लिये 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

श्री अ० क० गोपालन : श्री गोविन्द मेनन को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या 11 अगस्त की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

———

निदेश 115 के अन्तर्गत डा० तेजा की प्रस्तावित गिरफ्तारी के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य तथा मंत्री द्वारा उत्तर

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND REPLY BY MINISTER THERETO Re: PROPOSED ARREST OF DR. TEJA.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : श्री गोविन्द मेनन ने 11 अगस्त को अर्नाकुलम में कहा था कि श्री पुनाचा ने उन्हें बताया था कि योजना में राशि नियत की जा चुकी है। दो दिन के भीतर ये भिन्न-भिन्न वक्तव्य क्यों दिये गये ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मुझे पता नहीं कि किसने मुझे उद्धृत किया है तथा कहां पर उद्धृत किया है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मंत्री महोदय सदस्य के वक्तव्य को देखकर ही अपना वक्तव्य तैयार करते हैं। उसमें उन्हीं के एक सहयोगी द्वारा दिये गये वक्तव्य का उल्लेख था और उन्होंने अपने वक्तव्य में उसका जिकर तक नहीं किया है। मैं यही समझूंगा कि उन्होंने सही वक्तव्य दिया है और वे उससे मुकर नहीं सकते हैं।

श्री अ० क० गोपालन : 9 अगस्त को प्रश्नों के उत्तर में कहा गया था कि 21 या 22 तारीख से पहले इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकेगा। अगले ही दिन मंत्री महोदय वहां जाकर ऐसा वक्तव्य दे देते हैं। उन्हें बताना चाहिये कि क्या उन्होंने अर्नाकुलम में ऐसा वक्तव्य दिया था अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें नियमों के अनुसार चलना है।

Shri Madhu Limaye : We are simply following the Rules of Procedure and nothing else.

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक ही वक्तव्य दिया जा सकता है।

श्री मधु लिमये : यह कार्य-सूची में है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने सचिव को लिखा था : "चूंकि निदेश 115 के अन्तर्गत मैं अपना वक्तव्य आज नहीं पढ़ूंगा, इसलिये मेरा सुझाव है कि सचिवालय वक्तव्य तथा मंत्री के उत्तर को संसदीय पत्रों के साथ परिचालित कर दे।"

माननीय सदस्य ने स्वयं ही लिखा कर दिया है कि वे इसे नहीं पढ़ेंगे।

Shri Madhu Limaye : When was the letter written? You should not have read it out here. It has no relevance. It is there on the Order Paper. The reason is this. The Hon. Minister has not made the statement honestly. He has not expressed regret.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री मधु लिमये कृपया उसे सभा-पटल पर रख दें। उनके पत्र के आधार पर मैं उन्हें यह कह रहा हूं।

Shri Madhu Limaye : There is no value of my letter. Rules are supreme.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मधु लिमये : हमें प्रक्रिया के नियमों के अनुसार चलना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : हम समय नष्ट नहीं करते हैं। नियम इस प्रकार हैं.....

श्री अ० म० थामस : देश इसे भली प्रकार जानता है।

श्री स०मो० बनर्जी : आप रक्षा मंत्री हैं। आपको देश की रक्षा करनी चाहिये। परन्तु आप अध्यक्षपीठ की रक्षा कर रहे हैं।

मैं आपका ध्यान आज के आर्डर पेपर की ओर आकर्षित करता हूँ। उसमें 'निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य' नामक शीर्षक है। उसमें मद 24 यह है कि श्री अ० क० गोपालन को वक्तव्य देना है तथा उसके उत्तर में श्री संजीव रेड्डी वक्तव्य देंगे। मद 25 में यह लिखा है कि श्री मधु लिमये सभा-पटल पर एक विवरण रखेंगे।

आप निदेश 115 देखें। मेरा निवेदन केवल यह ही है कि सभा-पटल पर विवरण रखने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। उपबन्ध बहुत सरल है कि सदस्य द्वारा बताई गई अशुद्धता अथवा अन्य चीजों के बारे में सदस्य से आंकड़े इकट्ठे करने के बाद यदि आप यह समझते हैं कि इसकी अनुमति दी जानी चाहिए तो सदस्य वक्तव्य देगा।

दूसरे डा० तेजा के बारे में सभा को आंकड़े बताये गये थे। डा० तेजा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सारी बात इसी से उठी। हमने सभा में यह कहा था कि कुछ लोग डा० तेजा को बचाने की कोशिश कर रहे थे—चाहे वह गृह-कार्य मंत्री हो या वित्त मंत्री अथवा कोई और.....

उपाध्यक्ष महोदय : इसका व्यवस्था के प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं तो केवल तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप वक्तव्य की अनुमति दे सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि उन्हें वक्तव्य देना चाहिए तथा मंत्री महोदय को भी वक्तव्य देना चाहिए तथा सभा को जितने प्रश्न वह चाहे पूछने दिये जाने चाहिए।

डा० तेजा के विरुद्ध एक मामला है। वह विदेश चले गये हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि कुछ लोगों ने उन्हें बाहर भेजने की साजिश की है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। गृह-कार्य मंत्रालय ने डा० तेजा को गिरफ्तार करने के लिये प्रवर्त्तन अधिकारी को अनुमति नहीं दी। यही कारण है कि उन्होंने मई 1966 में देश से बाहर जाने का साहस किया।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि अनुदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये। मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका उस पर विनिर्णय चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसे पढ़ सकते हैं। हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिये।

श्री मधु लिमये : मैं समय नष्ट नहीं कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल विवरण पढ़िये।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister should be prepared to express regret even now. This thing has been cleared now that I was right.

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल विवरण पढ़िये। मैं भाषण की अनुमति नहीं दे सकता हूँ।

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, जयन्ती शिपिंग विधेयक पर 24 अगस्त, 1966 को चर्चा के दौरान मैंने यह पूछा था कि डा० तेजा को उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था जब वह भारत में थे। उन्हें तो तभी गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिये था, विशेषकर जबकि प्रवर्त्तन शाखा (वित्त मंत्रालय) ने उनको गिरफ्तार करने का प्रस्ताव किया था। मेरे इस प्रश्न पर श्री संजीव रेड्डी ने कहा कि प्रवर्त्तन शाखा के लोगों ने डा० तेजा को गिरफ्तार करने की सिफारिश नहीं की थी। किसी व्यक्ति ने भी यह नहीं कहा था कि डा० तेजा को गिरफ्तार न किया जाये। कोई भी उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध नहीं था। इनके अलावा प्रवर्त्तन विभाग ने तो कहा था कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले और सबूत इकट्ठे किये जाने चाहिये। उस समय वह अपने जहाज बेचने के लिये सरकार की अनुमति लेने भारत आये हुये थे।

श्री संजीव रेड्डी का वक्तव्य ठीक नहीं था। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मेरी जानकारी के अनुसार डा० तेजा मई, 1966 के पहले पखवाड़े में भारत में थे। मेरा ख्याल है कि प्रवर्त्तन निदेशालय ने उनको गिरफ्तार करने के लिये 8-9 मई को प्रस्ताव किया। तब फिर 11-12 मई को उनके रवाना होने से पहले उन्होंने यह सुझाव दिया कि कम से कम उनका पारपत्र तो रद्द कर ही दिया जाना चाहिये। यदि यह भी नहीं, तो ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि वह भारत छोड़कर न जा सकें। तथापि, वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री, गृह-कार्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री किसी न किसी ने यह प्रस्ताव रद्द कर दिया।

इसलिए सरकार पर मेरा यह आरोप है कि उसने मई के दूसरे सप्ताह में भारत से भागने की उनकी मदद की। यह बात बिल्कुल गलत है जैसा कि परिवहन मंत्री जी ने कहा था कि प्रवर्त्तन निदेशालय उनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि वित्त मंत्री उनके रास्ते में न आये होते तो प्रवर्त्तन निदेशालय और वित्त मंत्रालय के सचिव ने विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 19 ख के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया होता। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि डा० तेजा के पारपत्र को जब्त अथवा रद्द करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त शक्ति थी।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय का विवरण प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार नहीं है। अतः वह उस विवरण को सभा पटल पर नहीं रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उसे पढ़ दें।

श्री हरि विष्णु कामत : वह उसे पढ़ भी नहीं सकते हैं। इससे प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन होता है। मैं आपका ध्यान नियम 370 की ओर दिलाता हूँ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रवर्त्तन निदेशालय तथा विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने उन्हें यह सलाह दी थी कि डा० तेजा को गिरफ्तार न किया जाये। अतः जब तक वह उस सलाह

अथवा उनके विचारों को सभा पटल पर नहीं रख देते हैं, विवरण सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि विवरण के अन्तिम पैरा में कुछ दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है । वे दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें राज्य-सभा के सदस्य, श्री दया भाई पटेल ने गृह-कार्य मंत्री को भेजा था । उन्हीं के उत्तर में गृह-कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया । माननीय मंत्री को उसके बारे में हमें जानकारी देनी होगी । मेरा निवेदन यह है कि नियम 354 के अन्तर्गत राज्य सभा के किसी भी भाषण को यहां उद्धरित नहीं किया जा सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय सदस्य ने नियम 370 का उल्लेख किया है । मेरा प्रश्न यह है कि इस विशिष्ट उत्तर में दो मंत्रालय अन्तर्ग्रस्त हैं ।

श्री संजीव रेड्डी : विवरण को पढ़ने से पहले ही माननीय सदस्य उसमें से उसका उद्धरण कर रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि यह कहां तक उचित है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह सभा-पटल पर रख दिया गया है । हमें इसकी प्रतियां मिल चुकी हैं ।

श्री संजीव रेड्डी : इसे अभी सभा-पटल पर नहीं रखा गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें इसकी प्रति सूचना कार्यालय से मिल चुकी है । श्री कामत का व्यवस्था का प्रश्न यह था कि विवरण के साथ सभी दस्तावेज होने चाहिए तथा उसके साथ उन्हें भी सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान एक पहले के मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ । जब श्री कामत ने केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन से कुछ भाग पढ़े थे तो श्री सिंहासन सिंह ने तुरन्त व्यवस्था का प्रश्न उठाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सभा का बहुत समय ले रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह समय नष्ट करने की कोई बात नहीं है । यह सब देश के हित की बातें हैं । चूंकि आज सत्र का अन्तिम दिन है इसलिये हमें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए । उस समय श्री सिंहासन सिंह ने व्यबस्था का प्रश्न उठाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का व्यवस्था का प्रश्न क्या है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री कामत ने कहा है कि दस्तावेज सभा-पटल पर रखे जाने चाहिए । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । मैं श्री कामत की बात का समर्थन करता हूँ । साथ ही साथ मेरा यह निवेदन भी है कि उत्तर गृह-कार्य मंत्री तथा यित्त मंत्री को देना चाहिए । इसका उत्तर उड्डयन मंत्री से नहीं आना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न डा० तेजा की गिरफ्तारी के बारे में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 370 प्रश्नों के उत्तर से सम्बन्धित है अथवा वाद-विबाद से ।

यह वक्तव्य न तो प्रश्नों के उत्तर में दिया गया है और न ही वाद-विवाद के दौरान । यह वक्तव्य निदेश 115 के अन्तर्गत दिया गया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु अन्य नियम भी लागू होते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं । श्री मधु लिमये चाहते हैं कि विवरण पढ़ा जाना चाहिए । अतः माननीय मंत्री इसे पढ़ सकते हैं अथवा सभा-पटल पर रख सकते हैं ।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : इस मामले के तथ्य बताने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 25 अगस्त 1966 को चर्चा के दौरान जब मैंने "प्रवर्तन शाखा के लोगों" का उल्लेख किया था तो मेरा आशय केन्द्रीय जांच विभाग से था ।

मेरा यह विचार है कि वित्त मंत्रालय में प्रवर्तन डिवीजन ने 11 मई, 1966 को वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार के सचिव को सूचना दी थी कि उन्हें सूचना मिली है कि ऐसा विचार है कि डा० तेजा 11-12 मई, 1966 की रात को भारत से रवाना हो जायेंगे । वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में सचिव ने उसी दिन केन्द्रीय सूचना विभाग के निदेशक से, जो गृह-कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन हैं, यह सलाह की और पूछा कि वह यह बतायें कि क्या डा० तेजा को गिरफ्तार करने के लिये कुछ किया जा सकता है । केन्द्रीय सूचना विभाग के निदेशक ने सचिव को बताया कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर डा० तेजा के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है और इन परिस्थितियों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है । जैसे ही मुझे इन बातों का पता लगा तो मैंने माननीय सदस्यों को स्थिति स्पष्ट करना अपना कर्त्तव्य समझा और अध्यक्ष महोदय को इस बारे में अवगत किया ।

अगले महीने कम्पनी के प्रबन्ध को हाथ में लेने से कई दस्तावेजों तथा ऐसी बातों का पता चला जो डा० तेजा के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त सामग्री थी । अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467 और 477-क के साथ पठित धारा 120 ख के अन्तर्गत उनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं । जबसे सरकार ने इस कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया डा० तेजा भारत नहीं लौटे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने जो नियम 370 पर अपना विनिर्णय दिया था तो आपने कहा था कि यह वाद-विवाद नहीं है तथा यह नियम लागू नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री हरि विष्णु कामत : ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको थकान हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ ने आश्वासन दिया था कि वह सभा में विवरण नहीं पढ़ेंगे । उसी के आधार पर हमने दूसरी मद संख्या 115 स्वीकार की थी ।

Shri Madhu Limaye : It is against the Rules.

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु ऐसा इसके बाद नहीं हो सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप इस प्रकार नियम कैसे बदल सकते हैं ।

दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश (न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक

DELHI AND HIMACHAL PRADESH (SEPARATION OF JUDICIAL AND EXECUTIVE FUNCTIONS) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों के पृथक्करण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों के पृथक्करण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Ram Sewak Yadav : (Bara Banki) The Hon. Speaker had given an assurance. The proceedings of the 5th September may be seen.

श्री नन्दा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, you may see the proceedings of 5th September.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : आपने 12 बजे तक की कार्यवाही 3·51 बजे तक जारी रखने की अनुमति दे दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक सभा मुझे सहयोग नहीं देती मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ।

Shri Ram Sewak Yadav : The Hon. Speaker had given an assurance.

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं । यदि वह ऐसा करते रहे तो मुझे उन्हें सभा छोड़ने के लिये कहना पड़ेगा ।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : The Hon. Speaker had given an assurance.

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें । आप नोटिस दें तब मैं विचार करूंगा

Shri Ram Sewak Yadav : This is Hon. Speaker's decision.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद पर चलते हैं ।

पंजाब पुनर्गठन विधेयक—जारी
PUNJAB REORGANISATION BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पंजाब पुनर्गठन विधेयक पर आगे विचार करेगी। हम खण्डों पर विचार कर रहे थे तथा श्री बूटा सिंह भाषण दे रहे थे। चूंकि इस विधेयक को आज समाप्त करना है इसलिये मेरी सबसे प्रार्थना है कि मुझे सहयोग दें। इस विधेयक को समाप्त करने पर हम दूसरे काम को लेंगे।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : The notice was given on 5th September. The Hon. Speaker had given an assurance. This matter is regarding A. P. J. company.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि वह बाहर चले जायें।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इस विधेयक पर कितना समय लिया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : आठ घंटे और पाँच मिनट लिये जा चुके हैं। हमें आज इसे पूरा करना है। यह सदस्यों पर निर्भर करता है। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपने भाषण में कम समय लें और इसे पूरा करने का प्रयत्न करें।

श्री हेम बरुआ : हम कितने बजे तक बैठ रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक हम विधेयक तथा अन्य कार्य पूरा नहीं कर लेते। हम छः बजे तक बैठते हैं और फिर देखेगें।

श्री बड़े (खारगोन) : छः बजे के बाद सभा के पुनः समवेत होने पर हम इस पर विचार करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का आर्डर पेपर देखने से पता चलता है, कि आज के लिये तीन आधे घंटे की चर्चायें हैं। उससे पहले प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों पर चर्चा होनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या समय सीमा निर्धारित कर दी गई है तथा मंत्री महोदय कब उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा यह सुझाव है कि इस विधेयक को छः बजे से पहले पूरा कर दिया जाये। उसके बाद यदि सभा चाहेगी तो हम दूसरा कार्य लेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उसे अगले सत्र तक के लिये स्थगित कर दिया जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : पाँच बजे श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा आधे घंटे की चर्चा उठाई जायेगी। मेरे विचार से हम तब उसे ले लें और बाद में विधेयक को फिर ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम विधेयक को पहले समाप्त करेंगे। उसके बाद अन्य कार्य लेंगे।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी एवं चुरुट कार्मिक (नियोजन की शर्तें) विधेयक पिछले चार पांच रोज से कार्य सूची में रखा जा रहा है तथा सभा ने इस पर विचार नहीं किया है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों पर भी चर्चा होनी है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सबसे पहले विधेयक पूरा किया जायेगा। उसके बाद बीड़ी एवं चुरुट कार्मिक (नियोजन की शर्तें) विधेयक लिया जायेगा। और तीनों आधे घंटे की चर्चायें आयेंगी। यदि यही स्थिति है, तो हम कब तक बैठेंगे।

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : जब तक सभा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवती : अर्थात् कल अथवा परसों तक।

उपाध्यक्ष महोदय : जितना काम सम्भव हो सका हम करेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आज का तात्पर्य रात के बारह बजे तक होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक को पूरा करने तक बैठेंगे। उसके बाद यदि सभा चाहेगी तो अन्य कार्य लिया जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री माथुर की आधे घंटे की चर्चा का क्या होगा।

श्री रघुनाथ सिंह : प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामले पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अतः उसे पहले लिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे सदस्यों पर छोड़ता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया आप आर्डर पेपर देखें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : इस विधेयक के बाद प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामला आता है। उसके अतिरिक्त तीन आधे घंटे की चर्चायें हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सभा को अधिक समय तक बैठना पड़ेगा। क्या गणपूर्ति का पालन किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अवश्य।

Shri Madhu Limaye : I want to say something about the agenda, Order Paper etc.

Mr. Deputy Speaker : That is gone.

Shri Madhu Limaye : The Hon. Speaker had given an assurance on 5th September, regarding L. P. J.

Mr. Deputy Speaker : Not yet.

Shri Ram Sewak Yadav: Today is the last day of the session.

Thousands of rupees have been wasted by taking rice from Burma through L. P. J. It was the responsibility of the then Food Minister, Minister of External Affairs and Prime Minister. You had allowed that paper but that is not being taken up now.

Shri Madhu Limaye: Since you are not taking it. We shall have to leave the House.

Shri Ram Sewak Yadav: Shri Patil and the Minister of External Affairs are also involved in the embezzlement case of rice.**

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur):**

(इसके पश्चात् श्री राम सेवक यादव तथा कुछ और माननीय सदस्य तब सभा भवन से बाहर चले गये)।

Shri Ram Sewak Yadav and some other Hon. Members then left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री हेम बरुआ : क्या आप उन्हें ** कहने के लिये धन्यवाद दे रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सभा छोड़कर जाने के लिये उन्हें धन्यवाद कहा है। उसे निकाल दिया जायेगा।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : उच्च न्यायालय सम्बंधी धारा 29 के संशोधन संख्या 115 पर कल मुझे बोलना था। इस विधेयक से सरकार पंजाब के वर्तमान उच्च न्यायालय को पंजाब और हरियाना दोनों के लिए बनाना चाहती है। इससे पंजाब के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।

[**श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए**
Shri Sham Lal Saraf in the Chair]

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरा संशोधन तीन कारणों से स्वीकार कर लें। पहली बात यह है कि गुड़गांव तथा नारायणगढ़ के लोगों के लिये चंडीगढ़ जाना बहुत मुश्किल हो जायेगा। पहले उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा तथा तब वे चंडीगढ़ जायेंगे। दूसरे चूंकि मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सिफारिश से की जायेगी जिससे यह राजनैतिक विवाद खड़ा हो जायेगा। हरियाना तथा पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के कारण इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति का मामला हरियाना और पंजाब के मुख्य मंत्रियों के लिए राजनैतिक झगड़े का विषय बन जायेगा। यह असंभव हो जायेगा कि पंजाबी भाषा इस उच्च न्यायालय तथा सत्र (सेशन) न्यायालय की भाषा बने, इसलिए दोनों राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय रखना पंजाबी भाषा के साथ कानूनी रूप में एक भेद-भाव हो जायेगा। अतः मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वह हमें यह आश्वासन दें कि नये राज्यों के निर्माण के पश्चात् इन दो राज्यों के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की जायेगी।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री नन्दा : तत्काल पृथक उच्च न्यायालय बनाने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां होंगी। वर्तमान व्यवस्था अभी रहनी चाहिए, जब राज्य बन जायेंगे तो हम परिवर्तन कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 115 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 115 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 115 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 29 was added to the Bill

खण्ड 30 से 47 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 30 to 47 were added to the Bill

खण्ड 48—(भूमि और सामान)

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : श्रीमान्, मैं संशोधन संख्या 76, 77, 78 तथा 79 प्रस्तुत करता हूं।

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : श्रीमान, मैं संशोधन संख्या 107 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं अपने संशोधन संख्या 108, 109 तथा 110 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Jagdev Singh Sidhanti : While Punjab has advanced in industrial and agricultural fields ; Hariana is still a backward area. With a view to bringing Hariana to the Punjab level, assets outside the State of Punjab should be divided between these two States ; or the alternative thereof is the lands, buildings properties, stores, goods and other articles or their market value be distributed according to the population ratio.

श्री गजराज सिंह राव : उत्तर प्रदेश में पश्चिम यमुना नहर पर कुछ मकान हैं और इन मकानों का पंजाब राज्य में चला जाना न्यायोचित नहीं है। अतः राज्य से बाहर का माल, वस्तुएं चल तथा अचल सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार के निर्णयानुसार उत्तराधिकारी राज्यों को दी जानी चाहिए। हरियाना को करोड़ों रुपये की सम्पत्ति से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।

श्री हेम राज : आस्तियों के विभाजन के सिद्धान्त के अनुसार ये आस्तियां उत्तराधिकारी राज्यों को मिलनी चाहिए। पंजाब से बाहर की आस्तियां इन तीन नये राज्यों को मिलनी चाहिए।

श्री नन्दा : जहां तक श्री सिद्धान्ती के संशोधन का सम्बन्ध है, इस बारे में कुछ गलतफहमी है। खण्ड 48 के उप-खण्ड (6) में "भूमि" शब्द में हर प्रकार की अचल सम्पत्ति तथा ऐसी सम्पत्ति आदि में अथवा उस पर कोई भी अधिकार शामिल हैं। अतः इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक उस सम्पत्ति का जो पंजाब से बाहर है, सम्बन्ध है, वह सर्वप्रथम पंजाब की है परन्तु जो कुछ अपेक्षित है, वह यथासमय किया जायेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 76, 77, 78, 79, 107, 108, 109 **तथा** 110 **मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।**

Amendments No. 76, 77, 78, 79, 107, 108 109, and 110 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 48 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 48 **विधेयक में जोड़ दिया गया।**

Clause 48 was added to the Bill

खण्ड 49 **(सरकारी खजाना और बैंकों की बकाया)**

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं संशोधन संख्या 80 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नन्दा : साक्षेप रूप से यह छोटी धनराशि है जिससे कोई खास समस्या हल नहीं होती, माननीय सदस्य को इस बारे में कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 80 **सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

Amendment No. 80 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 49 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 49, **विधेयक में जोड़ा गया।**

Clause 49, was added to the Bill.

खण्ड 50 **से** 68 **तक भी विधेयक में जोड़े गये।**

Clauses 50 to 68, were also added to the Bill

खण्ड 69

श्री बूटा सिंह : मैं संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Gulshan (Bhatinda) : I fully endorse the views already expressed by my Hon. friend Shri Buta Singh in connection with the proposed common High Court at Chandigarh. It is necessary to create a separate High Court for Punjab and a separate one for Hariana, otherwise it will be statutory discrimination against the Punjabi language.

श्री नन्दा : चूंकि इस आशय का संशोधन पहले स्वीकार नहीं किया गया है अतः इसे स्वीकार करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 14 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 69 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 69 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 69 was added to the Bill.

खण्ड 70

संशोधन संख्या 15, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
Amendment No. 15 was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 70 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 70 विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 70 was added to the Bill

खण्ड 71 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 71 was added to the Bill.

खण्ड 72 (संविहित निगमों के लिये सामान्य उपबन्ध)

श्री गजराज सिंह राव : मैं संशोधन संख्या 111 प्रस्तुत करता हूँ ।

सभापति महोदय : प्रस्तुत संशोधन सभा के समक्ष है ।

श्री गजराज सिंह राव : खण्ड 72 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम के अधीन बनाये गये बोर्ड का उल्लेख है । उसी प्रकार वक्फ सम्पत्ति के बारे में व्यवस्था की जानी चाहिये । पंजाब वक्फ अधिनियम, 1954 जो इस समय वर्तमान पंजाब के मसजिदों, धार्मिक स्थानों आदि पर लागू है, पंजाब हरियाना और हिमाचल प्रदेश पर लागू होना चाहिए । ऐसा करना बहुत जरूरी है, अतः प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाना अत्यावश्यक है ।

श्री नन्दा : वक्फ अधिनियम की स्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं है। यह सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। अतः इस बारे में विशेष उपबन्ध बनाने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 111 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 111 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 72 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 72 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 72 was added to the Bill

खण्ड 73 (कुछ कम्पनियों के बारे में उपबन्ध)

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 35, पंक्ति 1 से 10 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखा जाये**—

Provision as to certain Companies 73—(1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this part, each of the following companies, namely:

(i) the Punjab Export Corporation.

(ii) the Punjab State Small Industries Corporation.

(iii) the Punjab Dairy Development Corporation.

(iv) the Punjab Poultry Corporation.

(v) the Land Development and Seed Corporation.

(vi) the Industrial Development Corporation ; and

(vii) the Agro Industrial Corporation,

shall on and from the appointed day and until otherwise provided for in any law, or in any agreement among the successor States, or in any direction issued by the Central Government, continuing to function in the areas in which it was functioning immediately before that day, and the Central Government may from time to time issue such directions in relation to such functioning as it may deem fit, notwithstanding anything to the contrary contained in the Companies Act, 1956 or 1 of 1956 in any other law."

[**कुछ कम्पनियों के सम्बन्ध में उपबन्ध**—73. (1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के अन्तर्निहित होते हुए भी, इनमें से प्रत्येक कम्पनी, अर्थात् :

(एक) पंजाब नियति निगम ;

(दो) पंजाब लघु उद्योग निगम ;

(तीन) पंजाब दुग्धशाला-विकास निगम ;

(चार) पंजाब मुर्गीपालन निगम ;

(पांच) भूमि विकास तथा बीज निगम ;

(छः) औद्योगिक विकास निगम ; और

(सात) कृषि-औद्योगिक निगम, नियत दिन को और उस दिन से तथा जब तक किसी विधि में अथवा उत्तराधिकारी राज्यों के बीच किसी करार द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी अन्य निर्देश में अन्यथा उपबन्धित न हों, उन क्षेत्रों में कार्य करती रहेंगी जिनमें उस दिन से तुरन्त पहले वह कार्य कर रही थी ; और ऐसे कार्यकलाप के सम्बन्ध में, कम्पनी अधिनियम, 1956, अथवा किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिन्हें वह उचित समझेगी ।] (87)

इस संशोधन के पीछे मुख्य अभिप्राय यह है कि प्रस्तुत खण्ड में तीन इन कम्पनियों, यथा पंजाब निर्यात निगम, पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम तथा पंजाब डेरी विकास निगम को सुचीवद्ध किया गया है। संशोधन में ऐसी कई अन्य संस्थाओं के नाम हैं जिन्हें इस विधान में शामिल करना उपयुक्त समझा गया है। इसीलिये ऐसा किया गया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

87. पृष्ठ 35,— पंक्ति 1 से 10 तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

Provision as to certain Companies: 73—(1) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this part, each of the following Companies, namely :

(i) the Punjab Export Corporation.

(ii) the Punjab State Small Industries Corporation.

(iii) the Punjab Dairy Development Corporation.

(iv) the Punjab Poultry Corporation.

(v) the Land Development and Seed Corporation.

(vi) the Industrial Development Corporation and

(vii) the Agro Industrial Corporation.

shall, on and from the appointed day and until otherwise provided for in any law, or in any agreement among the successor States, or in any direction issued by the Central Government, continue to function in the areas in which it was functioning immediately before that day; and the Central Government may from time to time issue such directions in relation to such functioning as it may deem fit, notwithstanding anything to the contrary contained in the Companies Act, 1956 or 1 of 1956 in any other law."

[**कुछ कम्पनियों के सम्बन्ध में उपबन्ध**—73. (1) इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के अन्तर्निहित होते हुए भी, इनमें से प्रत्येक कम्पनी अर्थात् :

(एक) पंजाब निर्यात निगम,

(दो) पंजाब लघु उद्योग निगम ;

(तीन) पंजाब दुग्धशाला-विकास निगम ;

(चार) पंजाब मुर्गीपालन निगम ;

(पांच) भूमि विकास तथा बीज निगम ;

(छः) औद्योगिक विकास निगम ; और

(सात) कृषि-औद्योगिक निगम, नियत दिन को और उस दिन से तथा तब तक किसी विधि में अथवा उत्तराधिकारी राज्यों के बीच किसी करार द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी अन्य निर्देश में अन्यथा उपबन्धित न हो, उन क्षेत्रों में कार्य करती रहेंगी जिनमें उस दिन से तुरन्त पहले वह कार्य कर रही थीं ; और ऐसे कार्यकलाप के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 1956, अथवा किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिन्हें वह उचित समझेगी ।"] (87)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 73 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 73 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया ।
Clause 73 as amended, was added to the Bill

खण्ड 74

श्री बूटा सिंह : मैं संशोधन संख्या 16 तथा 17 प्रस्तुत करता हूँ

नये राज्य बनने के बाद भी मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 लागू रहेगा । यह समझ में आ रहा है कि केन्द्रीय सरकार यह क्यों चाहती है कि उसके पास यह शक्ति रहनी चाहिए कि वह उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंसों तथा परमिटों में संशोधन कर सके तथा उनकी शर्तों को बदल सके । सम्बद्ध लोगों में इससे अनिश्चितता तथा सन्देह की भावना उत्पन्न हो जायेगी । सरकार को अधिक शक्ति नहीं लेनी चाहिए ।

Shri Gulshan : There is no justification on the part of the Central Government to take over any power in relation to permits and licenses issued under the Motor Vehicles Act, 1939. Hence the successor states should be allowed to dispose of and deal with the matters relating to such permits and licenses.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : खण्ड 74 के अन्तर्गत परमिट और लाइसेंस सम्बन्धी

शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी साम्प्रदाय के विरुद्ध दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार इन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारों के परामर्श से करेगी। इस उपबन्ध से बिल्कुल कोई हानि नहीं होगी।

श्री नन्दा : खण्ड 74 (1) का परन्तुक लगभग राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार है। यह अस्थाई उपबन्ध है। केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस अन्तरिम अवधि में यातायात के निर्बाध प्रवाह में कोई बाधा न आये।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 तथा 17 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 16 and 17 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 74 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 74 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 74 was added to the Bill

खण्ड 75 तथा 76 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 75 and 76 were added to the Bill.

खण्ड 77 (कुछ राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रखना)

श्री बूटा सिंह : मैं संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं :

गृह-कार्य मंत्री को चंडीगढ़ के बारे में यह आश्वासन देना चाहिए कि इस समय यह अस्थाई व्यवस्था है और इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श तथा निर्णय—राजनैतिक निर्णय बाद में किया जायेगा। चंडीगढ़ को आवश्यक रूप में पंजाब का एक भाग समझा जाना चाहिए।

Shri Gulshan : The arrangement arrived at with reference to Chandigarh should be revised. It belongs to Punjab and in must go to Punjab. The Hon. Home Minister should concede this demand.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : In fact Chandigarh is a part of Hariana and it does belong to Hariana. Therefore it must go to Hariana.

श्री दी० चं० शर्मा : चंडीगढ़ के बारे में स्थिति वास्तव में विचित्र है। कुछ लोगों का कहना है कि चंडीगढ़ सभी दृष्टि से पंजाबी राज्य का एक अंग है और कुछ कहते हैं कि वह वास्तव में हरियाना का एक भाग है और उसे हरियाना में ही शामिल किया जाना चाहिए। अतः इस स्थिति ने एक विवादास्पद रूप धारण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में चंडीगढ़ के सम्बन्ध में विधेयक में की गई व्यवस्था ही बनी रहनी चाहिए।

Shri Daljit Singh (Una) : Chandigarh is being made a Union Territory. It is, no doubt, a part of Punjab and it should go to Punjab.

श्री बड़े (खारगोन) : सीमांकन आयोग ने चंडीगढ़ के हरियाना में रहने की सिफारिश की थी। हम-गृहकार्य मंत्री से यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि सरकार ने इस सिफारिश की क्रियान्विति क्यों नहीं की ?

श्री वारियर (त्रिचूर) : सरकार को पक्का निर्णय लेना होगा कि चंडीगढ़ पंजाब में शामिल किया जायेगा अथवा हरियाना में। यदि इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ दिया गया तो आगामी वर्षों में यह झगड़े का आधार बना रहेगा।

श्री नन्दा : चंडीगढ़ के बारे में जो निर्णय लिया गया उसके कुछ उचित कारण हैं। सीमा आयोग ने चंडीगढ़ के बारे में एक मत से सिफारिश नहीं की थी। इसलिए हमारे लिए यह विचार करना आवश्यक था कि वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा प्रबन्ध क्या हो सकता है और इसी आधार पर यह व्यवस्था की गई है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 18 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 77 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 77 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 77 was added to the Bill

खण्ड 78 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 78 was added to the Bill.

खण्ड 79

सभापति महोदय : अब सभा के समक्ष खण्ड 79 है।

श्री बूटा सिंह : मैं संशोधन संख्या 19, 20, 21 तथा 22 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दलजीत सिंह : मैं संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं।

श्री गजराज सिंह राव : मैं संशोधन संख्या 112 तथा 113 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं संशोधन संख्या 129 तथा 130 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बूटा सिंह : खण्ड 79 (1) द्वारा केन्द्रीय सरकार अनावश्यक तौर पर भाखड़ा बोर्ड के प्रशासन में अपना हाथ रखना चाहती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बोर्ड का प्रशासन चलाने

की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि यह प्रशासन पहले ही पंजाब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अतः इस बोर्ड का प्रशासन इसके बाद भी पंजाब सरकार द्वारा ही चलाया जाना चाहिए।

Shri Gulshan : I do not understand the necessity or reason why the Central Government takes the power to constitute the Bhakra Management Board. It is a gross injustice being done to the Punjab State Government. Why not the Punjab Government should manage the affairs of this Board? Therefore, the power to constitute the Bhakra Management Board should not vest in the Central Government and it should be given to the State Government.

Shri Daljit Singh (Una) : It is the splendid work of the engineers who constructed Bhakra Dam that there is no irrigation and power problem right upto Rajasthan. That team must have included engineers from both Haryana and Punjab. This project should be allowed to remain with them so as to enable them to continue their good work. In case this work is taken over by Government, the amount of Rs. 170 crores advanced as loan should be waived. The existing personnel should continue in the interest of smooth working.

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : भाखड़ा परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है। यह सभी राज्यों, हिमाचल, हरियाना, पंजाब तथा दिल्ली के लिये लाभकारी होगा कि इसका नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाये। मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों तथा सब-स्टेशनों का प्रबन्ध भी केन्द्रीय बोर्ड के नियंत्रण में होना चाहिये और प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार उससे बिजली लेनी चाहिये।

वर्तमान अध्यक्ष के स्थान पर एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिये क्योंकि काम बहुत अधिक होगा। इस काम के लिये और अधिक अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए। इसीलिये मैंने अपना संशोधन संख्या 130 प्रस्तुत किया है।

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : भाखड़ा परियोजना पंजाब की तुलना में हरियाना में सिंचाई की कमी को दूर करने के हेतु बनाई गई थी। यह किसी राज्य/राज्यों की योजना नहीं अपितु एक राष्ट्रीय योजना है। खण्ड 79 (च) में गलती से पानीपत, लुधियाना और संगरूर का उल्लेख नहीं किया गया था। उनका बहुत महत्व है, 220 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन का होना भी बहुत आवश्यक है। यह एक तकनीकी मामला है और नियंत्रण बोर्ड का ही रहना चाहिए। सिविल अधिकारियों का बोर्ड यह काम नहीं कर सकता है। मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है कि केन्द्रीय सरकार को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करना चाहिये। मेरे संशोधन संख्या 112 और 113 सभा को स्वीकार करने चाहिये।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : This Project was prepared by Sir Chhotu Ram, a veteran leader of Haryana, with the help of Maharaja of Bilaspur and it was primarily meant for Haryana. Our brethren in Punjab have enjoyed the irrigation and power from Bhakra to the fullest extent. I commend the amendments of Shri Gajraj Singh Rao for acceptance of the House.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस भ्रान्ति को दूर करना चाहता हूं कि महाराजा बिलासपुर ने यह योजना बनाई थी। वह तो एक साधारण कागज पर मामूली खाका था। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक पूर्ण खाका बनवाया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और इसके राष्ट्रीय स्वरूप को बने रहने देना चाहिए। इस बारे में प्रस्तावित व्यवस्था उचित है। पंजाब के दो प्रतिनिधि होने चाहिये क्योंकि अधिकांश नहरें उसके क्षेत्र से होकर जाती हैं, राजस्थान और हरियाना का एक-एक प्रतिनिधि होना चाहिये। मेरे मित्र ने कहा कि अध्यक्ष पूर्णकालिक होना चाहिए और दो पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह चेतावनी दे दूं कि इस देश में नौकरशाही का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि से अधिक भयंकर होगा। पूर्णकालिक अध्यक्ष आदि कुछ नहीं होना चाहिये। यह खण्ड बिल्कुल ठीक है और मैं इसका समर्थन करता हूं

Shri Bade : Both the sides, Haryana and Punjab claim themselves to be the architect of Bhakra Dam. I am reminded of the case of dispute between two ladies over the ownership of a child. The magistrate ruled that the child may be divided into two whereupon the real mother withdrew her claim. Similarly, let people of Punjab, who claim to be the real architect of Bhakra Project, withdraw their claim. Since they do not say so, I doubt their claim.

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० कु० ल० राव) : भाखड़ा व्यवस्था तथा भाखड़ा बांध न केवल पंजाब अपितु हरियाना और हिमाचल प्रदेश के लिये भी गौरव की बात है। सारे भारत को इस पर गर्व है क्योंकि यह नाममात्र की विदेशी सहायता से पूर्णतः भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाया गया है। भाखड़ा बांध को पंजाब में रखने की मांग की गई है। बांध तो पंजाब में है लेकिन भाखड़ा बांध का जलाशय व्यास का जलाशय, व्यास बांध तथा व्यास-सतलज नदीं व्यवस्था सभी हिमाचल प्रदेश में है। इसी तर्क के आधार पर हिमाचल के लोग कल को इस पर अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। फिर भाखड़ा व्यवस्था से 500 वर्षों तक सारे भारत को लाभ उठाना है। हमारे अनुमान के प्रतिकूल जलाशय में अधिक गाद जमा हो रही, जिसे हमें भू-संरक्षण उपायों द्वारा रोकना है। साथ ही सतलुज पर एक 800 से 1000 फुट तक ऊँचा बांध बनाने का विचार कर रहे हैं जिससे कि न केवल हमें अधिक लाभ हो अपितु भाखड़ा जलाशय में गाद भी जमा न हो ताकि वह 500 वर्षों से भी अधिक समय तक काम दे सके। इस तरह इससे अनेक समस्याएं सम्बद्ध हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि इस सारी व्यवस्था का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के हाथ में ही रहे।

भाखड़ा व्यवस्था के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम रावी से पानी लेकर व्यास नदी में, व्यास से सतलज और फिर सतलज से यमुना में डाल रहे हैं। इस तरह पानी की अदला-बदली हो जाती है। नहरें पंजाब से आरम्भ तो होती हैं लेकिन ये तो पंजाब, हरियाना ही नहीं बल्कि राजस्थान के लोगों को भी लाभ पहुंचाती हैं, 1970 अथवा 1973 में जब पाकिस्तान के साथ की गई सिन्धु जल-सन्धि पूर्ण रूप से लागू हो जायेगी, तो इस व्यवस्था पर

अधिक जोर पड़ेगा और इस जल-व्यवस्था तथा बिजली व्यवस्था का प्रबन्ध बहुत महत्वपूर्ण हो जायेगा । हम इससे 20 लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का विचार कर रहे हैं । हम सलाल बांध तथा अनेक अन्य बांधों का निर्माण करने वाले हैं और इनके पूरा हो जाने पर यह देश की एक अत्यन्त विशाल जल तथा विद्युत व्यवस्था बन जायेगी । इसलिये यह देश के हित में होगा कि इसका नियंत्रण एवं प्रबन्ध ऐसे संगठन के हाथ में हो जो इन सब बातों के लिये समान हो । अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार द्वारा रखे गये संशोधनों को स्वीकार किया जाये ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : पहले केवल राजस्थान कुछ अंश में प्रभावित था लेकिन अब हरियाना को पंजाब से भी अधिक सिंचाई की आवश्यकता है । इसको तथा प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुये इसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहना आवश्यक है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 19, 20, 21, 22 और 40 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendments Nos. 19, 20, 21, 22 and 40 were put and negatived.

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खण्ड 79, पृष्ठ 40 में—

(एक) पंक्ति 18 और 19 **के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :**

"(f) Sub-stations at Ganguwal, Ambala, Panipat, Delhi, Ludhiana, Sangrur and Hissar and the main 220 K.V. transmission lines connecting the said sub-stations with the power stations specified in clauses (d) and (e): and"

[(च) गंगवाल, अम्बाला, पानीपत, दिल्ली, लुधियाना, संगरूर और हिसार स्थित "सब-स्टेशनों" तथा उक्त "सब-स्टेशनों" को खण्ड (घ) और (ङ) में उल्लिखित बिजलीघरों से मिलाने वाली 220 के० वी० ट्रांसमिशन लाइनें; और]

(दो) पंक्ति 23 और 24 **के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :**

"(a) a whole time Chairman and two whole time members to be appointed by the Central Government."

[(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य ।]

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 112, 113, 129 और 130 वापस लिये गये ।

Amendments No. 112, 113, 129 and 130 were by leave withdrawn.

सभापति महोदय : अब मैं श्री नन्दा का संशोधन रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

खण्ड 79, पृष्ठ 40 में—

(एक) पंक्ति 18 और 19 **के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये ।**

"(f) Sub-stations at Ganguwal, Ambala, Panipat, Delhi, Ludhiana, Sangrur and Hissar and the main 220 K.V. transmission lines connecting the said sub-stations with the power stations specified in clauses (d) and (e); and"

[(च) गंगवाल, अम्बाला, पानीपत, दिल्ली, लुधियाना, संगरूर और हिसार स्थित "सब-स्टेशनों" तथा उक्त "सब-स्टेशनों" को खण्ड (घ) और (ङ) में उल्लिखित बिजलीघरों से मिलाने वाली 220 के० वी० ट्रांसमिशन लाइनें ; और]

(दो) पंक्ति 23 और 24 **के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :**

"(a) a whole time Chairman and two whole time members to be appointed by the Central Government."

[(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 79, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 79, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 79, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 80

श्री हेमराज : मैं खण्ड 80 पर अपना संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करता हूं । व्यास बांध का अधिकांश भाग कांगड़ा जिले में है, जो हिमाचल प्रदेश में मिलाया जायेगा, इसलिये इन सब बातों में तथा व्यास से सम्बन्धित सभी योजनाओं के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार से भी परामर्श करना चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नन्दा : संघ राज्य-क्षेत्र की ओर से केन्द्रीय सरकार का प्रबन्ध करना है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 56 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 56 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 80 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 80 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 80 was added to the Bill.

खण्ड 81 से 83 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 81 to 83 were added to the Bill.

खण्ड 84— (निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति)

श्री बूटा सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं । मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि चण्डीगढ़ पंजाब में रहना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इस खण्ड में केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब और हरियाना की सरकारों तथा हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ के संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासकों को निदेश दिये जाने की व्यवस्था है । लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो उप-राज्यपाल हैं, न कि प्रशासक । इसलिये हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में 'उप-राज्यपाल' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

श्री नन्दा : प्रशासक शब्द की परिभाषा देखने से माननीय सदस्य को पता चलेगा कि इसका अर्थ "संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया किसी संघ राज्य-क्षेत्र का प्रशासक" है ।

संशोधन संख्या 23 सभा की अनुमति से वापस लिया गया
Amendment No. 23 was, by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 84 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 84 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 84 was added to the Bill.

खण्ड 85—पंजाब लोक सेवा आयोग सम्बन्धी उपबन्ध ।

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 47,—

(एक) पंक्ति 8 से 11 तक **के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :**

Provisions as to State Public Service Commissions—"85. (1) The Public Service Commission for the existing State of Punjab shall, on and from the appointed day, cease to exist.

(2) The person holding office immediately before the appointed day as chairman of the Public Service Commission for the existing date of Punjab shall become the Chairman of the Public Service Commission for the state of Haryana or Punjab as the president shall, by order, specify and every other person holding, office immediately before that day as member of that commission shall become a member, or if so specified by the president, the chairman, of such one of the said Commissions as the President shall, by order, specify.

(3) Every person who becomes the chairman or other member of a public Service Commission on the appointed day under sub- Section (2) shall—

(a) be entitiled to receive from the Government of the State conditions of service not less favourable than those to which he was entitled under the provisions applicable to him immediately before the appointed day ;

(b) subject to the proviso to clause (2) of article 316, hold office or continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions applicable to him immediately before the appointed day."

(ii) in line 12, for "(2)" substitute "(4)".

[**राज्य लोक सेवा आयोगों सम्बन्धी उपबन्ध**—"85. (1) वर्तमान पंजाब राज्य का लोक सेवा आयोग नियत दिन को और तबसे समाप्त हो जायगा ।

(2) नियत दिन से तत्काल पूर्व वर्तमान पंजाब राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रधान के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति, हरियाना अथवा पंजाब राज्य के लोक सेवा आयोग का प्रधान हो जायगा । जैसा भी राष्ट्रपति विशिष्ट आदेश दें तथा उस दिन से तत्काल पूर्व उस आयोग के सदस्य के पद पर कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उक्त आयोगों में से किसी एक के सदस्य, अथवा प्रधान यदि राष्ट्रपति ऐसा आदेश दें, हो जायगा, जैसा भी राष्ट्रपति विशिष्ट आदेश दें ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो उप-खण्ड (2) के अन्तर्गत नियत दिन को एक लोक सेवा आयोग का प्रधान अथवा अन्य सदस्य बन जाता है,

(क) राज्य सरकार से ऐसी सेवा की शर्तें पाने का अधिकारी होगा, जो नियत दिन से तुरन्त पूर्व उस पर लागू होने वाले उपबन्धों के अन्तर्गत पाने की अधिकारी शर्तों से उसके कम अनुकूल न हों ।

(ख) अनुच्छेद 316 के खण्ड (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, नियत दिन से तुरन्त पूर्व उस पर लागू होने वाले उपबन्धों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकाल के समाप्त होने तक उस पद पर काम करेगा अथवा करता रहेगा ।]"

(दो) पंक्ति 12 में, "(2)" **के स्थान पर** "(4)" **रखा जाय** । [123]

श्री बूटा सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूँ । यद्यपि मंत्री महोदय ने अपना संशोधन रखा है, फिर भी मैं अपने संशोधन पर जोर देना चाहता हूँ । मंत्री महोदय के संशोधन के स्थान पर मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए । एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग रखने का कोई औचित्य नहीं है ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I support the amendment of Shri Buta Singh. There should be a separate Public Service Commission for us.

Shri Nanda : We are doing just the same.

संशोधन संख्या 24 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

Amendment No. 24 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 47 पर,— पंक्ति 8 से 11 तक **के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाये :**

"**Provisions as to State Public Service Commissions**—"85. (1) The Public Service Commission for the existing State of Punjab shall, on and from the appointed day, cease to exist.

(2) The person holding office immediately before the appointed day as chairman of the Public Service Commission for the existing date of Punjab shall become the Chairman of the Public Service Commission for the state of Haryana or Punjab as the president shall, by order, specify and every other person holding, office immediately before that day as member of that commission shall become a member, or if so specified by the president, the chairman, of such one of the said Commissions as the President shall, by order, specify.

(3) Every person who becomes the chairman or other member of a Public Service Commission on the appointed day under sub-Section (2) shall—

(a) be entitled to receive from the Government of the State conditions of service not less favourable than those to which he was entitled under the provisions applicable to him immediately before the appointed day ;

(b) subject to the proviso to clause (2) of article 316, hold office or continue to hold office until the expiration of his term of office as determined under the provisions applicable to him immediately before the appointed day,"

(ii) in line 12, for "(2)" substitute "(4)".

[**राज्य लोक सेवा आयोगों सम्बन्धी उपबन्ध**—"85. (1) वर्तमान पंजाब राज्य का लोक सेवा आयोग नियत दिन को और तबसे समाप्त हो जायगा ।

(2) नियत दिन से तत्काल पूर्व वर्तमान पंजाब राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रधान के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति हरियाना अथवा पंजाब राज्य के लोक सेवा आयोग का प्रधान हो जायेगा जैसा भी राष्ट्रपति विशिष्ट आदेश दें तथा उस दिन से तत्काल पूर्व उस आयोग

के सदस्य के पद पर कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उक्त आयोगों में से किसी एक के सदस्य, अथवा प्रधान यदि राष्ट्रपति ऐसा आदेश दें, हो जायेगा जैसा भी राष्ट्रपति विशिष्ट आदेश दें ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपखण्ड (2) के अन्तर्गत नियत दिन को एक लोक सेवा आयोग का प्रधान अथवा अन्य सदस्य बन जाता है,

(क) राज्य सरकार से ऐसी सेवा की शर्तें पाने का अधिकारी होगा, जो नियत दिन से तुरन्त पूर्व उस पर लागू होने वाले उपबन्धों के अन्तर्गत पाने की अधिकारी शर्तों से उसके कम अनुकूल न हों;

(ख) अनुच्छेद 316 के खण्ड (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, नियत दिन से तुरन्त पूर्व उस पर लागू होने वाले उपबन्धों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यकाल के समाप्त होने तक उस पद पर काम करेगा अथवा करता रहेगा ।]"

(दो) पंक्ति 12 में, "(2)" **के स्थान पर** "(4)" **रखा जाये** । [123]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 85, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 85, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 85, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 86

श्री बूटा सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नन्दा : मैं इसे स्वीकार नहीं करता :

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
Amendment No. 25 was put and negatived

उपध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 86 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 86, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 86 was added to the Bill.

खण्ड 87 और 88 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 87 and 88 were added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 89 विधेयक अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 89 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 89 was added to the Bill.

खण्ड 90

संशोधन किया गया :
Amendment made :

(एक) पृष्ठ 48,—

पंक्ति 30 में,—

"90" **के स्थान पर** "90.(1)" **रखा जाये ।**

(दो) पृष्ठ 49,—

पंक्ति 6 **के बाद** निम्नलिखित **जोड़ा जाये :**—

"(2) Any reference to the High Court of Punjab in any law shall, unless the context otherwise requires, be construed, on and from the appointed day, as a reference to the High Court of Punjab and Haryana."

["(2) किसी भी कानून में पंजाब उच्च न्यायालय के उल्लेख का अर्थ, जब तक प्रसंग में अन्यथा व्यवस्था न हो, नियत दिन को और तब से, पंजाब और हरियाना के उच्च न्यायालय का उल्लेख माना जायेगा ।"] [132]

—[श्री नन्दा]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खण्ड 90, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 90, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 90, as amended, was added to the Bill

खण्ड 91

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 91 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 91 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 91 was added to the Bill.

खण्ड 92 से 96 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 92 to 96 were added to the Bill

खण्ड 97

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 51, पंक्ति 10, में "salary" [वेतन] **के स्थान पर** "salaries" [वेतनों] **रखा जाये** ; और

पंक्ति 11, "chairman" (प्रधान) **के स्थान पर** "whole-time chairman and whole-time members" [पूर्णकालिक प्रधान तथा पूर्णकालिक सदस्य **रखा जाये**]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 51, पंक्ति 10, "salary" [वेतन] **के स्थान पर** "salaries" [वेतनों] **रखा जाये**; और

पंक्ति 11, "chairman" (प्रधान) **के स्थान पर** " whole-time chairman and whole-time members" [पूर्णकालिक प्रधान तथा पूर्णकालिक सदस्य **रखा जाये**]"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 97, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 97, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 97, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रथम अनुसूची लेते हैं ।

श्री हेमराज : मैं प्रथम अनुसूची पर अपना संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन किया गया :

Amendment made:

पृष्ठ 53,—

कंडिका 1 में,

(क) (एक) शीर्षक "Name of patwar circle [पटवार सर्किल का नाम] **हटा दिया जाये ।**

(दो) शीर्षक "patwar circle No." [पटवार सर्किल संख्या और उसके अन्तर्गत दिये गये आंकड़े हटा दिये जायें]

कंडिका 2, में

(ख) (एक) शीर्षक "Name of patwar circle" [पटवार सर्किल का नाम] हटा दिया जाये ।

(दो) शीर्षक "patwar circle No." [पटवार सर्किल संख्या] और उसके अन्तर्गत दिये आंकड़े हटा दिये जाये] (124)

—[**श्री नन्दा**]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 57 **मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

Amendment No. 57 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गयी ।

The First Schedule, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी अनुसूची पर एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

Amendment made :

(क) पृष्ठ 53, कंडिका 1 में :

(i) "Name of Patwar Circle" ["पटवार सर्किल का नाम"] शीर्षक हटा दिया जाये ।

(ii) "Patwar circle No." and the figures there under; ["पटवार सर्किल संख्या और उसके अन्तर्गत आकड़े"] हटा दिये जायें ।

(ख) पृष्ट 54, कंडिका 2, कालम 3 में

(i) "No. and Name" ["संख्या और नाम"] के स्थान पर "Name" ["नाम"] रख दिया जाये ।

(ii) आंकड़े "70", "71", "72", "79" और "80" हटा दिये जायें ।

(ग) कंडिका 4, कालम 3 में :

(i) "No. and Name" ["नाम और संख्या"] के स्थान पर "Name" ["नाम"] शीर्षक में रखा जाये ;

(ii) आंकड़े "1", "2", "14", "15", "16", "20" और "22" हटा दिये जायें (125)

—[**श्री नन्दा**]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

दूसरी अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गयी

The Second Schedule, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरी अनुसूची के लिए कुछ संशोधन है ।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं अपने संशोधन संख्या 58, 59, 60 और 61, 100 और 116 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री दलजीत सिंह (उना) : मैं अपने संशोधन संख्या 42, और 43 प्रस्तुत करता हूँ ।

There are certain regions which must be included into the Punjabi region. If it is not done, there will be great difficulties for the people of this area.

Shri Buta Singh : I support the amendments of Shri Daljit Singh.

Shri Pratap Singh : Una is a Hindi speaking area, there is no sense in including this area in the Punjabi region. This should be included in Himachal.

श्री नन्दा : यह विभाजन तो बिल्कुल सीमा आयोग की सिफारिशों पर हो रहा है । अत: इन संशोधनों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 58, 59, 60, 61, 100 **और** 116 **मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**

Amendments No. 58, 59, 60, 61, 100 and 116 were put and negatived

श्री दलजीत सिंह : मैं अपने संशोधन संख्या 42 और 43 वापिस लेता हूँ ।

संशोधन संख्या 42 **और** 43 **सभा की अनुमति से वापिस लिये गये**

Amendments No. 42 and 43, were by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी

The Third Schedule was added to the Bill

चौथी अनुसूची

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 58

पंक्ति 3 से 8 के स्थान पर

"One of the three sitting members whose terms of office will expire on the 2nd April, 1968, Shri Surjit Singh and such one of the two members, namely, Shri Abdul Ghani and Shri Chiman Lal, as the Chairman of the Council of States may determine by drawing lot, shall be deemed to have been elected to fill two of the seats allotted to the State of Punjab and the remaining members shall be deemed to have been allotted to fill one of the seats allotted to the State of Haryana."

["तीन वर्तमान सदस्य जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 1968 को समाप्त हो जायेगा, श्री सुरजीत सिंह और श्री अब्दुल गनी और श्री चिमन लाल में से एक सदस्य 'लाट' डाल कर राज्य सभा के सभापति फैसला करेंगे, और वे पंजाब राज्य को अलाट हुए दो स्थानों पर चने हुए सदस्य माने जायेंगे, शेष सदस्य हरियाना राज्य को अलाट हुए स्थानों पर चुने हुए माने जायेंगे"] रखा जाये। (126)

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं अपना संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूँ।

My submission is that two new seats may be given to Haryana, as Punjabi Suba has already 7 and Haryana only 5.

Shri Ram Sahai Pandey : I support the amendment put forward by Shri Siddhanti.

श्री हरि विष्णु कामत : मै यह जानना चाहता हूँ कि एक सदस्य जो एक राज्य का प्रतिनिधि हो क्या उसे दूसरे राज्य का प्रतिनिधि मानना संविधान के अन्तर्गत उचित है। यह फरमान जारी कर देना कि तुम पंजाब का प्रतिनिधित्व करो और तुम हरियाना का, यह बात कहां तक ठीक है। लाटरी डाल कर फैसला करना भी संदेह वाली बात है।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Yesterday I drew the attention of a few Honourable members to this lawpoint, which as, "A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Council of a State to be filled by the election unless he is an elector for any Assembly Constituency in that State." For that matter Shri Kamat argument is correct, but it does not apply here in this case.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : राज्य सभा के बारे में अनुच्छेद 80 बड़ा स्पष्ट है। क्या गृह-कार्य मंत्री उसमें संशोधन करने वाले हैं ?

श्री नन्दा : उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यदि नहीं तो अनुच्छेद 80 बड़ा स्पष्ट है।

श्री दी० चं० शर्मा : जो परम्परा बम्बई को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित करते समय स्थापित की गई, उसी के अनुसार अब भी किया जा रहा है।

श्री नन्दा : इस मामले में 'लाट' इसलिए डालना पड़ा क्योंकि दोनों ही हरियाना में जाना चाहते थे।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 44 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 44 was put and negatived.

सभापति महोदय : एक सरकारी संशोधन भी है। संशोधन संख्या 126.

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 58

पंक्ति 3 से 8 के स्थान पर

"One of the three sitting members whose terms of office will expire on the 2nd April, 1968, Shri Surjit Singh and such one of the two members, namely, Shri Abdul Ghani and Shri Chiman Lal, as the Chairman of the Council of States may determine by drawing lot, shall be deemed to have been elected to fill two of the seats allotted to the State of Punjab and the remaining members shall be deemed to have been allotted to fill one of the seats allotted to the State of Haryana."

[तीन वर्तमान सदस्य जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 1968 को समाप्त हो जायेगा, श्री सुरजीत सिंह और श्री अब्दुल गनी और श्री चिमन लाल में से एक सदस्य 'लाट' डाल कर राज्य सभा के सभापति फैसला करेंगे, और वे पंजाब राज्य को अलाट हुए दो स्थानों पर चुने हुए सदस्य माने जायेंगे, शेष सदस्य हरियाना राज्य को अलाट हुए स्थानों पर चुने हुए माने जायेंगे] रखा जाये। (126)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चौथी अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

"चौथी अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।"

The Fourth Schedule, as amended, was added to the Bill.

पांचवीं अनुसूची

श्री पू० शे० नास्कर : इस अनुसूची पर एक आनुसंगिक संशोधन है।

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 59 पंक्ति 13 में 'Nangal' [नंगल] के स्थान पर "Anandpur Sahib" [आनन्दपुर साहब] रखा जाय।

—[**श्री पू० शे० नास्कर**]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पांचवीं अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयेक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पांचवीं अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Fifth Schedule, as amended, was added to the Bill.

छठी अनसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Sixth Schedule was added to the Bill.

सातवीं अनुसूची

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं अपने संशोधन संख्या 81, 82 और 83 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

(एक) "कि पृष्ठ 62,

(i) पंक्ति 27 में "Sections 16 and 22" ["धारायें 16 और 22"] के स्थान पर "Section 22" ["धारा 22"] रखा जाय;

(ii) पंक्ति 30, में "Part A" ["भाग क"] हटा दिया जाय; (127)

(दो) पृष्ठ 63,

(i) पंक्ति 5 में "Part B"["भाग ख"] हटा दिया जाय;

(ii) पृष्ठ 6 से 13 में 1 से 8 प्रविष्टियों को क्रमानुसार 9—16 संख्या दी जाये । (131)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 81, 82 और 83 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 81, 82 and 83 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

(एक) पृष्ठ 62,

(i) पंक्ति 27 में"Sections 16 and 22" [धारायें 16 और 22] के स्थान पर "Section 22" ["धारा 22"] रखा जाये;

(ii) पंक्ति 30, में "Part A" ["भाग क"] हटा दिया जाय; (127)

(दो) पृष्ठ 63,

(i) पंक्ति 5 में "Part B" ["भाग ख"] हटा दिया जाय;

(ii) पृष्ट 6 से 13 में 1 से 8 प्रविष्टियों को क्रमानुसार 9—16 संख्या दी जाये । (131)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

" सातवीं अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सातवीं अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई ।
The Seventh Schedule, as amended, was added to the Bill.

आठवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।
The Eighth Schedule was added to the Bill.

नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं अनुसूचियां विधेयक में जोड़ दी गईं ।
The Ninth, Tenth and Eleventh Schedules were added to the Bill.

बारहवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई
The Twelfth Schedule was added to the Bill.

तेरहवीं अनुसूची

संशोधन किया गया :
Amendment made :

पृष्ठ 70, पंक्ति 7

"60761" के स्थान पर

"6071" रखा जाय । (88)

—[**श्री नन्दा**]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तेरहवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

तेरहवीं अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई
The Thirteenth Schedule, as amended, was added to the Bill.

चौदहवीं तथा पंद्रहवीं अनुसूचियां विधेयक में जोड़ दी गईं
The Fourteenth and Fifteenth Schedules were added to the Bill.

सोलहवीं अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सोलहवीं अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

सोलहवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई
The Sixteenth Schedule was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause I, Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि नियम संख्या 338 पंजाब पुनर्गठन विधेयक जिसे कि सभा ने 6 सितम्बर, 1966 को स्वीकार किया था के संशोधन संख्या 53 में प्रयुक्त न किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नियम संख्या 338 पंजाब पुनर्गठन विधेयक जिसे कि सभा ने 6 सितम्बर, 1966 को स्वीकार किया था के संशोधन संख्या 53 में प्रयुक्त न किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

श्री कपूर सिंह : अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए और अपने मतदाताओं को दिये हुए बचनों का ध्यान रखते हुए मैं इसका विरोध करता हूं और परिणामस्वरूप सदन त्याग करता हूँ ।

[इसके पश्चात् श्री कपूर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए]
Shri Kapur Singh and some other Hon. Members then left the House

श्री उ० मू० त्रिवेदी : हम देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं । इस विधेयक में बहुत सी अनियमिततायें हैं । इससे जल्दी से और बहुत ही अशोभनीय ढंग से पारित किया जा रहा है । केवल कुछ लोगों की सनक को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया और यह सारे राज्य के साथ बड़ा अन्याय है । चंडीगढ़ का उद्घाटन बड़े अशुभ दिन स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद ने किया था और इसका ही यह सब परिणाम है । हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं और साम्प्रदायिक तनाव के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं । एक संसदीय समिति बनाई गई, फिर समिति के निर्णय से पूर्व ही कांग्रेस कार्यकारिणी ने विभाजन की बात स्वीकार कर ली । फिर सीमा आयोग की स्थापना कर दी गई । अब भी देर तक बैठ कर इस विधेयक को पारित किया जा रहा है, इसे अपेक्षित महत्व दिया ही नहीं जा रहा है । केवल अपनी सनक पूरी की जा रही है ।

इस विधेयक को संवैधानिक उपबन्धों तथा प्रक्रिया के प्रतिकूल पारित किया जा रहा है ।

इसके लिए सभा में सदस्यों का विशेष बहुमत होना चाहिये। चाहे सरकार कुछ भी समझे इस विधेयक को चुनौती दी जायेगी।

नियम 352 के अन्तर्गत इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह मामला उच्चत्तम न्यायालय में चल रहा था किन्तु सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। आपने संविधान के अनुच्छेद 170 की उपेक्षा की है। सरकार को नामजद करने का भी अधिकार नहीं था, किन्तु आपने फिर भी नामजद किये। संविधान के अनुसार किसी राज्य में निर्वाचित विधायक 60 से कम नहीं होने चाहिए। अब भी समय है जब कि सरकार को अपनी भूल ठीक कर लेनी चाहिए। सरकार संविधान के अनुच्छेद 180 को भी अनुचित तरीके से संशोधन करना चाहती है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात संसद के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। समझ में नहीं आता कि सरकार कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा क्यों कर रही है। यदि सरकार का यही दृष्टिकोण रहा तो देश कठिनाई में पड़ जायेगा। यदि सरकार चाहे तो अब भी विधेयक को वापिस ले सकती है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I appreciate the decision of the Government for creating these two States for which there was a pressing demand since long. These both States are the States of brave persons and patriots. I assure the Government that the people of these State will deliver the goods for the country.

Shri Raghunath Singh : Let us convey our blessings and good wishes to the people of the Punjab, Haryana and Himachal Pradesh on this auspicious occasion and pray for their prosperity. We hope they will shoulder the responsibility to defend our borders with courage and bravery.

श्री नन्दा : मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है। इस अवसर पर हम सब पंजाब, हरियाना तथा हिमाचल के लोगों को अपनी शुभकामनाएं भेजें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना देनी है कि राज्य सभा अपनी 7 सितम्बर, 1966 की बैठक में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया है :—

श्री चन्द्र शेखर; श्री रमेशचन्द्र शंकरराव खांडेकर; श्री चित्ता बसु; श्री एस० एस० मारिस्वामी; श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया; श्री आर० टी० पार्थसार्थी, श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी; श्री बीरेन राय; श्री ए० के० ए० अब्दुल समद; श्री श्रद्धाकर सुपाकर; श्रीमती तारा आर० साठे; श्री गोपाल स्वरूप पाठक ।

इद्दिकी परियोजना के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: IDDIKI PROJECT

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कु० ल० राव) : उपाध्यक्ष महोदय, इद्दिकी परियोजना के बारे में अनेक सदस्यों ने अल्प सूचना प्रश्न तथा ध्यानाकर्षण सूचनाएं दी हैं । अतः मैं यह वक्तव्य देता हूं ।

इद्दिकी परियोजना केरल में सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है । इसके लिये जनवरी 1963 में 49.23 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे । तीन इकाइयों को मिलाकर पहले चरण में इसकी अधिष्ठापित क्षमता 130 मैगावाट है । बाद में इसी आकार की तीन और इकाइयां इसमें जोड़ दी जायेंगी । इस पर मार्च, 1967 तक कुल 9 करोड़ रुपये खर्च होंगे । निर्माण के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार पहली इकाई 1970-71 तक चालू हो जायेगी तथा अन्य इकाइयां चार से छः महीने के मध्यान्तर से चालू हो जायेंगी । इसके लिए कनाडा ने 2 करोड़ डालर की सहायता तथा 7 लाख डालर का अनुदान देने का प्रस्ताव किया है । कनाडा के परामर्शदाता इन्जीनियरों ने भारतीय इन्जीनियरों से मिलकर परियोजना के डिजाइनों तथा विशिष्ट विवरणों के सम्बन्ध में अपने कनाडा स्थित कार्यालय में कार्य कर रहे हैं । कनाडा के साथ इस बारे में औपचारिक करार शीघ्र किया जायेगा ।

इद्दिकी, चेरुथानी तथा कुलामावू में सहायक बांधों में नीव खोदने का कार्य जारी है । बिजली घर तक सुरंग खोदने का काम पूरा होने वाला है तथा सुरंग तथा सहायक निर्माण कार्य भी जारी हैं ।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाने वाली सूचना अस्वीकृत कर दी गई थी और वे वक्तव्य चाहते थे ।

श्री वासुदेवन नायर : यह अच्छा वक्तव्य नहीं है ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं**
Shrimati Renu Chakravartty in the Chair]

देश की खाद्य स्थिति के बारे में
RE: FOOD SITUATION IN THE COUNTRY

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : In a reply to a question asked on 26th July, the Hon. Minister stated that he will see that inferior quality is not sent to Madhya

Pradesh. How far this assurance has been fulfilled ? Is it not a fact that this jowar is given to those people from whom this levy was collected and was it collected from those who were not in a position to give the levy ? Is it also a fact that the people, who produce good quality foodgrains and wheat are given rotten and red jowar to eat ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : केन्द्रीय सरकार ज्वार अथवा बाजरे की उगाही नहीं करती है। यह कार्य राज्य सरकारों का है। मैंने आयातित कोदो (माइलो) के बारे में आश्वासन दिया था और हमने हिदायतें दी हैं कि कोदो को साफ करने के बाद ही बेचा जाये। इस हिदायत का पालन किया जा रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister gave an assurance that bad quality of foodgrains will not be supplied to the people. I want a categorical reply from the Minister in this regard.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम ज्वार की सप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्वार का कोई स्टाक नहीं है। हम कोदो, गेहूं और चावल का वितरण करते हैं।

श्री बड़े (खारगोन) : मध्य प्रदेश में इन्दौर कमिश्नरी के नेमाड़ जिले के आदिवासियों को सड़ा कोदो (माइलो) दिया जा रहा है। यह कोदो वहां पर खुले वैगनों में भेजे जाने के कारण सड़ जाता है। सड़े हुए अनाज को खाने से लोग बीमार पड़ गये हैं। वहां के कलक्टर के अनुसार सारे राज्य में आमशोध की महामारी फैली हुई है। क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे और इस सड़े कोदो के स्थान पर अच्छा कोदो की व्यवस्था करेंगे ? राज्य सरकार का कहना है कि केन्द्र से अच्छा कोदो न मिलने के कारण, उसे यह खराब कोदो देना पड़ रहा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस समय मुझे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इस मामले की जांच अवश्य करूंगा। जो वस्तु खाने के योग्य नहीं होगी वह लोगों को नहीं दी जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में देश की खाद्य स्थिति को अच्छा बताया है। क्या सरकार ने इस बात के लिए पर्याप्त कार्यवाही की है कि कानूनी राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के मूल्य न बढ़ने पायें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस सम्बन्ध में बता चुका हूं। हम वितरण व्यवस्था न केवल राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में, अपितु अन्य स्थानों में भी उचित मूल्य वाली दुकानें खोल कर लागू कर रहे हैं ताकि मूल्य न बढ़ने पायें। सौभाग्य से पिछले सप्ताह से सारे देश में अच्छी वर्षा हो रही है जिससे अच्छी फसल होने की आशा है। इससे मूल्य में स्वयं स्थिरता आ जायेगी।

भारत-पाकिस्तान सीमा की स्थिति के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : SITUATION ON INDIA PAKISTAN BORDERS

सभापति महोदय : अब सभा श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती द्वारा 26 अगस्त, 1966 को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :

"कि यह सभा भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर स्थिति के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा 1 अगस्त, 1966 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

इस प्रस्ताव पर विचार के लिये केवल एक घंटा और पचास मिनट बचे हैं । मैं सभा के सामने विचार के लिए एक सुझाव रखता हूं । हम इस पर चर्चा जल्दी समाप्त करना चाहते हैं । क्या यह संभव है कि एक-दो सदस्यों के भाषण के बाद मंत्री महोदय का भाषण हो जाये और फिर माननीय सदस्य वाद-विवाद का उत्तर दे दें या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस पर अगले सत्र में विचार किया जाये ?

श्री रामसहाय पाण्डेय (गुना) : इस पर सभा दो घन्टे विचार कर चुकी है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का वाद-विवाद का उत्तर देने के बाद सभा स्थगित की जा सकती है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : वास्तव में साधारणतः हमें पांच बजे आधे घन्टे की चर्चा करनी चाहिए थी हमने यह चर्चा स्थगित कर दी क्योंकि हम विधेयक को पारित कराना चाहते थे । सभा को निर्णय करना है कि वह देर तक बैठना चाहती है । मैं समझता हूं कि हमें आधे घन्टे की चर्चा के लिये देर तक नहीं बैठना चाहिए ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): मुझे विश्वास है कि सभा माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये अन्य मामलों पर अधिक विस्तृत रूप में चर्चा चाहती है । यदि ऐसा है, तो मैं यह अधिक अच्छा समझता हूं कि चर्चा स्थगित की जाये ताकि उन सभी मामलों पर अधिक विस्तार से विचार किया जा सके ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : I agree with the suggestion made by the Hon. Defence Minister.

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै): बीड़ी एवं चुरुट कार्मिक विधेयक अवश्य लिया जाना चाहिए । यह विधेयक द्वितीय संसद के समय से चला आ रहा है । संसद-कार्य मंत्री, श्री सत्य नारायण सिंह ने आश्वासन दिलाया था कि यह विधेयक सत्र के अन्तिम दिवस को लाया जायेगा । मैं इस बात पर आग्रह करता हूं कि यह विधेयक अवश्य लिया जाये तथा पारित किया जाये ।

श्री अ० क० गोपालन (केसरगोड): यदि हम बीड़ी एवं चुरुट कार्मिक (नियोजन की शर्तें) विधेयक पारित नहीं करते तो हम श्रमिकों के एक वर्ग के साथ बड़ा अन्याय करेंगे । राज्य सभा ने यह विधेयक दो अथवा तीन मास पूर्व पारित किया था । लोक-सभा द्वारा इसे पारित

न करने का परिणाम यह होगा कि नियोजक कोई ऐसा कार्य कर सकेंगे जिससे श्रमिकों को हानि हो सकती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The workers are being harrassed and oppressed because this Bill has not been passed. This Bill must be discussed now.

सभापति महोदय : यहां उपस्थित मंत्रियों में से कोई इस विधेयक को प्रस्तुत करे और उसके बाद हम चर्चा स्थगित करेंगे ताकि अगले अधिवेशन में यह कार्य-सूची में शामिल किया जा सके ।

बीड़ी एवं चुरुट कार्मिक (नियोजन की शर्तें) विधेयक
BEEDI AND CIGAR WORKERS (CONDITIONS OF EMPLOYMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बीड़ी और चुरुट संस्थापनों में कार्मिकों के कल्याणार्थ उपबन्ध करने के लिए और उनके काम की शर्तों को विनियमित करने के लिए और उससे संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उस विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : The Benares Hindu University Bill has been pending for nearly seven or eight years. The Bill should be considered at an early date.

आधे घंटे की चर्चाओं के बारे में
RE : HALF-AN-HOUR DISCUSSIONS

श्री दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर): इसे द्वितीय प्राथमिकता मिलनी चाहिए ।

सभापति महोदय : मेरे विचार में ऐसा करना ठीक नहीं होगा । श्री माथुर ने पहले ही कहा है कि आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की जाये । वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर): या तो इसे स्थगित किया जाये या आधे घंटे की चर्चा की जाये ।

सभापति महोदय : अधिक से अधिक आधा घंटा रखा जा सकता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह चर्चा स्थगित की जाये । सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं मद 34 पर दर्ज आधे घंटे की चर्चा चाहता हूं। आप जानते हैं कि हमें लेखा परीक्षा कर्मचारी संघ की मान्यता के लिए संघर्ष करना पड़ा है। उसे केवल विभागीय परिषद् के प्रयोजन के लिए ही वास्तविक मान्यता दी गई है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): यह वास्तविक मान्यता केवल संयुक्त परिषद् के प्रयोजन के लिए ही नहीं अपितु सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए दी गई है। श्री बनर्जी का कहना ठीक नहीं है।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै): मंत्री महोदय को इस विषय के गुणावगुणों के बारे में नहीं बोलना चाहिये। वह केवल यही कह सकते हैं कि उसे लिया जाये अथवा नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यदि सभा बैठने के लिए तैयार हो तो मेरे द्वारा उठायी गई आधे घंटे की चर्चा को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं केवल तभी इस मामले पर आग्रह नहीं करूंगा जब सभा बैठने के लिए तैयार न हो।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाये।"

श्री उमानाथ : अध्यक्ष महोदय ने सभा में यह वचन दिया था कि लेखा परीक्षा कर्मचारी संघ के बारे में आधे घंटे की चर्चा के लिए समय दिया जायेगा। मैं इसके लिए प्राथमिकता नहीं चाहता। श्री माथुर का प्रस्ताव भी लिया जाये और इसे भी लिया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य सूची में मद संख्या 32,33 तथा 34 पर दर्ज आधे घंटे की चर्चाओं पर विचार करती है।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 10; **विपक्ष में** 58

Ayes 10; Noes 58

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

सभापति महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

Tej Kumar Press, Lucknow—20-2-68—565.

P.L.S. 48. LX. 32. 66. (N)
565

© 1966 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, तेज कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1966 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and
Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and
Printed By the Manager, Tej Kumar Press, Lucknow.